लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

दूसरा सत्र
Second Session

Preservation Unit
Parliament Library

खंड VIII में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 51 to 62

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 54 बुधवार, 2 अगस्त, 1967 / 11 श्रावण, 1889 (शक)

No. 54 Wednesday, August 2, 1967 / Sravana 11, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1527	मिजो गांवों को पुनर्वर्गीकरण	Regrouping of Mizo Villages ..	423-429
1528	कलिंग एयरवेज को भुगतान	Payments to Kalinga Airways	429-433
1529	स्वर्गीय निजाम की पुत्री से उनकी सम्पत्ति में भाग के बारे में अभ्यावेदन	Representation from the late Nizam's Daughter for share in his Property	433-437
1530	केन्द्रीय सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	S. Cs. and S. Ts. in Central Government Departments ..	437-439

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या /S.Q. Nos.			
1531	उत्तर प्रदेश में तिब्बती लोगों का प्रवेश	Entry of Tibetans in U. P.	439-440
1532	इण्डिया आफिस लाइब्रेरी	India Office Library ...	440
1533	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए कालकाजी, दिल्ली में भूमि का विकास	Development of Land in Kalkaji, Delhi for Displaced persons from East Pakistan	440-441

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1534	शिक्षा हेतु अमरीकी उपकरण	U. S. Equipment for Education	441
1535	प्रधान मंत्री का उड़ीसा का दौरा	P. Ms. Visit to Orissa	441–442
1536	भारतीय अमरीकी शिक्षा संस्थान	Indo-U. S. Education Foundation ..	442
1537	तिहाड़ जेल में सत्या-ग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार	Ill Treatment to Satyagrahis in Tihar Jail	443
1539	आदिम जातीय संस्कृति अनुसंधान संस्था	Tribal Culture Research Institute	443–444
1540	उर्दू भाषा का विकास	Development of Urdu Language ...	444
1541	कर्मचारी भविष्य निधि	Employee's Provident Fund ...	444–445
1542	भारतीय प्रबन्ध संस्था (इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट)	Indian Institute of Management ...	445–446
1543	केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्धों पर परामर्श देने के लिए परिषद	Council to advise on Centre States Relations ..	446
1544	विम्बलडन टूर्नामेंट में भेजे गये टेनिस के भारतीय खिलाड़ी	Indian Tennis Players for Wimbledon ..	446–447
1545	राजस्थान सीमा पर घुसपैठ	Infiltration on Rajasthan Border	447–448
1546	भ्रष्टाचार के अनिर्णीत मामले	Pending Vigiliance Cases	448
1547	उड़ीसा में भाषायी अल्प संख्यक	Linguistic Minorities in Orissa ...	448–450
1548	कार्मिक संघ	Trade Unions ...	450
1550	विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	Grants to Universities	450–451

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1551	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	Central Vigilance Commission	451
1552	आसाम का पुनर्गठन	Assam Reorganisation ..	452
1553	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के लिये अनुदान	U. G. C Grants for Universities —	452-453
1554	भारत में अनूदित पुस्तकों पर रायल्टी	Royalty on Books Translated in India ..	453
1555	काश्मीर में शस्त्रास्त्रों का पकड़ा जाना	Seizure of Ammunition in Kashmir..	45`-454
1556	नक्सलबाड़ी के दौरे के बाद प्रजा समाजवादी दल तथा संयुक्त समाजवादी दल के संसद सदस्यों का प्रतिवेदन	Report by PSP and SSP. M. Ps on their visit to Naxalbari	454

अता. प्र. सं./U. S.Q. Nos.

7503	नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में चोरी की घटनायें	Theft cases in the National Museum, New Delhi ..	454-455
7504	स्वर्गीय डा. हाल्डेन द्वारा भुवनेश्वर में स्थापित की गई उत्पत्ति विज्ञान एवं आयु-विज्ञान प्रयोगशाला	Genetics and Biometry Laboratory set up by the Late Dr. Haldane at Bhubaneswar ...	455-456
7505	विभिन्न मजूरी बोर्ड तथा न्यायाधिकरणों के पंचाटों को कार्यान्वित न किया जाना	Non-Implementation of Awards of various Wage Boards and Tribunals	456
7506	यवतमाल जिला (महाराष्ट्र) में बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed persons in Yeotmal District (Maharashtra) ... —	456-457
7507	डाक तथा तार प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति	Posts & Telegraphs Tariff Review Committee	457
7508	चौथी योजना अवधि में महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कालेज	Engineering Colleges in Maharashtra During the Fourth Plan ...	457-458

अता.प्र. संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
7509	यवतमाल जिला (महाराष्ट्र) में खेतिहर मजदूर	Agricultural Labour in Yeotmal Distt. (Maharashtra) ..	458
7510	महाराष्ट्र के नगरों में तार घर	Telegraph Offices in Maharashtra Towns ...	458
7511	मध्य प्रदेश में प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला	Regional Research Laboratory in M. P. ...	458-459
7512	इंजीनियरिंग संस्थाएं	Engineering Institutions — ..	459-460
7513	भारत में अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान	US Educational Foundation in India —	460-461
7514	दिल्ली के स्कूलों में उर्दू पंजाबी और सिन्धी भाषाओं की पढ़ाई	Teaching of Urdu, Punjabi and Sindhi in Delhi Schools	461
7515	दिल्ली के स्कूलों में स्नातकोत्तर अध्यापक	Post Graduate Teachers in Delhi Schools ...	462
7516	भारत में चीनी तथा पाकिस्तानी राष्ट्रजनों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Chinese and Pakistanis in India	462
7517	पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी उप-मंडल में दंगे	Disturbances in Siliguri Sub-Division of West Bengal	463
7518	मैसूर में इंजिनियरी कालेज	Engineering Colleges in Mysore ..	463
7519	आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र में राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Political Sufferers in A. P. Mysore and Maharashtra	463-464
7520	भारतीय प्रशासनिक सेवा में हरिजन अधिकारी	Harijan I. A. S.Officers ...	464
7521	मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	S. C. & S. T. Officers in Mysore State ..	464-465

प्रश्नों के लिखित उत्तर— जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता.प्र.संख्या / U. S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7522	बर्मा से आये हुए भारतीयों को प्रतिकर	Compensation to repatriates from Burma ..	465
7524	नादिया जिले में जासूसों का गिरोह	Spy Ring in Nadia District	465
7525	भारत द्वारा दी गई प्रतिलिप्यधिकार रायल्टी की राशि	Copyright Royalty Paid by India ..	465-466
7526	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	Neyveli Lignite Corporation ...	466
7527	शिशिक्षुता का प्रशिक्षण (अपरेंटिसशिप)	Apprenticeship Training	466-467
7528	प्रशासनिक व्यवस्था के लिये अधिकारियों की नियुक्तियां	Staffing of Administrative Machinery	467-469
7529	डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये छुट्टियां	Holidays in Extra Departmental Posts and Telegraph Employees ...	469-470
7530	विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठने वाले प्राइवेट विद्यार्थी	Private Candidates appearing in University Examinations ...	470
7531	सरकारी कार्यालयों में देर से आने वाले कर्मचारी	Latecomers in Government Offices	470
7532	यादगारी टिकटें	Commemorative Stamps	470-471
7533	1 नवम्बर, 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब का क्षेत्रफल	Area of Himachal Pradesh and Punjab Prior to 1St November, 1966 ...	471
7534	आगरा में डाकघर बचत बैंक के खाते में धोखा घड़ी	P. O. Saving Bank Accounts Fraud at Agra ...	471-472
7535	भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संस्था	Indian Jute Industries Research Association	472-473

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अंता. प्र. संख्या/ U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7536	नई दिल्ली नगरपालिका के लिये व्यवस्थित ढंग से निर्वाचन	Systematic election for the N. D. M. C. ...	473
7537	कूचबिहार के गांवों में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Pak Intrusion in Cooch-Behar Village	473
7538	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के अधीनस्थ टेलीफोन केन्द्रों के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Workers of Telephone Exchanges, under Delhi Telephone District	474
7539	परीक्षाओं के द्वारा नियुक्तियां	Appointments Through Examinations	474–475
7540	राजनीतिज्ञों का शासन	Rule of Politicians ..	475
7541	आसाम तथा पश्चिम बंगाल में तूफान से हानि	Loss due to storm in Assam and West Bengal	475–476
7542	राष्ट्रीय श्रम आयोग	National Labour Commissison	476
7543	राष्ट्रीय पुस्तक विकास मंडल	National Book Development Board... ...	476–477
7544	दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में सहानुभूति हड़ताल का आह्वान	Call for a Symathetic Strike in Support of Delhi Policemen's Demands	477
7545	पूना के परिवहन प्रबन्धक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा, सीमा शुल्क तथा अन्य विधियों के उल्लंघन के आरोप में जाँच	Enquiry against transport Manager, Poona for Violation of Foreign Exchange Customs and other Laws – ...	477–478
7546	पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना	Conversion of Patna University into a Central University	478
7547	पुलिस संहिता	Police Code ..	478

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

7548	नई दिल्ली स्थित हरकोर्ट बटलर हायर सैकेन्डरी स्कूल	Harcourt Butler Higher Secondary School, New Delhi ... –	479
7549	धनबाद की एक कोयला खान में दुर्घटना	Accident in a Dhanbad Colliery	479
7550	दिल्ली में श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Labour Ministers in Delhi ...	479-480
7551	शिक्षा के सम्बन्ध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण	All India Educational Survey	480
7552	सशस्त्र पाकिस्तान द्वारा भारतीय गांव पर हमला	Attack on Indian Village in Nadia Distt. by Armed Pakistanis	480–481
7553	हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम की सम्पत्ति	Wealth of the late Nizam of Hyderabad ...	481
7554	श्रम कल्याण योजनाओं का पुनरीक्षण	Review of Labour Welfare Schemes	481–482
7555	स्कूलों में सरकारी परीक्षाओं को समाप्त करना	Abolition of Public Examinations in School	482
7556	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धी निहार रंजन रे समिति	Nihar Ranjan Ray Committee on C. S. I. R. ...	483
7557	एन. सी. ई. आर. टी. का प्रतिवेदन	N. C. E. R. T. Report	484
7558	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावलि आयोग में पद	Posts in Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology	484
7559	दिल्ली में मिडिल स्कूल परीक्षा	Middle School Examination in Delhi ..	484-485

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

7560	विमानों से लिये गये फोटों का विश्लेषण	Aerial Photo Interpretation	485
7561	भू–विश्लेषण	Interpretation of Soils ...	486
7562	अन्दमान द्वीप समूह में मैसर्स औकुजी फर्में	Messrs. Aukuji firms in Andamans	486
7563	बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के लिये दिल्ली में भूमि का आवंटन	Allotment of Land in Delhi to Repatriates from Burma	487
7564	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान	Pay-scales of Delhi School Teachers ..	487
7565	बेरोजगार व्यक्तियों का बीमा	Insurance for Jobless	487–488
7566	खोसला आयोग	Khosla Commission	488
7567	मंत्रियों के निजी कर्मचारी	Personal Staff of Ministers	488–489
7568	शिक्षा के बारे में संसद् सदस्यों की समिति	M. Ps. Committee on Education	489
7569	राष्ट्रीय प्रयोगशालायें	National Laboratories ..	489–490
7570	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	National Research Development Corporation	490
7571	राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोग-शाला	National Aeronautical Laboratory ...	490–491
7572	अन्दमान द्वीपों में मछली पकड़ने की पकड़ी गई विदेशी नावें	Foreign Fishing Boats caught in Andamans ..	492
7573	उड़ीसा में गिरजाघरों को जलाया जाना	Burning of Churches in Orissa	492–493
7574	गैर सरकारी गुप्तचर एजेन्सियां	Private Detective Agencies	493
7575	हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रियों द्वारा व्यय की मंजूरी	Sanction of Expenditure by Ministers of Union Territory of Himachal Pradesh	494

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
7576	मंत्रियों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के तबादले	Transfers of Gazetted Officers by Ministers	494-495
7577	मुनाफाखोरों को दन्ड विधियों के अन्तर्गत लाना	Bringing Profiteers under Penal Laws ..	495
7578	हिन्दी पढाने की योजना	Hindi Teaching Scheme ...	495-496
7579	बस्तर के भुतपूर्व शासक का राजमहल	Palace of the late Ruler of Bastar	496
7580	कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति	Industrial Committee on Coal Mining ...	496-497
7581	फरक्का बांध परियोजना के प्लान गुम होने के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट	C. B. I. Report on Missing Farakka Barrage Project Plan	497
7582	विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्तियों तथा विश्वविद्यालय के कालेजों में दाखिले के बारे में जाँच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति	U. G. C. Committee to look into the appointment of University Teachers and admission to University Colleges ...	497-498
7583	कलकत्ता में चीनी दूतों का स्वागत	Reception given to Chinese Diplomates in Calcutta	498
7584	बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के लिये दुकानें	Shops for Repartriates from Burma... ..	498-499
7585	विद्वानों का विदेशों में चले जाना	Scholars going Abroad	499-500
7586	विदेशों में काम करने वाले विद्वान	Indian Scholars Working Abroad .. –	500-501

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी) /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता प्र. संख्या/U.S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7587	गृह-कार्य मंत्री द्वारा हेलीकाप्टर का प्रयोग	Use of Helicopter by the Home Minister ..	501
7588	अन्दमान प्रशासन द्वारा बिसाती के सामान की खरीद	Purchase of General Merchandise by the Andaman Administration	501–502
7589	सालारगंज संग्रहालय से चुराये गये कलाचित्र	Paintings stolen from Salarjung Museum	502
7590	डाक जीवन बीमा	Postal Life Insurance	502–503
7591	जामिया मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली) में शुक्रवार के दिन छुट्टी	Fridays as Holidays in Jamia Milia Islamia, New Delhi	503–504
7592	7 नवम्बर, 1966 को दिल्ली में हुई गिरफ्तारियां	Arrests in Delhi on 7th November, 1966...	504
7593	उर्दू भाषा का विकास	Dovelopment of Urdu Language	504–505
7594	बिड़लाओं की सूती कपड़ा मिलों में तलाशी	Searches in Cotton Mills of Birlas	505
7595	पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों को मकानों का आवंटन	Allotment of Houses to displaced persons from East Pakistan	505–506
7596	घेराव	Gheraos	506
7597	ब्रिटेन की सरकार द्वारा भूतपूर्व शासकों को दी गई पेंशन	Pensions paid to Fromer Rulers by the British Government	506–507
7598	राज्यों में मंत्रिमंडलों का आकार	Size of Ministries in States	507
7599	भारत में नेपाली भाषा पढाना	Teaching of Nepalese Language in India ..	508
7600	मैसूर में नागर में प्राचीन अवशेषों के स्थान पर गिरजाघरों का निर्माण	Church on the Ancient remains at Nagar in Mysore ...	508

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्रश्न संख्या/ U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7601	डाक की दरों में वृद्धि	Increase in Postal rates	509
7602	कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों के लिये सेवा निवृत्ति एवं परिवार पेंशन	Retirement cum Family Pension for the members of the Employees provident Fund and Coal Mines Provident Fund ...	509
7603	बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme ...	509-510
7604	कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान	Payment of Employees' provident Fund	510
7605	दिल्ली पुलिस की हड़ताल के दौरान किया गया व्यय	Expenditure incurred during Delhi Police Strike ..	510-511
7606	राजगंज में पाकिस्तानियों द्वारा लूटमार	Looting by Pakistanis in Rajganj	511
7607	शेख अब्दुल्ला द्वारा लिखा गया पत्र	Letter Written by Sheikh Abdullah ..	511
7608	राजनीतिक पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Political Sufferers ...	511-512
7609	पंजाब में भाषायी अल्प संख्यक	Linguistic Minority in Punjab	512
7611	हिन्दी सहायकों के वेतन मान	Pay Scale of Hindi Assistants ...	512
7612	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की सेवाओं का सदुपयोग	Utilisation of Services of Freedom Fighters	512-513
7613	डाकिये	Postal Runners ..	513-514
7614	मिनरल्स एण्ड इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड	Minerals and Industries (P) Ltd. ..	514
7615	पोर्ट ब्लेयर में कालेज	College at Port Blair	514
7616	कार निकोबार में सरकारी स्कूल	Government School, Car Nicobar	515

अता.प्र.सं./U. S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7617	राजस्थान में हड़प्पा से पूर्व काल के टीलों का पाया जाना	Find of Pre Harappan Mounds in Rajasthan	515
7618	अजमेर के प्राद्योगिकी कालेज के स्नातक	Graduates of the College of Technology Ajmer .. —	515-516
7619	साधनहीन बच्चों के लिये उच्च शिक्षा	Highar Education for Under-privileged children	516
7620	विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा	Job Security in Foreign Oil Companies ..	516-517
7621	पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना	Conversing of Punjab University into Central University	517
7622	उच्च न्यायालयों में न्यायाधिशों की नियुक्ति	Appointment of Judges in High Courts ...	517-518
7623	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता द्वारा पढ़ने के लिये पुस्तकें दी जाने की पद्धति	Lending of Books by National Library Calcutta ...	518-519
7624	कलकत्ता में प्रदर्शन	Demonstration in Calcutta ..	519
7625	केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए मैसूर के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	Maysore I. A. S. and I. P. S. Officers on Deputation to the Central Govt, ...	519-520
7626	असैनिक कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय पोशाक	National Dress for Civilian Employees ..	520-521
7627	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम	Employees Provident Fund Act ..	521
7628	आसाम - नगालैंड सीमा विवाद	Assam-Nagaland Border Dispute	521-522

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7630	गोप्रा का टेप विमाग बन्द किया जाना	Closure of Taip Department of Goa	522
7631	गोआ में खेले जाने वाले नाटकों की जांच पड़ताल	Censorship on Plays in Goa ..	522-523
7632	गोआ के डाक तथा तार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये पैंशन	Pension for Retired P. & T. Employees Goa	523
7633	गोग्रा में सरकारी कर्मचारियों की पैंशन	Pensions to Government Employees in Goa	523-524
7635	गैर श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Non-working Journalists ..	524
7636	लोक पाल / लोक आयुक्त	Lok Pal/Lok Ayukt	524
7637	दिल्ली में अवैध शराब बनाने का कारखाना पकड़ा जाना	Illicit Liquor Distillation Plant seize in Delhi	524-525
7638	बाड़मेर में पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Pakistanis in Barmer	525
7639	भावनगर में अग्निकांड	Firing in Bhavnagar .. —	525-526
7640	साक्ष्य की प्रतियों की सप्लाई	Supply of copies of evidence ...	526
7641	काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम	Employment Exchanges (Compulsory) Notification of Vacancies) Act	526
7642	विधायकों के लिये आचार संहिता	Code of Conduct for Legislators	527
7643	बम्बई के पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की हड़ताल	Strike by Port and Dock Workers, Bombay — —	527-528
7644	मैट्रिक पास मजिस्ट्रेट	Matriculates among Magistrates ..	528
7645	केन्द्रीय सरकार के अस्थायी और अर्द्धस्थायी कर्मचारी	Temporary and Quasi Permanent Employees of the Centeral Government	528-529

7646	थाईलैंड के शिक्षा मंत्री के साथ विचार विनिमय	Discussion with Thailand Education Minister	529-530
7647	वेतन वृद्धि पर रोक	Wage Freeze	530
7648	बोनस तथा वेतन वृद्धि के बारे में त्रिपक्षीय वार्ता	Tripartite Talks Re. Bonus and rise in Wages ...	530-531
7649	राजस्थान के स्कूलों की छटी कक्षा के लिये निर्धारित पाठ्य पुस्तक में भारत के गलत मानचित्र का प्रकाशन	Publication of Incorrect Map of India in the Text Book prescribed for 6th Class of Rajasthan Schools ..	531
7650	'प्रोजेक्ट इण्डिया स्कीम के' अन्तर्गत अमरीका भेजे जाने वाले विद्यार्थी	Sending Students to USA under Project India Scheme ..	531-532
7651	नदियां में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ	Pak Trespass in Nadia ...	532
7652	भारत और नेपाल के बीच संचार सम्बन्धी करार	Indo-Nepal Communications Agreement ...	532-533
7653	छात्र आन्दोलन	Student Agitation	533
7654	तिब्बती स्कूल संस्था	Tibetan Schools Society ..	533-534
7655	आसाम में मनीपुरी लोग	Manipuri Population in Assam	534
7656	दिल्ली के संग्रहालय में मनीपुरी वस्तुओं का न होना	Absence of Manipuri Articles in Delhi Museum	534-535
7657	मनीपुर में प्राचीन स्मारक	Ancient Monuments in Manipur	535
7658	मनीपुर में हिन्दी के विकास के लिये स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान	Grants to Voluntary Organisations for Development of Hindi in Manipur ...	535
7659	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कुछ निदेशालयों का समाप्त किया जाना	Abolition of some Directorates in C. S. I. R.	536

अता.प्र.संख्या/U.S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Fages
		प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.	
660	दिल्ली में किराये की इमारतों में कालेज	Colleges in Rented Buildings in Delhi ..	536-537
661	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा टेलीफोनों का निर्माण	Manufa:ture of Telephones by I.- T. D.	537
7662	रेडियो-टेलीफोन सम्पर्क	Radio-Telephone Link	538-539
7663	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में आरक्षण	Reservation in the I. A. S./I. P. S. for S. C. and S. T. Persons	539
7664	अध्यापकों के लिये बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar for Teachers	540-641
7665	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में सहायक (असिस्टेंट)	Assistants in the Central Secretariat Service	541
7666	दिल्ली में पब्लिक स्कूल	Public Schools in Delhi	541-542
7667	व्यावसायिक प्रशिक्षण	Vocational Training ...	542-543
7668	राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति	Political Sufferers –	543-544
7669	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों द्वारा परामर्श देने का कार्य	Consultancy work by the Scientists in C. S. I. R.	544-545
7670	राजस्थान विश्वविद्यालय में विदेशी प्रभाव	Foreign influence in Rajasthan University	545
7671	आन्ध्र प्रदेश में चलते फिरते डाकघर	Mobile Post Offices in Andhra Pradesh ..	545
7672	आन्ध्र प्रदेश में संस्कृत के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Development of Sanskrit in Andhra Pradesh	545-546

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

U.S. Q.Nos.	विषय	Subject	Pages
7673	आंध्र प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाओं को हिन्दी के विकास के लिये अनुदान	Grants to Voluntary Organisations in Andhra Pradesh for Development of Hindi ...	546-547
7674	आसनसोल — रानीगंज कोयला पट्टी	Asansol-Raniganj Coal Belt	547 & 549
7675	श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Working Jourra'ists	547-548 & 549-550
7676	त्रिपुरा के मकानों पर पाकिस्तानियों द्वारा छापे	Pak Raids on Houses in Tripura ...	548 & 550-551
7677	रानीगंज — आसनसोल कोयला क्षेत्र में नियोजक कर्मचारी विवाद	Employes Employee Disputes in Raniganj-Asansol Coal Belt	548-549 & 551
7678	संस्थाओं को विदेशी सहायता	Foreign Aid to Institutions	551
7679	सड़क ट्रेलरों की खरीद	Purchase of Road Trailers ...	552
7680	सशस्त्र विद्रोही नागाओं का पता लगाना	Tracing of Armed Naga Hostiles	552
7681	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of High Court Judges	553
7682	राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	National Laboratories	553
7683	बिहार में डाकघर	P. Os. in Bihar	554
7684	उपक्रमों तथा औजारों का आयात	Import of apparatuses and Tools	554
7685	सरकारी उपक्रमों में श्रम कानूनों का उल्लंघन	Violation of Labour Laws in Public Undertakings	555
7686	दिल्ली में पटरियों पर सामान बेचने वाले लोग	Pavement Hawkers in Delhi	555
7687	पार्लियामेंटरी असिस्टेंट (संसद् कार्य सहायक)	Parliament Assistants	555-556

7688	पूसा संस्थान दिल्ली, में पुलिस के साथ झगड़ा	Clash with Police at Pusa Institute Delhi ..	556
7689	उच्चत्तर माध्यमिक (इंटरमीडियेट) परीक्षा	Unchchatar Madhyamic (Intermediate) Pariksha	556-557
7690	58 वर्ष की आयु के बाद सरकारी कर्मचारियों का सेवाकाल बढाया जाना	Extension of Services to Government Officers beyond 58 Years	557-558
7691	दिल्ली के न्यायालयों के विरुद्ध शिकायतें	Complaint Against Delhi Courts	558-559
7694	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के गार्डों तथा चौकीदारों के लिये वर्दिया तथा अन्य वस्तुए	Livery Articles for Guards and Chowkidars in Central Govt. Offices Delhi	559-560
7695	गुजरात में लोथाल में संग्रहालय	Museum at Lothal in Gujarat ...	560-561
7696	वृन्दावन में गोविन्द देवजी का मन्दिर	Govind Deoji Temple at Brindaban ...	561
7697	वैज्ञानिक का पूल	Scientists Pool	561-562
7698	दिल्ली विश्वविद्यालय में रेगिंग	Ragging in Delhi University	562
7699	स्मारकों पर व्यय	Expenditure on monuments	562-563
7700	दिल्ली में कानून और व्यवस्था	Law and Order in Delhi	563
7701	कलकता के राष्ट्रीय पुस्तकालय भवन में हिमालयन क्लब के लिये आवास	Accommodation for Himalayan Club in National Library Building, Calcutta	563-564
7702	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता से पुस्तकों का खोया जाना	Loss of Books from National Library, Calcutta	564

7703	दिल्ली के राजनैतिक पीड़ित	Political Sufferers of Delhi	563
7704	भारतीय प्रशासन सेवा पदाली का प्रतिनियुक्ति कोटा	Deputation quota of I.A. S, Cadre ...	565
7705	उत्तर प्रदेश में जूनियर तकनीकी स्कूल	Junior Technical Schools in U. P. ...	565-566
7706	आसाम पुलिस द्वारा हाईकिंग जूतों का पकड़ा जाना	Seizure of Hiking Shoes by Assam Police ...	566
7707	उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन	Telephone connections in Panchayat Samiti Offices in U P.	566
7709	उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchanges in U. P, ...	566-667
7710	उत्तर प्रदेश में जिला गजेटियर के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for District Gazetters in U. P.	567
7711	उच्च अध्ययन संस्था, शिमला	Institute of Advanced Studies,Simla	567
7712	आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Pak Infiltration in Assam	567-568
7713	पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त शरणार्थियों द्वारा अन्य राज्यों के पुनर्वास स्थलों का त्याग	Desertion of Rehabilitation Sites out side West Bengal by Refugees	568-569
7714	मजुरी को मूल्यों की वृद्धि के साथ जोड़ना	Linking Wages with rise in Prices ..	569-570
7715	पश्चिम बगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्यायें	Problems of East Pakistan Refugees in West Bengal	570

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

7716	मनीपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्मा के लोगों का घुस आना	Crossing over of Burmese in Border Areas of Manipur	571
7717	निजाम हैदराबाद की निजी थैली	Privy Purse of the Nizam of Hyderabad ...	571
7718	मकान गणना	Houses Census ..	572
7719	नक्सलबाड़ी में उग्र वामपन्थी	Ultra leftists in Naxalbari	572–573

अल्प सूचना प्रश्न /S. N. Q.

4	गुजरात में माल डिब्बों की कमी	Shortage of Railway Wagon in Gujarat ...	573-574
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रक्रिया)	Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Procedure)	574 & 575
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	574 & 575
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	574 & 576
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bill and Resolutions	577
	ग्यारहवां प्रतिवेदन	Eleventh Report	577
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	577
	आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	577
	विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक (पुर:स्थापित)	Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Amendment Bill (Introduced) ...	578
	बाट और माप मानक (जिला कोहिमा तथा मोकोकचुंग पर विस्तारण) विधेयक	Standards of Weights and Measures (Extension to Kohima and Mokokchung Districts) Bill..	578
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	
	श्री शफी कुरेशी	Shri Shafi Qureshi	578
	श्री नंजा गोंडर	Shri Nanja Gowder	579

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ... —	579
श्री दी. चं शर्मा	Shri D. C. Sharma —	579
श्री मेघचन्द्र	Shri Megha Chandra	580
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon ...	581
खण्ड 2 तथा 1	Clauses 2 and 1 ..	582
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	582
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1964–65	Demands for Excess Grants (Railways), 1964–65	583
श्री शिवप्पा	Shri N. Shivappa ... —	583
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee ..	584
श्री एस. एम. जोशी	Shri S. M. Joshi	585
श्री अ. सिं. सहगल	Shri A. S. Saigal	585
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa ..	585
श्री ना. नि. पटेल	Shri N. N. Patel ...	586
श्री अंबचेजियान	Shri Anbichezhian —	587
श्री सोनावने	Shri Sonavane ...	588
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti ...	588
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	589
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	589
श्री चे. मु. पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	590
वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के चौदहवें व पन्द्रहवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Fourteenth and Fifteenth Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1964–65 and 1965–66 ...	592–597

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

श्रीमती फलरेणु गृह	Shrimati Phulrenu Guha	592
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	594
श्री नंजा गोंडर	Shri Nanja Gowder ...	595
श्री प्र. रं ठाकुर	Shri P. R. Thakur	595
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri S. M. Solanki	597
पुलिस बल (अधिकारों का निबन्धन) नियमों के बारे में प्रस्ताव (अस्वीकृत)	Motion Re. Police Forces (Resriction of Rights) Rules-(Negatived)	597
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	597
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ..	598
श्री दी. चं शर्मा	Shri D. C. Sharma ...	599
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	599
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	600
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Shrinibas Misra	600
श्री रणधीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	600
श्री रा ढ़ो भंडारे	Shri R. D. Bhandare ...	600
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	601
श्री पाशाभाई पटेल	Shri Pashabhai Patel	601
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	601
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	601
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	6.2
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	604

प्रश्नों के लिखित उत्तर— जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

पूर्वी पाकिस्तान में बौद्ध अल्प संख्यकों पर अत्याचार	Atrocities on Buddist minorities in East Pakistan ...	604
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	604
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla ..	604
गन्ने की दुलर्भता के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Scarcity of Sugarcane	605-608
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ...	605
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde ..	607

लोक-सभा वाद-विवाद का

अनुदित संस्करण

2 अगस्त, 1967 । 11 श्रावण , 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
464	नीचे से पंक्ति 2 में ' Shri Vidya Charan Shukla ' के स्थान पर ' Shri K.S. Ramaswamy ' पढ़िये ।
477	नीचे से पंक्ति 2 में '2673 ' के स्थान पर '2873 'पढ़िये ।
480	नीचे से पंक्ति 8 में ' India Distt' के स्थान पर ' Nadia Distt ' पढ़िये ।
493	अन्तिम पंक्ति के बाद '(घ) जी नहीं । (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता । ' भी पढ़िये ।
504	नीचे से पंक्ति 7 में 'जुलाई ' से पहले '5 ' भी पढ़िये ।
505	नीचे से पंक्ति 2 में 'पाकिस्तान ' से पहले 'पूर्वी ' भी पढ़िये ।
561	प्रश्न संख्या 7697 का शीर्षक ' Scientisits ' Pool ' भी पढ़िये ।
605	पैरा 2 और 3 के बीच (श्री गु. सिं.ढिल्लों पीठासीन हुए Shri G.S. Dhillon in the Chair _7 भी पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 2 अगस्त, 1967 / 11 श्रावण, 1889 (शक)
Wednesday, August 2, 1967/Sravana 11, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मिजो गांवों का पुनर्वर्गीकरण

+
***1527. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजो गांवों के पुनर्वर्गीकरण तथा स्थायी पुनर्वास की योजना कहां तक तैयार कर ली गई है; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप मिजो आदिम जातियां बहुत सन्तुष्ट हो गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) बैरागंते-ऐजल-लुंगलेड सड़क के दोनों ओर दस मील तक की दूरी के लगभग 100 गांवों को 18 केन्द्रों में वर्गीकृत करने का काम 15 फरवरी, 1967 तक पूरा कर लिया गया। इन गांवों के निवासियों को इस व्यवस्था से सामान्यतः संतोष है और वे अपने आपको उस समय की अपेक्षा अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं जबकि वे दूर दूर बिखरे हुए गांवों में रहते थे।

Shri Madhu Limaye : May I know the percentage of total population of Mizo district which has been rehabilated in the regrouped villagers by you with in a distance of 10 miles.

श्री यशवन्त राव चव्हारण : वर्गीकरण पद्धति में लगभग 44.000 लोग आते हैं। इसलिये प्रश्न प्रतिशतता का निकालने का है ।

Shri Madhu Limaye : May I know the arrangement made by the Government for the mode of transportation for persons working as agriculturists etc. to reach to their place of work and what steps have been taken by Government to remove their difficulti es in this regard ?

श्री यशवन्त राव चव्हारण : पुनर्वर्गीकरण पद्धति में आने से पहले वे लोग अपनी भूमि पर झूमिया खेती किया करते थे जो केवल कुछ ही वर्षों के लिये की जाती है और तब वे खेती की पद्धति बदल देते थे । अब जब वे यहां आ गये हैं तो उन्हें भूमि दी जा रही है । और हमारी मंशा यह है कि इस झूमियां कृषि के स्थान पर धीरे धीरे गहन खेती की जाये । इस प्रयोजन के लिये कुछ तकनीकी सहायता की देने व्यवस्था की जा रही है । परन्तु इस बीच उन्हें कुछ निशुल्क राशन देना बहुत आवश्यक था ताकि वे इस क्षेत्र में बस सकें ।

Shri Madhu Limaye : What about other jobs.

श्री यशवन्त राव चव्हारण : जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है एक दल यह पता लगाने के लिये यहां से जायेगा कि उन्हें कौनसा अन्य रोजगार दिया जा सकता है । इसका केवल यही उद्देश्य नहीं होगा बल्कि इसका सामान्य प्रयोजन यह पता लगाना होगा कि इस क्षेत्र में कौन से अन्य विकास कार्य हो सकते हैं । जब वे कुछ विकास कार्यों पर विचार करेंगे तो वे निश्चय ही इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि उन्हें कौन से अन्य रोजगार दिये जा सकते हैं ।

श्री स०मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाई गई है कि जबकि योजना बन चुकी है विद्रोही नागा इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तथा क्या यह सच है उनके नेता लाल ढेंगा, जिसे देश के बाहर चला गया समझा गया था, वह 50 सशस्त्र मिजो लोगों की सहायता के पुनः उस क्षेत्र में आ गया हैं और वह सारी चीज का विरोध कर रहा है । क्या मैं जान सकता हूँ कि इसमें क्या सच्चाई है ।

श्री यशवन्त राव चव्हारण : यदि हमें लाल ढेंगा की मंशा पर चलना है तो वह चाहेगा कि भारत प्रशासन वहां से चले जाये । अतः हमने वर्गीकरण पद्धति लाल ढंगा के प्रयास को विफल करने के लिये ही आरम्भ की थी । मेरी जानकारी के अनुसार वह अब पूर्वी पाकिस्तान में है—

श्री हेम बरुआ : वह वापिस आ गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं । क्या आपके पास अधिक जानकारी है । उन्हें प्रश्न का उत्तर देने दीजिये ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : निस्सन्देह जब विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में और आदिम जातिय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपना गांव छोड़कर जाने के लिये कहा जाये तो उनकी तरफ से हिचकिचाहट होगी, वे इसे पसन्द नहीं करेंगे। परन्तु कुछ समय बीतने पर उनका संकोच दूर होने के बाद इस ग्राम वर्गीकरण पद्धति में कुछ महीने के बाद वे महसूस करते हैं कि यह पद्धति कुछ हद तक संतोषजनक है। इसका एक कारण यह है कि वे इससे अपने आपको अधिक सुरक्षित समझते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैने यह कहा था कि समाचार पत्र में यह खबर छपी थी कि लाल ढेंगा पूर्वी पाकिस्तान से लौट आया है और उसकी 50 सशस्त्र मिजो उस चेत्र में आ कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी जानकारी यह है कि वह अब भी पूर्वी पाकिस्तान में है।

Shri George Fernandes ; The hon. Minister has told that about 46,000 persons are at present involved in this grouping system. Thus it becomes clear that Government has not been able to do anything so far for the rehabilitation of most of Mizos. My point is that on the one hand hostile Mizos and on the other hand our military forces in that area are at a alagged drawn with each other than shall this Government be able to solve this problem by rehabilitating 40 or 50 thousand persons ? Secondly I would like to know how far it is true that the method of regrouping and rehabilitation adopted by Government in Mizo areas is based on the method of regrouping being adopted in South Viatnam by the Americans and whether it is a fact that the same has been adopted after their consultation ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जो प्रश्न उन्होंने किया है वह यह है कि क्या हम इस योजना को अन्य मिजो क्षेत्रों में भी लागू कर रहे हैं जिस पर मेरा उत्तर यह है कि इस समय नहीं। इसका कारण यह है कि हमने इस वर्गीकरण योजना को तीन उपक्रमों में पूरा करने का विचार किया था तथा वे तीनों प्रक्रम अब पूरे हो चुके हैं। इस वर्गीकरण योजना का मुख्य लक्ष्य इन क्षेत्रों को अधिक सुरक्षित करना था जहां कि मिजो विद्रोही अधिक गति-विधियां कर रहे थें। वे इन क्षेत्रों में अधिक गतिविधियां इसलिये कर रहे थे क्योंकि इस क्षेत्र के माध्यम से सिल्चर से ऐजल और लुंगलेह तक महत्व पूर्ण संचार सड़क गुजरती है। इसी कारण उन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता दी थी। यह योजना इन लोगों को अधिक सुरक्षा प्रधान करने के उद्देश्य से तथा संचार व्यवस्था को अधिक सुरक्षित सुदृढ़ करने के लिये ही आरम्भ की गई थी।

प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्या इसका सम्बन्ध वियतनाम में हो रही घटताओं से है। मुझे पता नहीं कि वियतनाम में वे क्या कर रहे हैं। परन्तु जो वियतनाम में हो रहा है और जो मिजो क्षेत्र में हो रहा है इन दोनों में कोई समानता नहीं है। इन दोनों क्षेत्रों की समस्यायें बिल्कुल भिन्न हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has just now told that 100 Villagers have been regrouped. I would like to know whether these persons who have been rehabilitated have been provided with land or other jobs because as the hon. Minister has told they were accustomed to special type of agriculture ?

Shri Y. B. Chawan : While giving reply to the question of Shri Madhu Limaye's question I had told that we are trying to do whatever is possible. They are being given land and efforts are being made to replace Jhumia system of clutivation.

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : क्या मिजो जिले में पाविलाखेर में गांवों का वर्गीकरण आरंभ हो गया हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी क्योंकि विद्रोही मिजो उन्हें तंग कर रहे हैं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैने कहा है कि इस समय इसका विस्तार करने की कोई मंशा नहीं है ।

श्री स्वैल : मंत्री महोदय ने कहा कि इन 18 केन्द्रों में रहने वाले मिजो ग्रामीणों को इन केन्द्रों की स्थिति संतोषजनक लगी है । अब मुझे इस बात की हैरानी लगती है कि क्या स्थिति का व्यक्तिगत अनुमान लगाया गया है अथवा यह मिजो लोगों और मिजो नेताओं द्वारा व्यक्त की गई राय और उन द्वारा दिये गये वक्तव्य पर आधारित है । यदि यह मिजो नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों पर आधारित है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वे मिजो नेता कौन है और उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिये हैं ।

तब मुझे बताया गया था कि इन बहुत से केन्द्रों का प्रशासन सैनिक प्रशासन से लेकर सिविल प्रशासन के हाथ में दे दिया गया हैं । अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच हैं कि प्रशासन के सिविल प्राधिकारियों के पास आ जाने के पश्चात् इन केन्द्रों की हालत पहले से भी बहुत खराब हो गई है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी, नहीं ।

श्री स्वैल : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उनके प्रश्न का पहला भाग था कि जो वक्तव्य हमने दिया है वह व्यक्तिगत था अथवा विषयगत । जहां तक मैं समझता हूं यह विषयगत अनुमान है क्यों कि कोई व्यक्ति संतुष्ट है अथवा नहीं यह उसकी व्यक्तिगत भावना पर निर्भर करता है । हमने ऐसा किसी व्यक्तिगत नेता अथवा किसी दल के अनुमान पर नहीं किया है । यह उस विचारधारा का परिणाम है जो हमने, अपने सिविल प्रशासन तथा सम्पूर्ण दल के साथ बातचीत करके अपनाई थी ।

Shri Prem Chand Verma : May I know how much land is being given to each family of persons who are being rehabilitated in the areas being regrouped and what facilities are being provided to them for culti vation of their land.

May I also know whether the Panchayat system will also be introduced in this area so that those persons could get part in administration and felt satisfied.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर पहले दूंगा । सच्चाई तो यह है कि उन क्षेत्रों में पंचायत राज्य की प्रणाली पहले ही है ।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मुझे इस प्रश्न पर और रिपोर्ट लेने के लिये प्रतिक्षा करनी पड़ेगी कि विभिन्न परिवारों आदि को सही सही कितनी भूमि दी जायेगी।

श्री हेम बरुआ : इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि मिजो नैशनल फ्रंट के प्रधान मि० लाल ढेंगा, जो लाल खां के नाम से पाकिस्तानी पास के साथ लंदन गये हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान में कुछ समय व्यतीत करने के बाद मिजो पहाड़ियों में आ गये हैं और उनके वापिस आने पर विद्रोही मिजो लोगों की हिंसात्मक गतिविधियां और बढ़ गई हैं। उस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बात सच है कि विद्रोही मिजो इस समय विशेषकर सरकारी कार्यालयों और पुनर्वर्गीकृत गांवों पर हमला कर रहे हैं और यदि हां, तो विद्रोही मिजो लोगों के हमलों से, जो मि० लाल ढेंगा को निष्कासित करने से बढ़ गये हैं पुनर्वर्गीकृत गांवों को सुरक्षित रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : लाल ढेंगा के बारे में मैंने कहा है कि यह सच है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि वह ब्रिटेन गया था।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तानी पारपत्र के साथ !

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पाकिस्तानी पारपत्र के साथ वह वहां गया। तथा कुछ यूरोपीय देशों का दौरा करने के बाद वह पूर्वी पाकिस्तान में वापिस आ गया मालूम पड़ता है।

श्री हेम बरुआ : तथा उन्होंने लालखां का नाम लिया था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरी जानकारी तो यह है कि वह अब भी पूर्वी पाकिस्तान में हैं। यह सच है कि इन विद्रोही मिजो ने हाल में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है तथा वे प्रशासन के कर्मचारियों को अपना लक्ष्य बना रहे हैं, क्योंकि वे भारत के प्रति लोगों की निष्ठा को भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा यही उनका मुख्य उद्देश्य है। अतः सम्भवतया वे उस दिशा में काम कर रहे हैं। वे इसलिए अधिक रुष्ठ हो गये हैं क्योंकि इस वर्गीकरण पद्धति से उनकी शक्ति को ठेस पहुंची है, क्योंकि उन्होंने इन गांवों को अपने कार्य संचालन का अड्डा बनाया हुआ था और जब उन्हें यह पता चला कि वे उनके नियन्त्रण से बाहर आ रहे हैं तो वे अधिक रुष्ठ हो गये प्रतीत पड़ते हैं और उन्होंने अपनी गतिविधियों को ओर तीव्र कर दिया है।

Shri Shashiranjan : I think this is also one of the cavses of intensification of activities of Nagas and Mizos that the propaganda done by Christian Missioneries has been intensified. May I know whether Government propose to give facilities and encouragement to other Missionaries in India so that they may also go there and do propaganda in order to curtail the activities their which have been intensified by the propoganda of Christian Missionaries ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से इस मामले की चर्चा मैं इस प्रकार के तत्व को लाना गलती होगी। परन्तु निस्सन्देह, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, कुछ विदेशी धर्मप्रचारक

वहां बहुत असर नहीं डाल सके। परन्तु इस मामले में इस धार्मिक तत्व को लाने की आवश्यकता है।

श्री हेम बरुग्रा : हाल में चार धर्मप्रचारकों को ग्रासाम से निकाल दिया गया था।

श्री बलराज मधोक : गांवों का इस प्रकार का वर्गीकरण दो हालतों में किया जाता है या तो देश में उपद्रवों का मुकाबला करने के लिए जैसे मिजो पहाड़ियों में किया गया है, और या विदेशों से घुसपैठ को रोकने के लिये, जैसा कि इसराइल में किया गया है। इस देश में हमें दोनों प्रकार की स्थितियों का समाना करना पड़ रहा है। हमारे देश के कुछ भागों में आन्तरिक उपद्रव हो रहे हैं तथा विदेशों से बड़े पैमाने पर घुसपैठ भी हो रही है। अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार अब तक हुए अनुभव के आधार पर तथा मिजो पहाड़ियों में जो हुआ है उसके अनुभव के आधार पर तथा अन्य देशों के, विशेषकर इसराइल के अनुभव के आधार पर सीमा क्षेत्रों पर लोगों का पुनर्वर्गीकरण करेगी ताकि घुसपैठ ग्रौर समाज-विरोधी तत्वों को, जो उन क्षेत्रों में शत्रुओं की सहायता कर रहे हैं, रोका जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : गांवों का पुनर्वर्गीकरण एक ऐसी चीज नहीं है जो हम सीमा क्षेत्रों में कर सकते हैं। जहां यह आवश्यक समझा जाता है और जहां इसके सफल होने की आशा की जाती है, हम उस पर विचार करते हैं परन्तु यह आवास का सामान्य तरीका नहीं है जो हम सीमा क्षेत्रों के लिए आरम्भ कर सकते हैं।

श्री दी० च० शर्मा : जाहिर है कि मिजो पहाड़ी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। यदि मैं कह सकता हूं तो स्थिति इस प्रकार है। एक भाग को सुरक्षित गांव कहा जा सकता है तथा दूसरे भाग को वे गांव कहा जा सकता है जो पहले थे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि वे गांव, जैसे वे पहले थे, अपनी सुरक्षा की भावना को नहीं खोते हैं तथा सुरक्षित गांवों को सैनिक अथवा सिविल प्रशासन अथवा अन्य तरीकों से अधिकार सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए क्या ग्रतिरिक्त उपाय किये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : गांवों के सुरक्षित और असुरक्षित श्रेणीकरण से मैं सहमत नही हूं। जब मैं गांवों के वर्गीकरण की बात करता हूं तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि केवल उन गांवों की ही सुरक्षा की जाती है और दूसरे गांवों की सुरक्षा नहीं की जाती है। इस प्रकार श्रेणियां करना गलत बात है तथा जब एक बार यह तथ्य गलत हो जाता है तो उस पर आधारित सभी तर्क गलत हो जाते हैं। निस्सन्देह अन्य क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था की जाती हैं।

प्रश्न संख्या 1528 के बारे में

RE : QUESTION NO. 1528

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न 1528।

श्री स० मो० बनर्जी : यह प्रश्न कलिंग एयरवेज के बारे में हैं परन्तु इसका उत्तर गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा दिया जा रहा है। भुगतान तो वित्त मन्त्रालय द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विमान से सामान गिराने के बारे में है।

श्री प्र० के० देव : वह काम तो प्रतिरक्षा मन्त्रालय का है। गृह-कार्य मन्त्रालय इसमें कैसे आता है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : क्योंकि नेफा और उन क्षेत्रों का सम्बन्ध हम से है।

कलिंग एयरवेज़ को भुगतान

+

***1528. श्री ना० स्व० शर्मा :** **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री शारदा नन्द :**
श्री बृजभूषण लाल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलिंग एयरवेज को अन्तःकालीन आधार पर एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है;

(ख) क्या सरकार छः वर्षों से अधिक समय से भुगतान के बारे में अन्तिम रूप से फैसला नहीं कर सकी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी हां श्रीमान्। मई, 1960 से मार्च, 1966 की अवधि के दौरान मेसर्ज कलिंग एयर लाइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड को, कम्पनी के साथ किए गए पहले दो ठेकों की धारा 7 (ख) और तीसरे ठेके की धारा 7 (ग) के अनुसार 1,53,55,648 रुपये की राशि अन्तःकालीन आधार पर दी जा चुकी है।

पहले दो ठेकों के दौरान मेसेर्ज कलिंग एयर लाइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, को मई, 1960 से जून, 1964 तक अन्तःकालीन आधार पर किये गये भुगतान को इसलिए अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि ठेकों में उन क्षेत्रों के बारे में उड़ान के औसत समय के बारे में व्यवस्था नहीं की जिनमें मई, 1960 से पहले आई० ए० सी०, आई० ए० एफ० अथवा इन्दमार कम्पनी की वायुयान सेवाएं नहीं थी।

जहां तक तीसरे ठेके का सम्बन्ध है उड़ान के औसत समय की अधिसूचना में नेफा के पूर्ति तथा परिवहन निदेशक के रिकार्डों की एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल के रिकार्डों से जांच की

आवश्यकता और ठेके में। जुलाई, 1964 के बाद चालू होने वाले नये क्षेत्रों में उड़ान के ओसत समय के निर्धारण की व्यवस्था न होने के कारण देर लगी।

अब उड़ान के औसत समय अधिसूचित कर दिये गये हैं किन्तु कम्पनी ने नेफा प्रशासन के आकलन मंजूर नहीं किए और विवाद को पंच फैसले के लिए सौंपना चाहती है।

Shri N. S. Sharma : May I know whether an enquiry was conducted into the fact that the name of Shri Biju Patnaik was associated with the case of embezzelement before making payment to Kalinga Airways ?

Shri Vidya Charan Shukla : I had stated that the provisional payment was made to it because of the flew in the language of the contract. When the matter was finalised the said company took objection to it and asked for arbitration in the matter. Accordingly the matter was referred to the Ex.Chief Justice of Madras, Shri Raj Mannar for arbitration, Under the arbitration clause of the contract.

Shri N. S. Sharma : If the matter was to be referred to arbitration, why did the Government pay the sum of about 2½ Crores to it.

Shri Vidya Charan Shukla : It is this issue which has been is referred to the arbitration.

Shri Brij Bhushan Lal : May I know whether the Government will see that no further payment is made to it since the finalisation of the case.

Shri Vidya Charan Shukla : There is no question of further payment being made to that company. We think that we have already paid to it in excess.

Shri D. N. Tiwary : What is the rate of I. A. F. and what was the rate of M/s Kalinga Airways ? May I know whether a separate organization will be set-up for taking over the work of air-dropping or it will be entrusted to I.A.F. ?

Shri Vidya Charan Shukla : Public Accounts Committee has considered this point and recommended that this kind of work should not be given to private company and it should be carried on by some public sector undertaking. The Government have accepted that recommendation and so this work has been entrusted to I. A. F. since 1st July. As far as the expenditure is concerned, the work done by Air Force involves more expenditure. Moreover, the question of establishment of a new organisation for is being considered.

श्री प्र० के० देव : लोक लेखा समिति ने यह कहा है कि उक्त कम्पनी को 32 लाख रुपये विमान से माल गिराने के लिए दिये गये थे, परन्तु इस कम्पनी ने उतने मूल्य का कार्य नहीं किया है। दूसरे उस पर 40 लाख रुपये का आयकर बकाया है। क्या सरकार उस कम्पनी से यह राशि वापिस लेने के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि इसके विमानों को नेपाल की विमान सेवा को बेचा जा रहा है और कम्पनी को समाप्त किया जा रहा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहाँ तक अधिक भुगतान की बात है, उस बारे में मध्यस्थ नियुक्त कर दिया गया है। शेष मामलों में वित्त मन्त्रालय छानबीन कर रहा है।

श्री प्र० के० देव : मेरा प्रश्न यह था कि जब तक मध्यस्थ का निर्णय घोषित होगा तब तक कलिंग एयरवेज ही समाप्त हो जायेगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस मामले पर भी वित्त मंत्रालय ध्यान दे रहा है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : चूंकि कलिंग एयरवेज में नियुक्त विमान चालकों ने चीन के आक्रमण के समय बहुत ही सराहनीय काम किया था इसलिये क्या उन सबको नई सेवा में भर्ती कर लिया जायेगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जब नई विमान सेवा गठित हो जायेगी तब पुराने और काम करने योग्य सभी विमान चालकों को काम पर लगा लिया जायेगा। परन्तु इस विषय पर अभी आगे भी विचार होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन विषयों पर विचार करते समय क्या सरकार कर्मचारियों के हितों, सेवा की शर्तों और काम की सुरक्षा आदि पर भी विचार करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : नई सरकारी कम्पनी के बनने पर इस पर अवश्य ही विचार किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस कम्पनी को अधिक भुगतान 1960 से 1965 तक चलता रहा। इस समय में उसके भुगतान में से यह राशि क्यों नहीं घटादी गई। ठेके की शर्तों में गलती के लिए कौन जिम्मेदार है ? लोक लेखा समिति की कार्यवाही के आधार जांच समिति कब नियुक्त की गई थी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : लोक लेखा समिति ने अधिक भुगतान के बारे विस्तृत रूप से जांच की है। आय कर आदि की वसूली के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय कार्यवाही कर रहा है। तकनीकी समिति इस बात पर विचार कर रही है कि सरकारी कम्पनी किस प्रकार की हो।

श्री मधुकर सूपकार : विमान से माल डालने के काम पर कलिंग एयरवेज की अपेक्षा वायु सेना का खर्चा अधिक आता है। यदि हां, तो कब तक सरकारी कम्पनी स्थापित कर दी जायेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन सब विषयों पर विचार किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह वांछनीय नहीं है कि भारतीय वायु सेना स्वयं इस काम को करे। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भी सरकारी कम्पनी या निगम स्थापित किया जा रहा है, क्या उसकी योजना बनाली गई है और यदि हां तो वह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ? क्या यह कार्य वायु सेना द्वारा स्थायी रूप से किया जाता रहेगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसकी योजना बना ली गई है और उस पर विचार किया जा रहा है। वायु सेना द्वारा इस काम को किये जाने की व्यवस्था एक निश्चित समय के लिये

की गई थी। परन्तु हाल ही में वायु सेना ने यह इच्छा प्रकट की है कि वह यह काम स्थायी रूप से करते रहने के लिये तैयार है। इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

श्री न० कु० सांघी : ठेकेदार और सरकार के मध्य विवाद किस बात पर उत्पन्न हुआ ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ठेके के खण्ड 7 (क) और (ख) में यह व्यवस्था है कि जितना समय वायु सेना एयरलाइन्स कार्पोरेशन और इन्दमेर कम्पनी ने उड़ान के लिये लिया उसके आधार पर कलिंग एयरलाइन्स के उड़ान का समय निर्धारित किया जायेगा। परन्तु विमान से माल डालने का काम कलिंग एयरलाइन्स ऐसे क्षेत्रों में किया जहां अन्य कम्पनियां नहीं जाती थी। इसलिये इस सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके थे और इसलिये तब तक के लिये अस्थायी भुगतान कर दिया गया था, जब तक कि कोई स्थायी आधार बने। बाद में सरकार ने भुगतान का काम कम्पनी के सामने पेश किया जिस पर कम्पनी सहमत नहीं हुई। इस मतभेद के कारण यह मामला मध्यस्थ को सौंपा गया।

Shri Rabi Ray : Shri Biju Patnaik is the proprietor of Kalinga Airways. At the time of Chinese aggression this company was given the work of air dropping of blankets and other items imported from Jarmany for our Jawans in forward areas. These things were found being sold in the black-market in Lucknow and Calcutta. Who, except him is responsible for him ? Are the Government considering to penalize the person responsible ?

Shri Vidya Charan Shukla : Sir, these are wrong presumptions. We are doing in accordance with the recommendations of P. A. C.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या इस कम्पनी के विमान वाहकों ने सरकारी कम्पनी को अपनी सेवायें देने के लिये सरकार से निवेदन किया है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी, हां। उन्होंने सरकार को इस बारे में लिखा है, और उनके अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether any individuals officer has been held responsible for the overpayment of about 1.50 crores by way of an enquiry ordered into the matter ?

Shri Vidya Charan Shukla : The overpayment is not of the order of Rs. 15000000/-. It is the sum totally paid to M/s. Kalinga Airways. There is a small amount which has been overpaid- Interested Members may read the full details about it in the report of P.C. No individual officer has been held responsible therein. So other is no question of penalizing any body.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या लोक लेखा समिति के इस विषय पर विचार करने से पूर्व सरकार ने अधिक भुगतान की जांच के लिये कोई समिति नियुक्त की थी जिसने किसी अधि-

कारी को जिम्मेदार ठहराया हो और क्या जिम्मेदार अधिकारी को दंडित किया गया है या नहीं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उक्त कम्पनी को अन्तरिम भुगतान किसी निश्चित आधार पर नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा की रिपोर्ट से सरकार को इसकी जानकारी हुई। लोक लेखा समिति के सामने यह मामला आया और उसने इस बारे में विस्तृत जांच की। सरकार ने उसकी सिफारिशों को पूर्णतः मान लिया है और तदनुरूप कार्य कर रही है। इस प्रकार एक पृथक जांच समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री कृष्ण मूर्ति : वित्त मंत्री ने राज्य सभा में स्पष्ट रूप से बताया है कि श्री पटनायक पर आय कर की बकाया राशि को उसकी सम्पत्ति से वसूल नहीं किया जा सकता। अब मंत्री महोदय बता रहे हैं कि इसके बारे में जांच की जा रही है। सरकार उससे बकाया राशि और अधिक भुगतान को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : ये दोनों पृथक बातें हैं। एक अधिक भुगतान का सवाल है दूसरा आय कर का। अधिक भुगतान का मामला मध्यस्थ को सौंप दिया गया है और आय कर की वसूली के लिये वित्त मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

स्वर्गीय निजाम की पुत्री से उनकी सम्पत्ति में भाग के बारे में अभ्यावेदन

\+

***1529. श्री जार्ज फरनेंडीज :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री म० रं० कृष्ण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम इस सम्बन्ध में कोई वसीयतनामा छोड़ गये थे कि उनके धन तथा सम्पत्ति का उनके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार बंटवारा किया जाये;

(ख) क्या सरकार को शाहजादी पाशा से वर्तमान निजाम के विरुद्ध इस आशय के आरोप का कोई अभ्यावेदन मिला है कि उसको अपने पिता की सम्पत्ति में से उचित भाग नहीं मिला था; और

(ग) क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है कि स्वर्गीय निजाम ने केन्द्रीय सरकार के दबाव के कारण वर्तमान निजाम को अपना उत्तराधिकारी चुना था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार को स्वर्गीय निजाम के कोई वसीयत छोड़ने के बारे में ज्ञान नहीं है।

(ख) ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ग) स्वर्गीय निज़ाम का उत्तराधिकारी राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुच्छेद 366 की धारा 22 के अधीन मान्यता प्राप्त व्यक्ति है।

Shri George Fernandes ; Sir, this point raised in part (c) of the question has not been answered. The question is whether there is any truth in the report that the present Nizam was chosen as successor by the late Nizam under pressure from the Central Government. The reply given is that the successor of the late Nizam is the person recognised as such by the President. First, this part of the main question should be answered and then we should put the supplementaries.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : प्रश्न के इस भाग का उत्तर वास्तव में "नहीं" है। परन्तु मैंने नकारात्मक उत्तर देने की बजाय सकारात्मक उत्तर दिया हैं। मैंने कहा कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, निज़ाम को नहीं। मैंने सकारात्मक तरीके से उत्तर दिया है जिसको वह नहीं समझते हैं।

Shri George Fernandes : Has the hon. Minister received any report that the present Nizam has divested the daughter of ex-Nizam of her share in the property of the ex-Nizam ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण ; जैसा कि मैंने बताया मैंने समाचार पत्रों में इसके बारे में कुछ पढ़ा है। मुझे यह भी जानकारी है कि भूतपूर्व निज़ाम की एक बेटी उच्च न्यायालय में लेख याचिका दी है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री रंगा : क्या उनकी एक ही बेटी है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री कार्य प्रभारी है।

अध्यक्ष महोदय : भारत सरकार के घरेलू विभाग के कार्यप्रभारी हैं न कि निज़ाम के परिवार के।

Shri George Fernandes : Are Government aware that the present Nizam is trying to organise the ex-rulers in connection with the privy purses as has been reported in the 'Hindu' of 1st August, 1967 published from Madras ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : श्रीमान्, यह एक स्वतन्त्र देश है। माननीय सदस्य कार्मिक संघ के सदस्य हैं। राजाओं को भी अपना कार्मिक संघ बनाने का अधिकार है।

Shri Geroge Fernandes : Are Government aware that the Maharaja of Kashmir had also conferred with the Nizam ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether Government's attention been drawn to the press reports to the effect that the present Nizam has smuggled out enormous wealth into Turkey, if so, the quantity thereof and the measure taken to check that ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस बारे में मैने कुछ आरोप सुने हैं। जहां तक मैं जांच कर सका हूँ उसके अनुसार इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं है। परन्तु स्वभावतः इस मामले की जांच करनें के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

श्री जे० एच० पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निज़ाम की बेटी को उसके पिता की सम्पत्ति में उसके वैध अधिकार से वंचित कर दिया है, क्या यह कार्यवाही संविधान के विरुद्ध नहीं है जो कि स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करता ? यदि वह अदालत में अपने कष्टों के निवारण के लिये जाती हैं तो इसमें उसका पैसा भी लगेगा और काफी समय भी। उस औरत को इस मुसीबत से बचाने के लिये सरकार क्या करेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कठिनाई में पड़े सभी व्यक्तियों के लिये मुझे सहानुभुति है और स्वभावतः अविवाहित लड़कियों और बेवावों के लिये हमें सहानुभूति है। परन्तु में वास्तत में नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं। पहले तो मेरे पास कोई अभ्यावेदन नहीं आया है। दूसरे, यदि अभ्यावेदन भी आ जाये तो भी बिना वैध अधिकार के मैं कैसे कुछ कर सकता हूं।

Shri Madhu Limaye : Sir, I have received some letters from the younger brothers and sisters of in the princely families in which they have complained against the law of primageniture which to their utter disadvantage and divests them of their share in the ancestral property and they have asked me to raise this matter here. Does the hon. Minister propose to do anything in this regard ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कोई भी व्यक्ति जो कठिनाई में है गृह मंत्री से सहानुभूति का हक रखता है। और ऐसे मामले में सहानुभूतिपूर्वक जो भी किया जा सकता है किया जाना चाहिये। परन्तु मैं नहीं जानता कि कानूनी रूप से मैं क्या कर सकता हूँ। मैं श्री मधुलिमये को चेतावनी देता हूँ कि चूंकि उन्होंने इस मामले में अभ्यावेदन लेने आरम्भ कर दिये हैं..........

Shri Madhu Limaye : Sir, he is very much mistaken. I am in favour of abolishing all privy purses, but from a broader angle, I have sympathy for those in distress.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसलिये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि भविष्य में अन्य लोग भी उनके पास आ सकते हैं।

श्री म० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि राष्ट्रपति के आदेश में केवल यही दिया गया है कि भूतपूर्व निज़ाम के बेटे बेटियों और सम्बन्धियों के पोषण के लिये मुखरमजाह निजी थैली प्राप्त करेंगे। परन्तु गृह मंत्रालय ने यहां तक कह दिया है कि निज़ाम की निजी सम्पत्ति भी मुखरमजाह को सौंपने के लिये राज्य सरकार पुलिस की सहायता दे, जबकि बेटे बेटियां और सम्बन्धि संवैधानिक तौर पर इस सम्पत्ति में हक रखते हैं जिससे उन्हें वंचित कर दिया गया है। ऐसा विचार किया जाता है कि मरते समय निज़ाम संसार का सबसे अमीर व्यक्ति था और उसके पास 1600 करोड़ रु० थे। क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने निज़ाम की सम्पत्ति और आभूषणों की कोई सूची बनाई है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह फैसला किये जाने के पश्चात कि निजाम की सम्पत्ति क्या निजाम के आभूषणों और अन्य सम्पदा की एक सूची बनाई गई थी। इन आभूषणों का बड़ा भाग एक न्यास में शामिल है जिसमें सरकार का एक प्रतिनिधि है और इस न्यास के समस्त आभूषण बम्बई की एक बैंक में हैं।

अध्यक्ष महोदय : बेटे बेटियों को उनका हिस्सा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह प्रश्न उनकी निजी सम्पत्ति का नहीं है। निजी सम्पत्ति में किस का हक है, इसका फैसला यहां नहीं कर सकते।

श्री म० रं० कृष्ण : आपने पुलिस को अनुमति क्यों दी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है। यदि एक विशिष्ट प्रश्न पूछा जाये तो मैं इसका पता लगाऊंगा

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister just now stated in reply to a supplementary that no reprt has been received regarding the surreptitious conveyance of Jewellory by the Nixam to Turkey and that he is still looking into the matter.

Shri Y. B. Chavan ; I have not said that what I said is:

There are allegations of such matters. This information has been conveyed to the Finance Minister and necessary steps to check up this matter have been taken.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : सरकार को कमजोर की रक्षा करनी होगी। निजाम का उत्तराधिकारी केवल निजी थैली का हकदार है परन्तु उसकी निजी सम्पत्ति में से सब को कानून के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिये। अतः

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह फिर एक गलत चीज हैं। जब एक उत्तराधिकारी का फैसल हो जाता है तो वह न केवल निजी थैली के लिए ही हकदार हो जाता है अपितु उसे घोषित निजी सम्पत्ति में भी उत्तराधिकार मिल जाता है।

श्री रंगा : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे अध्यक्ष महोदय दो बार उस राज्य के मुख्य मन्त्री और उप-मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं और उनको इन सब चीजों का काफी अनुभव है, निजाम से सम्बन्धित इन नाबालग और अन्य कम्पनियों की सहायता करने के सम्बन्ध में उनसे परामर्श करना अच्छा होगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे द्वारा किसी व्यक्ति से परामर्श करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रा० बरुआ : प्रश्न के भाग (क) और (ख) से पता चलता है कि मुकदमा निजाम की पौत्री और उसके भाई में है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि यदि दो सामूहिक व्यक्तियों के बीच मुकदमें के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जाये तो उसे स्वीकार कर लिया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : वे बहन भाई नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that the luggage of princes is not checked of the airports while that of other passengers is checked, may I know what arrangements have been made to ensure that valuable jewellery is not taken by the Nizam to Turkey where he usually resides and which is his in-laws also ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्यों से और अन्यव्यक्तियों से भी मुझे इस प्रकार के कुछ आरोप प्राप्त हुए थे और मैंने वे सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अर्थात वित्त मंत्रालय को भेज दिये हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मन्त्री ने कहा कि भूतपूर्व निजाम के कुछ हीरे जवाहरात एक धर्मार्थ न्यास के अन्तर्गत साथ लाये गये हैं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : धर्मार्थ न्यास नहीं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इसको न्यास के अन्तर्गत रखा गया है और सरकारी प्रतिनिधि का भी इससे सम्बन्ध है। क्या सरकार के पास ऐसे कुछ लक्ष्य है जिनसे यह विदित होता हो कि इन न्यासों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इनका लाभ उन व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है जिनके लिये ये बनाये गये थे जैसे कि निजाम के पुत्र और पौत्र ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य फिर मामले को उलझा रहे हैं। मैंने एक विशिष्ट न्यास के बारे में कहा है। निजाम ने कई न्यास स्थापित किये हैं। परन्तु मैंने उस न्यास का उल्लेख किया है जिसके अन्तर्गत हीरे जवाहरात को बम्बई के एक बैंक में रखा गया है। अन्य न्यासों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

+

***1530. श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम मनोहर लोहिया :
जार्ज फरनेन्डीज :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न भागों में कितने पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति नियुक्त हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि किन-किन विभागों ने इस नीतिका कि नौकरियों में 17 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति होने चाहिए, अभी पालन नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

उप गृह कार्य मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये स्थानों का आरक्षण, सेवाओं और पदों में केवल सीधे भर्ती द्वारा रिक्त स्थान को भरे जाने पर और तीसरी और चौथी श्रेणी के उन रिक्त स्थानों में पदोन्नति, चयन और विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है, जहां सीधी भर्ती नहीं की जाती । अतः सेवाओं और पदों में समय समय पर होने वाले रिक्त स्थानों पर सीधी भरती करते समय कोटे के आरक्षण का पालन किया जाता है और सेवाओं और पदों के रिक्त स्थानों को पदोन्नति से भरते समय उन पदों पर अनुमति प्राप्त सीमा तक आरक्षण किया जाता हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व करने के लिये ग्रेड, सेवाओं मन्त्रालय । विभाग में कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया हैं ।

मंत्रालयों । विभागों सम्बद्ध और अधीन कार्यालयों में खाली पदों को सीधे या पदोन्नति के तरीकों जैसे प्रतिनियुक्ति या स्थायी स्थानपन्न से न भर कर अन्य तरीकों से की जाती है । जब कभी प्रतिनियुक्ति या स्थायी स्थानापन्न से रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है तब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नहीं किया जाता पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली श्रेणी 'एक' और श्रेणी दो के पदों के लिए भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये स्थान आरक्षित नहीं रखे जाते । सीधे रिक्त स्थानों में भर्ती करने या जहां पदोन्नति द्वारा भर्ती करने की व्यवस्था है उन स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती निर्धारित औसत पर मंत्रालय विभाग । सम्बद्ध कार्यालय । अधीनस्थ कार्यालय में होती है । इन प्रश्नों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये गृह कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री एम० आर० यार्डी के नेतृत्व में एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गई है (1) केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती में सुधार करना (2) खेती के लिये उपलब्ध भूमि पर अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के लिये और अधिक प्रयास करना ।

काम दिलाऊ और प्रशिक्षण के महानिदेशक भी, कुछ दिन पूर्व काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और राजकीय उपक्रमों में आरक्षित रिक्त स्थानों के स्थान पर अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को रखने के सर्वेक्षण कार्य में लगे हैं । यह सर्वेक्षण ऊपर उल्लेखित कार्यकारी दल के अनुरोध पर किया जा रहा है । अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सेवाओं में अधिक संख्या में लेने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye: I want to know whether the Government have fixed some period say one, two or four years by which time their quota of $17\frac{1}{2}$ percent representation of the Scheduled Castes and tribes in the Central Government Services Can be fulfilled. I want to know whether the Government would fix certain period to achieve this aim ?

श्री के० एस० रामास्वामी : सर्व प्रथम मैं यह कहूंगा कि यह आरक्षण 17½ प्रसिशत न होकर केवल 10½ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये है और 5 प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लिये है

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये हमने कोई समय सीमा नियत की है । हमने ऐसी कोई समय सीमा नियत नहीं की है । हमारा यही प्रयास रहता है कि हम इन रिक्त स्थानों को लगातार भरते रहें और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं । मैं आंकड़े दे सकता हूं जिनसे यह विदित होता है कि प्रत्येक वर्ष इन आरक्षित रिक्त स्थानों के भरने में वृद्धि हो रही है और हमारा प्रयास इसमें वृद्धि करने का रहता है ताकि यह सब रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से भरे जा सकें ।

Shri Madhu Limaye : The Commissioner has mentioned in his report.

"The non availability of suitable candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is put forward as a reason for non-recruitment on so many occasions, that this has become a major issue and requires to bo proved in detail."

So you will not be able to achieve your aim unless you fix some time limit. I want to know whether you are fixing the time limit or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : So far no time limit has been fixed. Hon. Minister is already aware of the difficulties arise by fixing time limit. Therefore, inspite of our desire to fix the time limit we are not able to do. As I have told that we are doing efforts to fulfil reserved vacancies out of scheduled caste and scheduled castes tribes.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में तिब्बती लोगों का प्रवेश

***1531. श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम किशन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1967 के 'पेट्रियाट' समाचार पत्र 'उत्तर प्रदेश विधान सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा तिब्बती लोगों के प्रवेश के समाचार की पुष्टि, शीर्षक के अन्तर्गत छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि तिब्बती लोग माना दर्रे से होकर भारतीय राज्यक्षेत्र में घुस आये हैं और उन्हें चमोली के आस पास देखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार ने 30 जुलाई 1967 को पेट्रियाट में प्रकाशित इस समाचार को देखा है ।

(ख) सरकार इस स्थिति से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में सतर्क है और देश की सुरक्षा के लिऐ हर सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं ।

India Office Library

*1532. **Shri S. C. Samanta :**
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri T. K. Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwanath Pandey :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the progress made in getting India Office Library in London transferred to India and the hurdles in the way to get it transferred ;

(b) the steps being taken by Government to solve this question at the earliest ; and

(c) whether the agreement reached between India and Pakistan in this matter still exists or any change is likely to be made therein ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : The Government of India have agreed to the proposal of the Government of the U. K. regarding the law to be applied by the Tribunal for the settlement of the question. The decision of the Government of Pakistan has not yet been recieved.

(b) Every endeavour is being made with the U. K. Government to have the settlement at an early date.

(c) Yes, Sir, except that as already stated, the decision of the Pakistan Government to the question of law to be applied, is awaited.

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए कालकाजी, दिल्ली में भूमि का विकास

*1533. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री स० चं० सामंत :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तात से आगे वाले विस्थापित लोगों के लिये कालकाजी, दिल्ली में भूमि को पूरी तरह विकास करके नियतन के लिए तैयार कर लिया गया हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी भूमि का विकास कर लिया गया है ;

(ग) शेष भूमि को कब तक विकसित करने का तथा अलॉट करने का विचार है ;

(घ) क्या भूमि विस्थापितों की संस्थाओं; सहकारी समितियों अथवा व्यक्तियों के माध्यम से अलॉट की जायेगी ; और

(ङ) इस बारे में भूमि अलॉट करने की क्या शर्तें हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ) 1 अप्रैल, 1958 से पहले पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को प्लाट आवंटित करने हेतु एक बस्ती के लिए लगभग 218 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 4 एकड़ और 1.5 एकड़ दो टुकड़े अनाधिकृत कब्जे में है और शेष क्षेत्र का विकास किया जा रहा हैं। लगभग 75 प्रतिशत विकास कार्य पूरा हो चुका है और शेष काम के एक वर्ष में पूरा होने की आशा है। प्लाट सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1958 से पहले पूर्व पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित किये जायेंगे जो दिल्ली में लाभप्रद काम कर रहे हैं और जिनके अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई मकान या प्लाट नहीं है। किश्त भूमि के अर्जन तथा विकास की वास्तविक लागत के आधार पर ली जायेगी जो कि लगभग 30 रु० प्रति वर्ग गज है। राशि आरम्भिक निक्षेप के रुप में 20 प्रतिशत की दर से और शेष ब्याज सहित 4 समान वार्षिक किश्तों में वसूल की जायेगी। भूमि का किराया किश्त की राशि के 3 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा।

शिक्षा हेतु अमरीकी उपकरण

***1534. श्री अ० कु० किस्कु :**
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अब्दुल गनी डार :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या शिक्षा मन्त्री 14 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2480 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी विशेष शिक्षण संस्थाएं सरकार की दृष्टि में है जहां पर अमरीकी सरकार से प्राप्त धन का उपयोग किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) ऋण का उपयोग विश्वविद्यालय विज्ञान विभागों, तकनीकी संस्थाओं तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा आवश्यक वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपकरण, और शिक्षण सहायक उपकरणों आदि के आयात के लिये किया जाएगा। ऐसी सभी संस्थाओं की सूचि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य संस्थाओं के परामर्श से तैयार की जा रही है।

प्रधान मन्त्री का उड़ीसा का दौरा

***1535. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मन्त्री 31 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने प्रधान मन्त्री के उड़ीसा के दौरे के समय उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के मामले की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा की गई जांच का ब्यौरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । प्रतिक्षा की जा रही है ।

भारतीय अमरीकी शिक्षा संस्थान

***1536. श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री श्रीधरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री रमानी :
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री चक्रपाणि :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री बेदव्रत बरुआ :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री रवि राय :
श्री मेघचन्द्र :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्मा दास
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मरंडी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री दे० अमात :
श्री गु० च० नायक :
श्री नायनार :
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या शिक्षा मन्त्री 14 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2415 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारत अमरीकी संस्थान के बारे में फिर कोई प्रस्ताव हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : पिछली मई में अमेरिकी राजदूत के साथ इस मामले में हुई संक्षिप्त चर्चा के आगे और कोई बात नहीं चली है ।

Ill Treatment to Satyagrahis in Tihar Jail

***1537. Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint regarding the ill treatment to the Satyagrahis detained in Tihar jail in connection with the anti cow slaughter agitation and when they are released they are left in far-flung forests ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard :

(c) whether such action is in accordance with the policy of Government ;

(d) if not, whether the jail authorities do so of their own accord ; and

(e) if so, the action Government propose to take against the concerned officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : No Sir.

(b) to (e) Do not arise.

आदिम जातीय संस्कृति अनुसन्धान संस्था

***1539. श्री रा० बरुआ :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातीय संस्कृति अनुसंधान संस्था स्थापित करने के लिए गोहाटी विश्वविद्यालय को कोई सहायता दी गई थी ;

(ग) क्या उपर्युक्त संस्था के उद्देश्य विधिवत तैयार किये गये थे और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय ने इस संस्था के उद्देश्यों के अनुसार कार्य किया था और इस सम्बन्ध में उनके अनुसार कितनी सफलता मिली है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) गोहाटी विश्वविद्यालय में कोई आदिम जातीय सांस्कृति अनुसन्धान संस्थान नहीं है तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आसाम सरकार की वित्तीय सहायता से 1955 में विश्वविद्यालय द्वारा लोक गीत अनुसन्धान की एक योजना आरम्भ की गई थी। योजना के उद्देश्यों में आदिम जातीय संस्कृति और लोकगीत से सम्बन्धित सामग्री का इकट्ठा किया जाना, सामग्री का वर्गीकरण, उसकी छानबीन, अनुवाद और प्रकाशन तथा उसका भाषाई विश्लेषण शामिल है। योजना 3 वर्षों में पूरी की जानी थी। इस पर 48,800 रु० व्यय होना था जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा 80 : 20 के अनुपात से बहन किया जाना था 1954–55 से 1957–58 की अवधि में आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 23, 440 रु० और 9,760 रु० के अनुदान दिये गये थे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने आदिम जातीय सस्कृति और लोकगीत की योजनाओं के लिये 1959–60 में विश्वविद्यालय को 25,000 रु० का अनुदान दिया था। इस योजना के लिये आयोग या राज्य सरकार द्वारा तृतीय योजनावधि में विश्वविद्यालय को कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

विश्वविद्यालय ने सूचना दी हैं कि इसने अब तक इस विषय पर 10 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक निरीक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा हैं कि आदिम जातीय संस्कृति और लोकगीत अनुसन्धान गोहाटी विश्व विद्यालय का एक विकसित विषय है और इसको सभी प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये।

उर्दू भाषा का विकास

***1540. श्री स० मो० बनर्जी : श्री इसहाक साम्भली :**
श्री ज्योतिमय बसु : श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को उर्दू को एक भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिये कोई निदेश जारी किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने उर्दू के किसी भी राज्य में अतिरिक्त सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार किये जाने के लिये संविधान अनुच्छेद 347 के अधीन कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि

***1541. श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री 24 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मुख्य नियोजकों के नाम क्या हैं जिन्होंने भविष्य निधि में अपना अन्शदान नहीं दिया है ;

(ख) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या भविष्य निधि में अंशदान के बदले उनकी आस्तियां ले ली जायेंगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एक विवरण, जिसमें उन प्रतिष्ठानों के नाम दिए गये हैं, जिन्होंने भविष्य निधि की एक लाख रुपये या उससे अधिक की बकाया राशि (31 मार्च, 1967 को) अदा नहीं की है, सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1294/67**]

(ख) अनेक दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियोजनों और या वसूली की कार्यवाही की गई है। जो प्रतिष्ठान परिसमाप्त हो चुके हैं, उनके दावे परिसमापकों के विचाराधीन हैं। कुछ प्रतिष्ठानों ने संगठन के साथ तय की गई भुगतान योजनाओं के अनुसार पिछली बकाया राशि और वर्तमान देय राशि का भुगतान करने का समझौता किया हैं।

(ग) भविष्य निधि की बकाया राशि वसूल करने के लिए दोषी प्रतिष्ठानों की सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है।

भारतीय प्रबन्ध संस्था (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट)

1542. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्था (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट) को अब भी सरकार से आवर्तक अनुदान मिल रहे हैं;

(ख) अमरीका के फोर्ड प्रतिष्ठान के साथ इस संस्था के वित्तीय तथा अन्य सम्बन्ध क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस संस्था के प्रशासी बोर्ड (बोर्ड आफ गवर्नर्स) में गैर-सरकारी उद्योग के प्रतिनिधियों का प्रभुत्व है ;

(घ) इस संस्था की गतिविधियों तथा प्रशासन में सरकारी क्षेत्र तथा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का योगदान होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस संस्था के मामले की जांच करने और इसके कामकाज का मूल्यांकन करने के लिये एक पुर्नविलोकन समिति नियुक्त की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) भारतीय सरकार, भारतीय प्रबन्ध संस्था, कलकत्ता को संस्था की स्थापना के समय किये गये करार के अनुसार वार्षिक आवर्ती अनुदान दे रहा है।

(ख) इस करार के अनुसार फोर्ड प्रतिष्ठान ने (एक) आपातित उपकरण और पुस्तकों, (दो) दौरा करने वाले अमरीकी प्राध्यापकों की सेवाओं और (तीन) संस्था के भारतीय अध्यापकों के अमरीका में प्रशिक्षण का खर्च वहन किया है। प्रतिष्ठान ने संस्था के 'कैम्पस' के विकास, छात्र वृत्तियों के उपलब्ध और अनुसन्धान कार्य क्रमों को चलाने के लिये भी अनुदान दिया है।

(ग) कोई विशिष्ट क्षेत्र नियन्त्रक बोर्ड को प्रभावित नहीं करता है। इसमें भारत सरकार, पश्चिम बंगाल, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सम्बन्धित व्यवसायी निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(घ) यह नहीं कहा जा सकता कि संस्था की कार्यवाहियों में सरकारी क्षेत्र और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने कम भाग लिया। इन कार्यवाहियों का एक विवरण सलंग्न है।

(ङ) संस्था अभी स्थापित की जा रही है। अतः उसके काम का मूल्याकन करने के लिये समिक्षा समिति बिठाने का अभी समय नहीं आया है।

विवरण

संस्था की कार्य वाहियों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और पिछले दो वर्षों में यह बढ़ता रहा है। 620 भाग लेने वालों में से 175 सरकारी क्षेत्र से थे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रार्थना पर संस्था ने उनके लिये एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया है।

परामर्श दातृ कार्य के क्षेत्र में संस्था को बड़ी परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में रही हैं। भारत के पूर्वी खण्ड के लिये एक दीर्घकालिक परिवहन सर्वेक्षण योजना आयोग के लिये किया गया था। योजना आयोग के लिये अतिरिक्त परियोजनाओं का काम चल रहा है। दक्षिण पूर्वी रेलवे, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम; गार्डन रीच वर्कशाप, दामोदर घाटी निगम, काफी बोर्ड और एयर इन्डिया के लिये भी परियोजना कार्य किया गया है।

कार्मिक संघ नेताओं के लिये संस्थापक ने दो विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया है (1965 और 1967 में)।

Council to Advise on Centre-States Relations

1543. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propse to constitute a Council to give advice on the Centre-States relations;

(b) if so, the scope of its functions;

(c) whether the State Government have been consulted in this regard; and

(d) if so, their reaction thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (d) No such proposal is under the consideration of the Government at present. However, matters relating to the suggestion that there should be a Council or a special machinery to deal with Centre-State relations are within the scope of the study undertaken by the Administrative Reforms Commission.

विम्बलडन टूर्नामेंट में भेजे गये टैनिस के भारतीय खिलाड़ी

*1544. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री न० कु० सोमानी :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि हाल ही में विम्बलडन टूर्नामेंट में टैनिस के भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे युवक खिलाड़ियों को सहायता और प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनाई है जिनके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) युवक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध करना मूलतः आल इंडिया लान टेनिस एसोशिएशन का काम है। यह समझा जाता है कि आल इंडिया लान टेनिस एसोशिएशन खिलाड़ियों की सिखाई के लिये प्रशिक्षण शिविर खोल रहा है सरकार ग्राल इंडिया लान टेनिस एसोशिएशन को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिये अवर खिलाड़ियों को भेजने के लिये वित्तीय सहायता भी दे रही है। राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान पटियाला भी प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों के युवक खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिये प्रशिक्षक भी दे रहा है।

राजस्थान सीमा पर घुसपैठ

1545. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी राष्ट्रजन राजस्थान की सीमा में अवैध रूप से निरन्तर प्रवेश करते जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जो 2000 से भी अधिक मुसलमान पाकिस्तान चले गये थे, वे भारत में वापस आ चुके हैं और बीकानेर, गंगा नगर, जैसलमेर तथा जयपुर में बस गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है; और यदि हां, तो सरकार ने ऐसे घुसपैठियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है, ताकि उनके बारे में व्यक्तिगत जांच करा कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके; और

(घ) घुसपैठ करने के मार्गों को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों में से केवल 134 अनधिकृत रूप से दोबारा भारत में लौट आये हैं ।

(ग) उपरोक्त 134 व्यक्तियों में से 60 को गिरफ्तार कर लिया गया हैं और शेष को गिरफ्तार करने के लिये जोरदार कोशिश की जा रही है । जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 5 को पहले ही दण्डित किया जा चुका है । शेष के विरूद्ध मामलों की या तो जांच की जा रही है अथवा न्यायालयों में लम्बित हैं ।

(घ) चोरी छिपे लोगों की आवाजाही को रोकने के लिये सिमा पर अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गई हैं और गश्त को बढ़ाया गया है।

भ्रष्टाचार के अनिर्णीत मामले

***1546. श्री बाबूराव पटेल ।**

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले विचाराधीन है ;

(ख) क्या कुछ मामले 2 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ग) इन मामलों को निबटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या सरकार ऐसा विधान बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिसके अनुसार गवाहों को उपस्थित होने के लिये बाध्य किया जा सके ;

(ङ) क्या यह सच है कि व्यापारियों की अपेक्षा सरकारी कर्मचारियों के मामलों में अधिक विलम्ब किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन मामलों पर निर्णय लेने के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ङ) 17 अगस्त, 1966 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 6316 मामले बाकी थे और व्यापारियों के खिलाफ 48 । इनमें से सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ 1011 और व्यापारियों के खिलाफ 12 मामले दो वर्ष से पुराने मामले थे।

(ग) से (च) विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि सम्बन्धित पक्ष देर लगाने वाले तरीके अपनाते हैं, गवाहों को पेश होने के लिये मजबूर करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं और कुछ मिली जुली कार्यवाहियों वाले मामलों की प्रकृति उलझनदार होती हैं। नियमों, प्रक्रियाओं की व्याख्या तथा अथवा अन्तर्विभागीय परामर्श भी इन कारणों के अन्तर्गत आते हैं।

अनुशासन नियमों में अभी हाल ही में ऐसे संशोधन किये गये हैं जिनमें अनुशासनात्मक कार्यवाही की गति तीव्र की जा सके। गवाहों को पेश होने के लिये मजबूर करने के लिये कानून लागू करने का काम हाथ में लिया गया है

मामलों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर विभाग अध्यक्षों, मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के सामने बार-बार बल दिया जा रहा है।

उड़ीसा में भाषायी अल्प संख्यक

***1547. श्री क० नारायण राव** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में रहने वाले उन आंध्रवासियों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई कार्यवाही की है जो वहां प्रमुख भाषायी अल्प संख्यक हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संविधान की धारा 347 के अन्तर्गत तेलुगु को उड़ीसा में दूसरी राज-भाषा घोषित किया गया है; और

(घ) क्या उड़ासा में रहने वाले आन्ध्रवासियों को संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अन्तर्गत अपनी भाषा को सुरक्षित रखने और अपनी शिक्षा संस्थायें स्थापित करने के लिये अवसर प्रदान किये गये हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) जी हां, श्रीमान ।

विवरण

(ख) अगस्त 1961 में मुख्य मन्त्री सम्मेलन द्वारा जारी किये गये वक्तव्य में दिये गये निम्न मुख्य उपाय उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा के भाषाई अन्य संख्यकों को, जिनमें तेलगू भाषाई, अन्य संख्यक भी शामिल हैं, निम्न सुविधाएं दी जा रही हैं ।

प्राथमिक शिक्षा

यदि किसी कक्षा में 10 या स्कूल में 30 विद्यार्थी एक भाषा को बोलने वाले हैं तो मातृ भाषा में उनको शिक्षा देने हेतु कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति के लिये आदेश विद्यमान हैं ;

माध्यमिक शिक्षा

आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जहां पर कक्षा आठवीं से नवीं तक 60 विद्यार्थी या कक्षा आठ की आरम्भिक अवस्था में 15 विद्यार्थी हों तो मातृ भाषा में शिक्षा देने के लिये सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं दी जायें ।

उड़ीसा में क्रियान्वित किया गया त्रिभाषाई सूत्र इस प्रकार है, (क) प्रादेशिक भाषा या मातृ भाषा जबकि प्रादेशिक भाषा मातृ भाषा से भिन्न हो, (ख) हिन्दी और (ग) अंग्रेजी या अन्य कोई यूरोपीय भाषा ।

सरकारी काम के लिये अल्पसंख्यकों की भाषा का प्रयोग

(एक) जहां पर तेलगू बोलने वाले लोग काफी हैं वहां पर मतदाता सूचियां तेलगू में प्रकाशित की जा रही हैं ।

(दो) राज्य सरकार महत्वपूर्ण कानूनों का अनुवाद उन क्षेत्रों में अल्प संख्यकों की भाषाओं में प्रकाशित करने के लिये सहमत हो गई है जहां पर अल्प संख्यक उस क्षेत्र की कुल जन संख्या का 15 से 20 प्रतिशत है।

राज्य सेवाओं में भर्ती

राज्य सेवाओं में भर्ती के लिये भाषा सम्बन्धी कोई रोक नहीं है।

माषाई अल्प संख्यकों के लिये इन सुविधाओं की अनुपलब्धता सम्बन्धी विशिष्ट शिकायतों की जांच अल्प संख्यकों के आयुक्त द्वारा की जा रही है।

कार्मिक संघ

1548. **श्री म० ला० सौंधी :** **श्री भारतसिंह चौहान :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओ० प्र० त्यागी : **श्री वेणिशंकर शर्मा :**
श्री टी० पी० शाह : **श्री बृज भूषण लाल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर के कितने कार्मिक संघों को सरकार ने कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता दे रखी है ;

(ख) विभिन्न उद्योगों में प्रत्येक कार्मिक संघ की सदस्य संख्या 1 जनवरी, 1967 को कितनी थी ;

(ग) विभिन्न उद्योगों में प्रत्येक कार्मिक संघों का सम्बन्ध किन किन राजनीतिक दलों से है; और

(घ) मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ को क्या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और सरकार से उन्हें किस प्रकार की सहायता मिलती है ?

श्रम बेरोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम में सरकार द्वारा कार्मिक संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अतः राष्ट्रीय स्तर के किसी भी कार्मिक संघ को कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

Grants to Universities

*1550. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amounts annually granted by the Central Government to all the Universities in the country;

(b) the basis of the allocation thereof;

(c) the percentage of the said amount University-wise;

(d) whether the said amount allocated be the University Grants Commission is distributed equally or some distinction is observed between different Universities;

(e) in case some distinction is observed, the reasons therefor; and

(f) whether Government are considering the question of bringing about uniformity in this regard ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The Central Government as such does not give any annual grant to Universities. The University Grants Commission gives to the Central Universities maintenance and development grants and to other Universities only development grants.

(b) and (c) Maintenance grants are given on the basis of actual deficits. Development grants are given on the basis of assessment of the development requirements by the U. G. C. There is no percentage fixed.

(d) and (e) The working procedure is that the Universities draw up their development plans on the broad guidelines given by the U. G. C. These are then scrutinised by Visiting Committees of the U. G. C. and grant is determined on the basis of the requirements accepted.

(f) Government are not considering any such proposal. Determination of the quantum of grants to the Universities is left to the University Grants Commission the merits of requirements for which grants are asked for.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

***1551. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग संविहित निकाय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इससे आयोग के सुचारू रूप से काम करने में कितनी बाधा आती है; और

(ग) इस आयोग को संविहित निकाय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की एक अंतरिम सिफारिश के अनुसार एक सरकारी संकल्प द्वारा की गई थी । आयोग को संविहित आधार पर लाने से पूर्व उसकी कार्य प्रणाली का कुछ अनुभव प्राप्त करना आवश्यक था । इस आयोग के संविहित निकाय न होने से इसके सुचारू रूप से काम करने में बाधा नहीं पड़ी ।

(ग) इस समय ऐसा कोई सुझाव नहीं है ।

Assam Reorganisation

*1552. Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri D. N. Deb :
Shri D. Amat :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sradhakar Supakar :

Will the Minister of **Home Affairs** by pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Assam State Congress has expressed the opinion that it is against the reorganisation of Assam;

(b) whether it is also a fact that the All-Party Hill Leaders Conference, Assam has decided to boycott the Mehta Committee;

(c) whether it is also a fact that the said All-Party Hill Leaders' Conference propose to launch an agigation; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) The Assam Pradesh Committee has expressed the view that the problem of the hill areas of Assam should be solved on the basis of the recommendations of the Pataskar Commission, and not by reorganisation of Assam on a federal basis.

(b) Yes, Sir.

(c) The APHLC passed a resolution on 15th July, 1967, appealing to all people ot the hills to exercise restraint and calling upon them to keep themselves in readiness for waging a mass constitutional struggle when called upon to do so.

(d) Government hope that the efforts being made by the Mehta Committee in finding an agreed solution to the problem will be successful.

U. G. C. Grants For Universities

*1553. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission have effected cuts in the grants meant for the Universities;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the likely effect of the said cuts on the expansion of education in the country ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The University Grants Commission has asked the universities to limit the size of their development programmes during the fourth Five Year Plan so as not to exceed 70 per cent of the amount recommended by the Visiting Committees.

(b) This has been done by the Commission to limit the plans of the universities to the likely availability of resources.

(c) The expansion of education in the country is not likely to be affected by the reduction, but some of the quality programmes for the improvement of higher education may suffer.

भारत में अनूदित पुस्तकों पर रायल्टी

*1554. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में भारत कुछ वर्गों की "अनूदित, अनुकूलित अथवा उद्धत" पुस्तकों पर रायल्टी का रुपयों में भुगतान करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जी, अभी तक नहीं। अभिसमय के संशोधित पाठ की जांच और मौजूदा कानून में सुधार करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

काश्मीर में शास्त्रास्त्रों का पकड़ा जाना

*1555. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री मरंडी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम किशन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री ग्रात्म दास :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जम्मू तथा काश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र पकड़े गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों तथा बरामद हुए शस्त्रास्त्रों तथा गोलाबारूद का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जून-जुलाई, 1967 में बदगाम क्षेत्र में 28 कारतूसों के साथ एक हल्की मशीन गन 15 हथ गोले तथा 303 शक्ति के 250 कारतूस पकड़े गये थे। एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है।

Report by PSP and SSP M. Ps. on Their Visit to Naxalbari

*1556. Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri D. Amat :
Shri M. C. Majhi :
Shri G. C. Naik :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Members of Parliament belonging to PSP and SSP who have returned from Nexalbari after making on the spot study of the situation there have submitted any report to Government;

(b) whether it is a fact that in their statement released to the Press they have stated that it was the Communists to worsen the situation there;

(c) whether Government got any more information through these Members; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Government have seen reports of the Press conference held by the PSP and SSP leaders at Calcutta on 13th July.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में चोरी की घटनाएं

7503. श्री बाबूराव पटेल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 मार्च, 1967 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से कितने आभूषण तथा प्राचीन कृतियां चोरी हो गई थीं और रुपयों में उसका मूल्य कितना है;

(ख) इन वस्तुओं को बरामद करने तथा भविष्य में इस प्रकार की चोरियां रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं, तो उनके नाम क्या हैं तथा आभूषणों और प्राचीन कृतियों की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के नाम तथा उनके पदनाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 116 चीजें जिनका दाम लगभग 2080 रुपए था।

(ख) मामले की रिपोर्ट तुरन्त पुलिस को कर दी गई थी और पड़ताल अभी चल रही है। संग्रहालय में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ कर दिया गया है। इसके अलावा खिड़कियों में ग्रिल और दरवाजों के भीतर मजबूत बोल्ट और इमारत के बाहर की ओर फ्लड लाइट लगाने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विभागाध्यक्ष के नाते राष्ट्रीय संग्रहालय की सुरक्षा की सर्वोपरि जिम्मेवारी निदेशक (श्री शिवराम मूर्ति) की है। सुरक्षा सहायक (श्री ए० के० दत्त) राष्ट्रीय संग्रहालय की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा जो व्यक्ति 4 मार्च और 5 मार्च, 1967 को काम पर थे और वस्तुओं की सुरक्षा से सम्बन्धित थे, उनके नाम और पदनाम नीचे दिये जा रहे हैं :

नाम	पदनाम	
श्री याद राम (द्वितीय)	गैलरी सहायक	
श्री भोलादत्त	,, ,,	
श्री दुली चन्द	,, ,,	
श्री दुर्जन सिंह	जमादार	
श्री मामचन्द	चौकीदार	
श्री ओल सिंह	,, ,,	
श्री बचन सिंह	,,	
श्री खेम सिंह	,,	)
श्री चन्दर	,,	) मास्टर रोल
श्री टेक बहादुर	,,	) के आधार
श्री गुरुचरण	मेहतर	) पर लगाए गए
श्री आस्त राम	सशस्त्र रक्षक	

स्वर्गीय डा० हाल्डेन द्वारा भुवनेश्वर में स्थापित की गई उत्पत्ति-विज्ञान एवं आयु-विज्ञान प्रयोगशाला

7504. श्री बाबूराव पटेल : क्या शिक्षा मंत्री 31 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1028 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय प्रोफेसर जे० बी० एह० हाल्डेन द्वारा स्थापित की गई उत्पत्ति विज्ञान तथा आयु-विज्ञान प्रयोगशाला, की स्थापना पर कितना धन खर्च हुआ था, जिसे 31 जुलाई, 1967 से बन्द किया जाना था;

(ख) सरकार ने अब तक इस प्रयोगशाला को कितना अनुदान दिया है;

(ग) इस प्रयोगशाला में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं; और

(घ) क्या इन कर्मचारियों को कोई अन्य रोजगार दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विभिन्न मजूरी बोर्डों तथा न्यायाधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वित न किया जाना

7505. श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न मजूरी बोर्डों तथा न्यायाधिकरणों के पंचाटों को कार्यान्वित न किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ग) क्या इन पंचाटों का कार्यान्वित न किया जाना दाण्डिक अपराध बनाया जायेगा जिसके लिए कारावास तथा भारी जुर्माना दोनों की सजा दी जा सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य बातें क्या होंगी और इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कुछ नियोजकों द्वारा पंचाट लागू किये जाने की शिकायतें समय समय पर प्राप्त हुई हैं ।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते । जहां तक न्यायाधिकरणों के पंचाटों का सम्बन्ध है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1967 में दण्ड की व्यवस्था पहले ही है ।

Unemployed Persons in Yeotmal District (Maharashtra)

7506. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of educated and uneducated persons seeking employment through Employment Exchanges in Yeotmal District of Maharashtra at the end of December, 1966;

(b) the number of Graduates and post-graduates amongst them;

(c) the number of persons amongst them belonging to Scheduled Tribes, Adivasis and Backward Classes; and

(d) the measures being taken by Government to remove unemployment amongst the educated persons ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c)

Category of applicants.	No. on Live Register as on 31-12-1966 All Types of applicants.	Scheduled Castes included in col. 2.	Scheduled Tribes included in col. 2.
1.	2.	3.	4.
Post Graduates.	7	2	—
Graduates	68	9	—
Matriculates (including Higher Secondary Passed & Intermediates)	1808	359	137
Below Matric (including illiterates)	1166	195	106
TOTAL :	30:9	565	243

Information regarding Adivasis and other Backward Classes is not available.

(d) Various development schemes in the 4th Five Year Plan are expected to lead to arger employment opportunities for the unemployed (including educated persons).

डाक तथा तार प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति

7507. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की प्रशुल्क पुनरीक्षण एवं युक्तियुक्त करण समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है ?

संसदकार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Engineering Colleges in Maharashtra During the Fourth Plan

7508. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of Engineering Colleges likely to be opened in Maharashtra State during the Fourth Five Year Plan period; and

(b) the names of places where these Colleges are to be opened ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) None, Sir.

(b) Does not arise.

Agricultural Labour in Yeotmal Distt. (Maharashtra)

7509. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the existing number of agricultural labourers in Yeotmal district of Maharashtra state; and

(b) the measures proposed to be taken by Government to improve the conditions of agricultural labourers during the Fourth Five Year Plan Period ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) According to 1961 census 3,03,967.

(b) Agricultural labourers, like other people in rural areas, will benefit through the developmental measures intended to improve economic conditions in rural areas. They will also drive some benefit from special schemes intended for backward classes and scheduled castes and tribes. In addition, there will also be provisions for special schemes for housing, training, cooperatives, village industries etc. which will serve to improve their conditions.

Telegraph Offices in Maharashtra Towns

7510. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no Telegraph Offices in Arni, Mahagaon and Ralegaon in district Yeotmal of Maharashtra although Block Development Offices, Police Stations, Cooperative Banks, Government Treasury are functioning at these places;

(b) if so, the action taken to open telegraph offices there;

(c) whether there is a demand for telephone connections in Arni village in Yeotmal District; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Departments Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There is a Telegraph Office at Arni District Yeotmal (Opened on 9-2-1967); but at Mahagaon and Ralegaon (District Yeotmal) there are no Telegraph Offices at present.

(b) Works for opening of Telegraphs Offices at Mahagaon and Ralegaon have been already sanctioned. The works involve erection of new line and wire for 50 Kms. They are pending execution due to general shortage of stores.

(c) Yes.

(d) Installation of a 50 lines Small Automatic Exchange at Arni has been sanctioned and the work has been taken up.

मध्य प्रदेश में प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला

7511. **श्री गा० शं मिश्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वहां बहुतायत में उपलब्ध कुछ कृषिजन्य तथा खनिज उत्पादों, यथा चीनी मिट्टी, ताप–सह मिट्टी, कोयला, खनिज पदार्थ, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपयोग के लिये लकड़ी, कागज तैयार करने के लिए लुग्दी का उद्योगों में उपयोग करने के लिए मध्यवर्ती मध्य प्रदेश में एक प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित न की जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त पदार्थों में से कुछ उत्पाद अच्छे आयात-स्थानापन्न सिद्ध हो सकते हैं, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की काफी बचत हो सकती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में ऐसी एक प्रयोगशाला स्थापित करने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) कोई विशिष्ट कारण नहीं हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के आयोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए शासी मण्डल द्वारा नियुक्त चौथी आयोजना समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद को चौथी आयोजना के दौरान और कोई प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं करनी चाहिए क्योंकि उपलब्ध संसाधनों के आगे पहले ही काफी काम करना है। यदि क्षेत्रीय महत्व के कोई विशेष कार्यक्रम हों, तो उन्हें विद्यमान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा प्रारम्भ किया जाए। समिति की रिपोर्ट, 15 जुलाई, 1967 को हुई शासी निकाय की बैठक के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी। समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इन्जीनियरिंग संस्थाएं

7512. श्री गा० शं० मिश्र : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने इन्जीनियरिंग कालेज, पोलीटेक्निक्स तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं;

(ख) इन संस्थाओं में वर्कशापों की क्षमता लगभग कितनी है;

(ग) कितनी संस्थाओं में अनुसन्धान तथा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन वर्कशापों/अनुसन्धानों तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने तथा उससे इन तकनीकी संस्थाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क)

(एक)	कालेज	137
(दो)	पोलीटेक्निक	281
(तीन)	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	356

(ख) इन संस्थानों के वर्कशापों में प्रशिक्षण देने की क्षमता दाखिल किए जाने वाले सभी छात्रों के लिए काफी है ।

(ग) सभी संस्थाओं में अपेक्षित परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं । लगभग 50 डिग्री संस्थाओं में अनुसन्धान प्रयोगशालाएं हैं ।

(ग) वर्कशाप/प्रयोगशालाओं की व्यवस्था प्रथमत: प्रशिक्षण के प्रयोजन से की जाती है, औद्योगिक वाणिज्यिक उत्पादन परीक्षण के लिए नहीं । इसलिए खाली क्षमता का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान

7513 **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं की संख्या उनके वित्तीय संसाधन और उनकी गतिविधियां क्या है तथा किन-किन स्थानों में चलाई जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : एक विवरण संलग्न हैं :—

विवरण

(1) 2 फरवरी, 1950 को भारत सरकार और अमरीका के बीच किये गये एक करार के अन्तर्गत 1950 में भारत में अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापित किया गया था । प्रतिष्ठान का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों को, विशिष्ट विषयों में जो कि नये और कमजोर हैं और जिनमें अमरीकी शिक्षा ने काफी- विकास किया है, सहायता देकर मजबूत बनाना तथा माध्यमिक शिक्षा के नवीकरण में सहयोग देना है । प्रतिष्ठान भारतीय अध्यापकों और छात्रों को अमरीका में अध्ययन का अवसर देता है और अमरीकी विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में भारत में अध्ययन करने के अवसर देता है ।

(2) प्रतिष्ठान भारत में कोई संस्थान नहीं चलाता हैं ।

(3) प्रतिष्ठान द्वारा व्यय किया गया पैसा अमरीकी सरकार की पी० एल० 480 रुपया निधि से लिया जाता है । 1950 से लेकर अब तक प्रतिष्ठान ने भारत में 52, 188, 865, 56 रुपये खर्च किये हैं ।

(4) प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यक्रम निम्न है :—

(एक) उच्च शिक्षा, माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन, माध्यमिक शिक्षा के पालन और अमरीका में लेक्चर देने के लिये भारतीयों को अनुदान ।

(दो) हाई स्कूल के अध्यापकों स्कूल प्रशासकों और अध्यापक प्रशिक्षकों का अमरीका के चुने हुए स्कूलों का दौरा ।

(तीन) भारत में अमरीकी अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिये अमरीकी संस्थानों में भारतीय कालिज अध्यापकों के लिए गोष्ठियों का आयोजन।

(चार) भारत के विभिन्न केन्द्रों में वर्कशापों का आयोजन।

(पांच) भारत में अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान के लिये अमरीकी व्यक्तियों को अनुदान।

(छः) अमरीकी कालिज अध्यापकों और हाई स्कूल प्रशासकों के लिये भारतीय अध्ययनों में ग्रीष्म कालीन संस्थानों का आयोजन।

(सात) अंग्रेजी भाषा के अध्यापन में सहायता के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों और कालिजों में अमरीकी स्नातकों की नियुक्तियां।

(आठ) भारतीय विश्वविद्यालयों में अमरीकी साहित्य और इतिहास में अध्यापन के लिये अमरीकी प्राध्यापकों की नियुक्तियां।

दिल्ली के स्कूलों में उर्दू, पंजाबी और सिन्धी भाषाओं की पढ़ाई

7514. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत चलने वाले उन सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नाम क्या हैं जिनमें उर्दू, पंजाबी और सिन्धी भाषाएं (भाषावार) ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ाई जाती है; और जहां इनमें से प्रत्येक भाषा के लिए स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति की गई है;

(ख) उन सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नाम क्या है जहां ग्यारहवीं कक्षा में ये भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं परन्तु जहां इन भाषाओं के लिए स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नाम क्या हैं जहां माध्यमिक स्तर पर ये भाषाएं प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इन भाषाओं को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) दिल्ली नगर निगम के उन स्कूलों के नाम क्या हैं जहां माध्यमिक स्तर पर ये भाषाएं प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है; और

(च) यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो प्रथम भाषा के रूप में ये भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के स्कूलों में स्नातकोत्तर अध्यापक

7515. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नाम क्या है तथा उनमें से प्रत्येक में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जहां इस समय उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, संस्कृत, भूगोल और नागरिक शास्त्र विषयों के स्नतकोत्तर अध्यापकों के पद हैं;

(ख) वर्ष 1961 में सरकारी बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल संख्या 1 वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, की ग्यारहवीं कक्षा में पंजाबी पढ़ने वाले छात्र कितने थे जब वहां पंजाबी भाषा का एक स्नातकोत्तर अध्यापक नियुक्त किया गया था;

(ग) उपरोक्त स्कूल में वर्ष 1961 से लेकर आज तक पंजाबी भाषा पढ़ने वाले ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों की संख्या वर्ष वार कितनी रही है; और

(घ) उपरोक्त स्कूल वे इस वर्ष पंजाबी भाषा के स्नातकोत्तर अध्यापक का पद समाप्त कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में चीनी तथा पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का प्रतिबन्ध

7516. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री दे० अमात :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 19 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1232 तथा 5 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4604 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीनी तथा पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध है अथवा वे जहां कहीं जाना चाहें स्वतन्त्रतापूर्वक जा सकते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : विदेशी (चीनी राष्ट्रजनों पर प्रतिबन्ध) आदेश 1962 के अधीन भारत में रहने वाले चीनी राष्ट्रजनों को नगर, कस्बे या गांव की सीमा से बाहर जाने के लिए लिखित रूप में पहले से पन्जीयन अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। ऐसा उन्हें अपने निवास के स्थान के बाहर जाने तथा अपने पन्जीकृत पते से 24 घन्टे से अधिक की अवधि तक अनुपस्थित रहने के लिए भी करना पड़ता है।

जहां तक पाकिस्तानी राष्ट्र जनों का सम्बन्ध है, वे जारी किए गये वीसा/रिहासी अनुमति पत्रों मैं उल्लिखित स्थानों पर ही रह सकते हैं। अन्य स्थानों पर जाने के लिए उन्हें अपने अनुमति पत्रों को सक्षम अधिकारी से बढ़वाना पड़ता है।

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी उप-मण्डल में दंगे

7517. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी उप-मण्डल के कुल कितने क्षेत्र में हाल ही में हुए दंगों का प्रभाव पड़ा है;

(ख) उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है तथा आदिवासियों और अन्य लोगों की पृथक-पृथक संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कानून भंग करने वाले लोगों के नेतागण स्वयं जातेदार हैं;

(घ) इस क्षेत्र में कितनी गैर-कानूनी कार्यवाहियां हुई हैं तथा उपद्रव के कारण वहाँ पर मृत्यु. अग्नि काण्ड, लूटमार और गहरी चोटें आने की अब तक कितनी घटनायें हुई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 274 वर्गमील।

(ख) प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख है, जिसमें से लगभग तीस हजार आदिवासी हैं और शेष लगभग 1,14000 अन्य हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। किन्तु कुछ जोतदारों को गैर-कानूनी कार्यवाहियों में भाग लेते पाया गया। अधिकतर ऐसा दबाव में आकर किया गया।

(घ) अब तक पुलिस में गैर-कानूनी कार्यवाहियों के 235 मामले दर्ज कराये गए। सत्तरह व्यक्ति मारे गए। दो आगजनी की और लूट के 91 मामलों की सूचना मिली और दो व्यक्तियों को सख्त चोटें आईं।

Engineering Colleges in Mysore

7518. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of Engineering Colleges in Mysore State and the number of students belonging to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes who have been provided education during the period from 1955 to 1966;

(b) the number of Harijan students to whom engineering education is imparted every year in these colleges; and

(c) the number of such students amongst them as are awarded scholarships ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha.

Financial Assistance to Political Sufferers in A.P.; Mysore and Maharashtra

7519. Shri Ramchandra Veerappa : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of families out of those who had actively participated in the independence struggle given financial assistance in Andhra Pradesh, Maharashtra and Mysore during the period 1952 to 1962;

(b) the details of financial assistance extended to each State:

(c) whether any scheme has been envisaged in the Fourth Five year Plan for giving financial assistance to the families of those persons who had participated in the independence struggle; and

(d) if so, the provision made for each State ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The scheme for giving financial assistance to the political sufferers from the Home Minister's Discretionary Grant was implemented only from 1955-56. A statement showing the amounts granted to the political sufferers of Andhra Pradesh, Maharashtra and Mysore from that year till 1962-53 is attached.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise,

Name of the State	Number of beneficiaries	Amount givin
Andhra Pradesh	200	1,47,440/-
Maharashtra	39	13,100/-
Mysore	667	1,95,550/-

Harijan I. A. S. Officers

7520. **Shri Ramchandra Veerappa :** Will the Minister of Affairs be pleased to state :

(a) the number of Harijan who were working as I.A.S. Officers in Mysore during the period 1962 to 1966;

(b) the names of Departments in which they were deployed: and

(c) whether any I.A.S. officers out of them were promoted and if so the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 10.

(b) These officers were deployed in Revenue, Secretariat, Industries, Labour and Treasuries Departments.

(c) 2 of these officers had been promoted from the State Civil Service. One of them has since retired.

S. C. and S. T. Officers in Mysore State

7521. **Shri Ramchandra Veerappa :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to the Scheduled Tribes and Scheduled Castes respectively appointed as Magistrates and district Magistrates in Mysore State during period 1952-1966; and

(b) their number district-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The Government of India have no information, as appointments to State

services is the concern of the State Governments. Also, reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in State Services is the concern of respective State Governments, vide Article 335 read with Articles 16 (4) and 12 of the Constitution.

बर्मा से आये हुए भारतीयों को प्रतिकर

7522. श्री किरुतिनन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा से आये भारतीयों को अपनी उस सम्पत्ति के लिये प्रतिकर अभी तक नहीं मिला है जिसे वे बर्मा छोड़ आये हैं;

(ख) बर्मा सरकार से प्रतिकर पाने के हकदार कितने व्यक्ति हैं और सरकार कुल कितनी राशि पाने की आशा कर रही है; और

(ग) इस मामले को जल्दी निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सारे मामले पर बर्मा सरकार से बातचीत चल रही है और इसलिये, उनका ब्यौरा बताना लोक हित में न होगा।

Spy Ring in Nadia District

7524. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri O. P. Tyagi :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the arrest of a student led to the detection of Pakistani spy ring in District Nadia on the 23rd June, 1967;

(b) whether it is also a fact that incriminating papers were recovered from him;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) A student was arrested on suspicion on 23rd July, 1967 at Hatkhola Border village, P. S. Chapra, District Nadia. But the arrest did not lead to the detection of any spy ring. No incriminating papers were recovered from the person or residence of the accused. The case is under investigation.

भारत द्वारा दी गई प्रतिलिप्यधिकार रायल्टी की राशि

7525. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने विदेशों को देशवार प्रतिलिप्यंतराधिकार रायल्टी की कुल कितनी राशि दी;

(ख) बर्न अभिसमय में रखे गये भारतीय संशोधन को स्वीकार कर लिये जाने के परिणामस्वरूप इन भुगतानों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उस स्थिति में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है यदि ब्रिटेन प्रस्तावित संशोधन के बारे में अपनी अनुमति न दे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) चूंकि रायल्टी का भुगतान अपनाए जाने वाले नये कानून, उपयोग की जाने वाली विदेशी कृतियों की संख्या, बेची गई प्रतियों की संख्या, एक प्रति का मूल्य आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करता है, इसलिए इस समय अनुमान लगाना सम्भव नहीं होगा कि भविष्य में रायल्टियों पर कितना खर्च होगा।

(ग) फिलहाल यह प्रश्न परिकल्पित है। यदि विकसित देश समुचित समय में, अपनाए गए पूर्व लेख के अधीन अपनी कृतियां को उपलब्ध नहीं करते हैं, तो भारत को पूरे अभिसमय के प्रति ही अपनी स्थिति के बारे में पुर्नर्निर्धारण करना होगा।

नेवैली लिग्नाइट कारपोरेशन

7526. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवैली लिग्नाइट कारपोरेशन के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच उनके हाल के विवाद के बारे में कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, कुछ मांगों के बारे में।

(ख) समझौते की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1295/67]**

(ग) शेष मांगे सरकार के विचाराधीन हैं और सम्बन्धित पक्षों ने इनक सम्बन्ध में सरकार के निर्णय का पालन करना स्वीकार कर लिया है।

शिशिक्षुता का प्रशिक्षण (अपरेंटिसशिप)

7527. श्री अ० कु० किस्कु :
श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशिक्षुता प्रशिक्षण स्वैच्छिक है;

(ख) क्या प्रशिक्षुओं का चयन उम्मीदवार भेजने वालों द्वारा किया जाता है या इस कार्यक्रम को चलाने वाले उनका चयन करते हैं;

(ग) क्या साधारणतया उन व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है जिन्हें पहले से ही उद्योग का अनुभव है, व्यापार की कुछ जानकारी है या जिनका उसमें निकट सम्बन्धी होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये शिशिक्षुता के अवसर बहुत सीमित हो जाते हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अमरीकी नागरिक अधिकार अधिनियम, 1964 में दिये गये हुए उपबन्धों की तरह के उचित उपाय करने का स्पष्ट निदेश जारी करने का है; और

(च) क्या इस आशय का कोई विनियम बनाने का विचार है कि उनको, जिनके नियन्त्रण में "कवर्ड अपरेटिसशिप" या अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उचित रिकार्ड, जिसमें आवेदकों की सूची भी शामिल होगी और उनके आवेदन करने का क्रम भी दिया होगा, रखना होगा और उनको प्रशिक्षणार्थियों तथा प्रशिक्षुओं के चयन के तरीकों का विस्तृत ब्यौरा देना होगा, जैसा कि अमरीकी नागरिक अधिकार अधिनियम में दिया हुआ है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) उद्योगों और व्यवसायों के लिए-विशेषकर उनके लिए जिन्हें शिशिक्षु अधिनियम के अधीन अनुसूचित किया गया है-शिशिक्षु प्रशिक्षण अनिवार्य और वैधानिक आवश्यकता है ।

(ख) से (घ) अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार शिशिक्षुओं के चुनाव में नियोजक स्वतन्त्र है । इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिशिक्षु प्रशिक्षण की सुविधाओं में कोई बन्धन नहीं है ।

(ङ) और (च) शिक्षा-स्तर और शारीरिक योग्यता, प्रशिक्षण का माप दण्ड और अपेक्षित प्रशिक्षण स्तर तय करने तथा शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम को चलाने हित नियम आदि बनाने के लिए, एक केन्द्रीय त्रिदलीय सलाहकार निकाय है, जिसे केन्द्रीय शिशिक्षु परिषद कहते हैं । परिषद में नियोजकों, कामगरों, विशेषज्ञों और राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं ।

प्रत्येक नियोजक को अपने संस्थापन में अधिनियम के अधीन बनाए नियमों के अनुसार प्रशिक्षण पाने वाले प्रत्येक शिशिक्षु प्रशिक्षणार्थी की प्रगति के बारे में, अभिलेख रखना पड़ता है । क्योंकि शिशिक्षुओं का चुनाव करना नियोजकों की जिम्मेवारी है, अतः अधिनियम के अधीन इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता ।

प्रशासनिक व्यवस्था के लिये अधिकारियों की नियुक्तियां

7528. श्री अ० कु० किस्कु :
श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पांचवी समिति में भारत सरकार के सरकारी प्रतिनिधियों की सदा यह मांग रही है कि पिछड़े हुए देशों को भौगोलिक

आधार पर समान प्रतिनिधित्व देने की नीति को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जाये और वे इसका यह कारण देते हैं कि कर्मचारियों के इस प्रकार संतुलित वितरण से कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ेगी और उन्होंने यह मांग भी की है कि यह नीति केवल उच्च पदों तक ही न अपनाई जाये बल्कि पदोन्नतियों के मामले में भी यही नीति लागू होनी चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका के सिविल राइट्स एक्ट 1964 के रोजगार के समान अवसरों सम्बन्धी उपबन्धों के अन्तर्गत सभी स्तरों के पद और पदोन्नतियां आ जाती हैं; और

(ग) 8 नवम्बर, 1963 के सरकारी संकल्प का आधार क्या है, जिसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा रंगाचारी के मामले (1960 की सिविल अपील संख्या 341) में दिये गये निर्णय के बावजूद, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पदों के लिये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को पूरा तरह कार्यान्वित करने पर रोक लगा दी गई है ?

गृहकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारत सरकार ने संयुक्तराष्ट्र संघ के सचिवालय में पदों के भौगोलिक आधार पर समान वितरण सम्बन्धी सिद्धान्त का समर्थन किया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के संदर्भ में कोई 'पिछड़े हुए राष्ट्र' है ही नहीं।

(ख) अमरीका ने सिविल राइट्स ऐक्ट 1964 को समान नियुक्ति से सम्बन्धित व्यवस्था संक्षेप में इस प्रकार है :–

'संयुक्त राज्य की नीति संघीय कर्मचारियों के बारे में जाति, रंग, धर्म, लिंग अथवा राष्ट्रीयता का विचार न करते हुए समान अवसर प्रदान करने की होगी और राष्ट्रपति अपने वर्तमान अधिकारों का इस नीति को लागू करने के लिये उपयोग करेंगे।'

'वर्तमान संख्या अथवा प्रतिशतता के असंतुलन के आधार पर विशक्ष व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस उप अध्याय (अर्थात नियुक्ति के समान अवसर) की किसी बात की इस प्रकार व्याख्या नहीं की जाएगी जिससे इस अध्याय के अन्तर्गत आने वाले किसी नियोजक, नियोजन अभिकरण, श्रम संगठन अथवा संयुक्त श्रम प्रबन्ध समिति को किसी व्यक्ति अथवा किसी समुदाय के लिए जाति, रंग, धर्म, लिंग अथवा राष्ट्रीयता पर आधारित किसी समुदाय विशेष के व्यक्तियों की प्रतिशतता में असंतुलन के आधार पर किसी नियोजक अभिकरण। श्रम संगठन में नियुक्ति अथवा काम सीखने या अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी समुदाय, राज्य, खंड अथवा अन्य क्षेत्र के कर्मचारी वर्ग की समस्त उपलब्ध जनशक्ति की तुलना में कोई विशेष व्यवहार करने की आवश्यकता पड़े।'

(ग) भारत सरकार के 8 नवम्बर 1963 के संकल्प संख्या 1/10/61–एस्टस डी० जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1296/67**] में व्यवस्था है कि श्रेणी III और IV की सेवाओं और वर्गों में जिनके लिए किसी प्रकार की सीधी भरती नहीं होती अनुसूचित जातियों के लिए 12½% प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 5 प्रतिशत की दर से (i) चयन द्वारा अथवा (ii) निर्धारित न्यूनतम स्तर पर पूरे उतरने वाले विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित विभागीय परीक्षाओं

के परिणामों द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा पदोन्नति द्वारा श्रेणी I और श्रेणी II में की जाने वाली नियुक्तियों अथवा योग्यता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर श्रेणी III और IV में की जाने वाली नियुक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। इस निर्णय का आधार संविधान के अनुच्छेद 14(4) के अधीन अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। ऐसा करते समय सविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन आवश्यक प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने की जरूरत का भी ध्यान रखा जाता है। उच्चतम न्यायालय के जिस निर्णय का हवाला दिया गया है उसको केवल यह कहा गया था कि अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण कानूनी अधिकार नहीं थे किन्तु दिये जा सकते थे और आरक्षण के परिणाम के बारे में निर्णय ऐसे पदों की प्रकृति जिनमें आरक्षण दिया जाना हो या न दिया जाना हो को भी संविधान के अनुच्छेद 335 की व्यवस्था के अनुसार अपने विवेक का उपयोग करते हुए सरकार को ध्यान में रखना पड़ता है।

डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये छुट्टियां

7529. **श्री टी० पी० शाह :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या संचार मंत्री 28 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 792 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चिरकाल से दैनिक मजूरी के आधार पर काम करने वाले लोगों समेत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर जैसी राष्ट्रीय छुट्टियों को 'सवेतन छुट्टियां' घोषित कर रखा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक व तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को ये राष्ट्रीय छुट्टियां नहीं दी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण है ?

राज्य मंत्री, संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) विभागातिरिक्त कर्मचारियों को ऐसी राष्ट्रीय छुट्टियां पाने का हक नहीं है।

(ग) विभागातिरिक्त कर्मचारी एजेंसी के आधार पर काम करते हैं और उनका परिश्रमिक कुल किये जाने वाले काम (जो आम तौर पर दिन में एक या दो घंटे का होता है और एक दिन में पांच घंटे से ज्यादा नहीं रहता) उसमें लगने वाले समय, तय की जाने वाली दूरी आदि के आधार पर निश्चित किया जाता है। वे नियमित सिविल कर्मचारी

नहीं होते और वे दूसरे कर्मचारियों या दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कामगरों की तरह प्रतिदिन 8 घंटे काम नहीं करते। अतः सवेतन 'राष्ट्रीय छुट्टियां विभागातिरिक्त कर्मचारियों को नहीं दी जाती।

Private Candidates Appearing in University Examinations

7530. Shri T. P. Shah :
Shri Jagannath Rao Johi :
Shri Hukam Chand Kachwai ;

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain Universities allow students to appear in B. A. and other higher examinations as private candidates; and

(b) if so, the names of such Universities and the examinations in which boys and girls, respectively are allowed to appear ?

The Minister of Education (Dr. Trigun Sen) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No LT-1297/67]**

Late-Comers in Government Offices

7531. Shi T. P. Shah :
Shri Jagannath Rao Johi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Governments are unable to take any administrative action against the regular latecomer employees in Central Secretariat Offices ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the details of Government orders issued for taking administrative action against such employees ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Instructions have been issued that half-a-day's casual leave should be debited to the Casual Leave Account of a Government servant for each late attendance; but late attendance upto an hour on not more than two occasions in a month may be condoned by the competent authority, if it is satisfied that it is due to unavoidable reasons. In case, such a course does not ensure punctual attendance of the Government servant, suitable disciplinary action may be taken against him, in addition to debiting half-a-day's casual leave to his Casual Leave Account on each occasion of such late attendance.

यादगारी टिकटें

7532. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री दे० अमात :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के महान कवियों और लेखकों, अर्थात स्वर्गीय कवि सम्राट उपेन्द्र भानी, स्वर्गीय कवि गंगाधर मेहर और स्वर्गीय फकीर मोहन सेनापति की स्मृति में यादगारी डाक टिकटें जारी करने की किस योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसी समिति या आयोग नियुक्ति करने का है जो प्रादेशिक महत्व रखने वाले भारत के महान सपूतों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने हेतु उनकी स्मृति में यादगारी डाक टिकटें जारी करने की वांछनीयता का अध्ययन करें ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (इ० कु० गुजराल): (क) से (ग) जी नहीं। उड़ीसा के तीन कवियों और लेखकों के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुआ था। यह मामला डाक-टिकट संकलन सलाहकार समिति के सामने रखा जाएगा, जो ऐसे प्रस्तावों पर विचार करती है।

1 नवम्बर, 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब का क्षेत्रफल

7533. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1966 को हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के पुनर्गठन के समय उनका पृथक पृथक क्षेत्रफल कितना था; और

(ख) इस समय पंजाब और हरियाना राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य का पृथक पृथक क्षेत्रफल कितना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सर्वे आफ इण्डिया द्वारा 1 जनवरी, 1966 तक किये गए सर्वेक्षण के अनुसार पुनर्गठन से पूर्व हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रफल इस प्रकार थे :–

हिमाचल प्रदेश	28,195 वर्ग किलोमीटर
पंजाब	1,22,010 वर्ग किलोमीटर।

(ख) पुनर्गठित पंजाब और हरियाना राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों के वास्तविक क्षेत्रफल की सर्वे आफ इण्डिया द्वारा संगणना की जा रही है।

आगरा में डाकघर बचत बैंक के खातों में धोखाधड़ी

7534. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या संचार मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) आगरा के बोइलेबगंज डाकघर के डाकघर बचत बैंक के खातों में से कितने खातों में गबन हुआ है ;

(ख) कितने खातों का हिसाब किताब तय कर दिया गया हैं और अभी कितने खातों का हिसाब किताब तय नहीं हुआ है; और

(ग) शेष खातों का हिसाब-किताब कब तक कर दिये जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तीन ।

(ख) दो खातों के जमाकर्त्ताओं के दावों का निपटान कर दिया गया है ।

(ग) तीसरी जमाकर्त्ता के दावे की वैधता की जांच की जा रही है । उसका यथासंभव शीघ्र निपटान करने के प्रयत्न किये जायेंगे ।

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संस्था

7535. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन उद्योग अनुसन्धान संस्था वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद के अधीन कार्य करती है और उसे धन भी उक्त परिषद द्वारा दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य क्या हैं ;

(ग) इसको भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन अनुन्धान संस्था के साथ मिलाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन अनुसन्धान संस्था के साथ उपरोक्त विलय होने के बाद भारतीय पटसन उद्योग अनुसन्धान संस्था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा बनाये गये नियमों और उसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) भारतीय पटसन उद्योग अनुसन्धान संघ, पटसन उद्योग द्वारा स्थापित एक अनुसन्धान संस्था है और यह पश्चिमी बंगाल के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1961 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद संस्था को वार्षिक पूंजीगत और आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है ।

(ख) भारतीय पटसन उद्योग अनुन्धान संस्था के प्रमुख कार्य हैं ।

(एक) पटसन व्यवसाय और उद्योग से सम्बन्धित अनुसन्धान तथा अन्य वैज्ञानिक कार्य को प्रोत्साहन देना;

(दो) प्रयोगशालाओं, वर्कशापों की स्थापना और उनका रख-रखाव तथा उनमें प्रयोग चलाना; और

(तीन) उत्पादन प्राचल में सुधार और बरबादी को कम करने के लिए उद्योग के अन्तर्गत अच्छा प्रक्रिया नियंत्रण स्थापित करना।

(ग) भारतीय पटसन उद्योग अनुन्धान संस्था को भारतीय पटसन मिल संघ अनुसंधान संस्थान के साथ जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक गारंटीकृत कम्पनी है और जिसका अपना संस्था-ज्ञापन पत्र है, नहीं मिलाया गया है। जब भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संस्था बनी थी, तो भारतीय पटसन मिल संघ अनुसन्धान संस्थान के कार्यों को पहले से अपने हाथ में ले लिया था और पिछले को बन्द कर दिया गया था।

(घ) भारतीय पटसन उद्योग अनुसन्धान संघ अपने कार्यकलापों को अपनी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों तथा संस्था-ज्ञापन पत्र में सम्मिलित विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार चला रहा है। संस्था के ज्ञापन-पत्र और नियमों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद ने स्वीकृति दे दी थी,

Systematic Election for the N. D. M. C.

7536. Shri Kanwar Lal Gupta: Shri Jagannath Rao Joshi: Shri Hardayal Devgun: Shri Y. S. Kushwah: Shri Ram Singh Ayarwal

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to hold systematic elections for the New Delhi Municipal Committee instead of nominating the Members; and

(b) if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidyya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) It is not proposed to make any change in the present arrangement.

Pak Intrusion in Cooch Behar Village

7537. Shri Hukam Chand Kachwai: Ram Singh Ayarwal:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that **25 Pakistanis** equipped with lathis and weapons intruded into a village in Cooch-Behar on the 18th January, 1967 and escaped with Rupees 3,500/- and other valuables belonging to a Muslim; and

(b) if so, the action taken by the Central Government in the matter?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) On the night of 17/18th January, 1967, some unknown criminals armed with lathis committed dacoity in the house of one Aramuddin of Baramaricha, PS Sitalkuchi, District Cooch Behar, West Bengal and decamped with cash and valuables worth Rs. 3500/-. There is no evidence of any Pak criminals being responsible for this crime.

(b) A case has been registered by the local police and investigation has been taken by them. One local criminal has been arrested.

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के अधीनस्थ टेलीफोन केन्द्रों के कर्मचारियों की हड़ताल

7538. **श्री कंवर लाल गुप्त : श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्री कामेश्वर सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोल बाग टेलीफोन केन्द्र के लगभग 120 लाइनमैनों ने हड़ताल कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के टेलीफोन-केन्द्रों के बाहरी काम करने वाले लगभग 1,000 कर्मचारियों ने हड़तालियों की मांग की सहानुभूति में अपना काम बन्द कर दिया था ;

(घ) हड़ताल आरम्भ होने के समय से लाइनों की खराबियों की कितनी शिकायत टेलीफोन केन्द्रों के पास लंबित हैं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। करोल बाग टेलीफोन केन्द्र के लाइन कर्मचारियों ने 14-7-67 को 'औजार बन्द' हड़ताल की थी और 17-7-67 को वे फिर से काम पर आ गए।

(ख) उनकी केवल एक यह मांग थी कि लाइन कर्मचारियों को परेशान करने के कथित आरोप के कारण एक इन्जीनियरी सुपरवाइजर को स्थानान्तरित कर दिया जाए।

(ग) जी हां। दूसरे टेलीफोन केन्द्रों के बाहरी काम करने वाले कर्मचारियों ने 17-7-67 को उनकी सहानुभूति में सुबह कुछ घंटों के लिए हड़ताल की थी।

(घ) 14-7-67 को दिन समाप्त होने के समय 179

15-7-67 को दिन समाप्त होने के समय 194

16-7-67 को दिन समाप्त होने के समय 201

(ङ) जिस इन्जीनियरी सुपरवाइजर के विरुद्ध आरोप लगाये गए हैं, वह छुट्टी पर है और टेलीफोन परिमंडल के सतर्कता अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच की गई है। सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट की दिल्ली टेलीफोन परिमंडल के जनरल मैनेजर द्वारा जांच की जा रही है।

Appointments Through Examinations

7539. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the seniority of the persons appointed by the Central Government on the basis of examinations and advertisements is fixed on merit;

(b) whether it is also a fact that some appointments have not been made on the basis of merit; and

(c) if so, their number during the last two years and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to the existing general principles of seniority, seniority in civil services/ posts, direct recruitment to which is made on the basis of examination or by selection on the basis of interview, is determined by the order of merit assigned by the selecting authority on the results of the examination or of interview. Persons appointed as a result of an earlier selection are treated senior to those appointed as a result of subsequent selection, provided that where persons recruited initially on a temporary basis are confirmed subsequently in an order different from the order of merit indicated at the time of their appointment, seniority follows the order of confirmation and not the original order of merit.

(b) and (c) Necessary information is being collected and it will be laid on the Table of the House as early as possible.

राजनीतिज्ञों का शासन

7540. श्री जार्ज फरनेंन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अप्रैल, 1967 को दूसरे सप्ताह में दिल्ली में लगाये गये उस इश्तिहार की जानकारी है जिसमें राज-नीतिज्ञों के शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी ;

(ख) क्या इस इश्तिहार के लेखकों का पता लगाया गया है; और

(ग) क्या यह इश्तिहार जारी करने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई पोस्टर सरकार के ध्यान में नहीं आया ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Loss Due to Storm in Assam and West Bengal

7541. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the extent of loss to life and property sustained in Assam and West Bengal due to storm in the third week of April, 1967; and

(b) the aid given by the Central Government in these areas, if any ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Rama Swamy):

(a) A statement giving information received from the Governments of Assam and West Bengal is attached.

(b) No request for financial assistance has been received from any of the States.

State	Loss to Life		Loss of Property
	Human	Animal	
Assam	2	–	Rs. 5,01,300
West Bengal	1	3 cattle and 30 goats	Rs. 4,12,195

राष्ट्रीय श्रम आयोग

7542. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों तथा श्रमजीवी वर्गों के अब तक अप्रत्याशित पहलुओं के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े तथा जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कोई व्यापक प्रश्नावली बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली की पांच प्रतियां पहले ही संसद पुस्तकालय को भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास मण्डल

7543. श्री शारदा नन्द : श्री रणजीत सिंह :
श्री जि० ब० सिंह : श्री रानेन सेन :

क्या **शिक्षा** मंत्री 31 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 971 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों का परिचलन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रकाशकों को कर से छूट तथा अन्य सुविधायें देने के लिये राष्ट्रीय पुस्तक विकास मण्डल की सिफारिश पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक विकास मण्डल की संगत सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में सहानुभूति हड़ताल का आह्वान

7544. **श्री मधु लिमये** : **श्री जार्ज फरनेंन्डीज** :
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री राम सेवक यादव** :
श्री डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिये हड़ताल का आह्वान किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने काम पर न आने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों को आदेश दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) हड़ताल में कितने लोगों ने भाग लिया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) पता चला था कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ संगठन दिल्ली के कुछ पुलिस कर्मचारियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में 22 अप्रैल, 1967 को एक हड़ताल का आयोजन कर रहे थे। इसीलिये मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया था कि वे उस दिन काम से अनधिकृत अनुपस्थिति के सभी मामलों को हड़ताल माने और सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ आचरण नियमों के उलंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। आगे यह भी निश्चय किया गया कि अनुपस्थिति को सेवा में भंग माना जाये और किसी भी तरह उसको नियमित न किया जाए।

(ग) और (घ) अस्तु इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि हड़ताल हुई ही नहीं।

पूना के परिवहन प्रबन्धक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा, सीमा शुल्क तथा अन्य विधियों के उल्लंघन के आरोप में जांच

7545. **श्री मधु लिमये** : **श्री जार्ज फरनेंडीज** :
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री राम सेवक यादव** :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री 30 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2673 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा, सीमा-शुल्क तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन करने के लिये पूना के भूतपूर्व परिवहन प्रबन्धक के मुकद्दमे के मामले में राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर पर इस बीच विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मामले की आगे जांच की गई थी और परिवहन प्रबन्धक, पांच निजी फर्मों और उनके साझीदारों एवं निदेशकों पर आयात तथा निर्यात (प्रतिबन्ध) अधिनियम की धारा 5 के अधीन तथा एक अन्य फर्म के कर्मचारियों एवं निदेशकों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया था । तदनुसार 10 जुलाई, 1967 को अतिरिक्त मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट, बम्बई के न्यायालय में आयात तथा निर्यात (प्रतिबन्ध) अधिनियम की धारा 5 के अधीन एक शिकायत और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अधीन एक चार्ज शीट दर्ज कराई गई थी ।

Conversion of Patna University into a Central University

7546. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri N. K. Tiwari :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Teacher's Union of Patna University has requested the Central Government for the conversion of the Patna University into a Central University; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Police Code

7547. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a uniform Police Code and introduce a uniform Police Set-up throughout the country; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Harcourt Butler Higher Secondary School, New Delhi

7548. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Harcourt Butler Higher Secondary School, Mandir Marg, New Delhi charges compulsorily Rs. 20/- annually from guardians of the students for the Building Fund of the School and complaints have been sent to Government against this practice and no action has been taken in the matter ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) ; (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

Accident in a Dhanbad Colliery

7549. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one person was killed and four others injured as a result of collapse of a Dhanbad colliery, as reported in the Navbharat Times (Hindi Daily) dated the 1st May, 1967;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the assistance given by Government to the injured persons and the families of the persons who died ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) A fatel accident took place at Kendwadih Colliery of M/s, East Indian Coal Co. Ltd. on the 28th April, 1967 due to roof fall resulting in the death of one worker and serious injuries to three.

(b) The accident took place at the junction of three development headings. While loaders were engaged in loading coal after blasting, a mass of roof coal fell down at the junction inflicting serious injuries to four persons. One of the injured succumbed to the injuries on the way to the surface.

(c) Action is being taken to provide the prescribed finanical assistance from the Coal Mines Labour Welfare Fund. Such assistance is available only to the dependants of the persons killed in fatal accidents or to the workers themselves where they are permanently incapacitated due to an accident.

Conference of Labour Ministers in Delhi

7550. **Shri D. S. Patil :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a Conference of Labour Ministers of States was held in Delhi on the 9th May, 1967 ;

(b) if so, the topics discussed and recommendations made at the Conference;

(c) whether discussions were also held regarding the agricultural labour ; and

(d) whether a decision was taken in respect of Payment of Bonus Act, 1965 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(a) The Conference mainly considered the present labour situation in the country and matters relating to recognition of trade unions, automation and enforcement of labour laws, etc. No decisions as such were recorded.

(c) The Conference took note of a suggestion that various labour laws should be progressively extended to agricultural labour also.

(d) No. Sir.

शिक्षा के सम्बन्ध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण

7551. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण का प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1298/67]

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध होते ही रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों के पास भेज दी जाएंगी और राज्य सरकारों से कहा जायेगा कि शिक्षा की जिला विकास आयोजनाएं तैयार करते समय वे सर्वेक्षण के निष्कर्षों को ध्यान में रखें।

Attack on Indian Village in India Distt. By Armed Pakistanis.

7552. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 60 armed Pakistanis attacked the village Vistugan in District Nadia on or about the 19th May, 1967;

(b) whether it is also a fact that Pakistanis abducted a woman and looted a good deal of property ;

(c) if so, the extent of loss of life and property incurred; and

(d) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) No such incident took place on the 19th May, 1967. However, on 17th May, 1967, 50/60 Pakistanis trespassed into Indian territory at Bistuganj (not Vistugan), District Nadia, West Bengal and attacked two members of a patrol party of the Betai border out-post with the intention of freeing a notorious Pak dacoit. The incharge of the patrol party suffered injuries while resisting the attack of the Pakistanis. Two bullocks were lifted. There was no loss of life on our side. As regards the alleged abduction of a woman, the exact position is being ascertained.

(d) Border outposts have been alerted and necessary steps to intensify patrolling have been taken. A protest has also been lodged by the District Magistrate, Nadia, with his counterpart in East Pakistan.

Wealth of the Late Nizam of Hyderabad

7553. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri George Fernandes :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Atam Das :
Shri Y. S. Keshwah :
Shri Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **HomeAffairs** be pleased to state :

(a) whether the full details of the estate of the late Nizam of Hyderabad have been received by Government ;

(b) whether it is a fact that this estate includes some precious diamonds and jewellery, the value of which has not been estimated so far ;

(c) whether Government have received information that some of these diamonds and jewellery are being sent to other countries stealthily; and

(d) if so, the measures proposed to be adopted for preventing country's property being sent abroad ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) The late Nizam's successor had not yet filed the estate duty returns (by 31st July, 1967).

(c) Government have seen newspaper reports and received a representation in which allegations have been made that the Nizam of Hyderabad was intending to sell jewels in foreign countries.

(d) For preventing illegal export of anything, the normal precautionary and preventive steps are taken to the best extent possible.

श्रम कल्याण योजनाओं का पुनरीक्षण

7554. **श्री ओंकार सिंह बेरवा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम कल्याण योजनाओं का पुनरिक्षण करने के लिये एक समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति के विचारार्थ विषय ये हैं :—

(i) निजी ओर सरकारी दोनों क्षेत्रों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, जिनमें खानें और बागान भी शामिल हैं।

(ii) ऐसी सिफारिशें करना जोकि वर्तमान कल्याण योजनाओं के कार्यों में सुधार करने या नई योजनाएं शुरू करने के लिए आवश्यक समझी जाएं।

(iii) ऐसे उद्योगों के बारे में जांच करना और उनके नाम सुझाना जिनमें कोयला कल्याण निधि और अभ्रक खान कल्याण निधि जैसी कल्याण निधियां बनाई जा सकती हैं;

(iv) आम ग्रामीण श्रमिकों और विशेषकर कृषि श्रमिकों के लिय कल्याण योजनाएं शुरू करने के उपाय सुझाना ;

(v) किसी ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जिसे समिति उचित समझे।

(ग) आशा है कि यह समिति सितम्बर, 1968 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

स्कूलो में सरकारी परीक्षाओं को समाप्त करना

7555. **श्री श्रद्धाकार सुपकार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल स्तर पर सभी आम तथा सरकारी परीक्षाओं को जिसमें हाई स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा भी शामिल है समाप्त करने का सरकार ने निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया मालूम हो गयी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद सम्बन्धी निहार रंजन रे समिति

7556. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री वासुदेवन नायर :**
श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री नीलम रंजन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तकनीकी निदेशालयों के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त की गई निहार रंजन राय समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं ;

(ख) क्या यह समिति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा नियुक्त की गई थी अथवा मंत्रालय द्वारा; और

(ग) इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इस काम के लिये उनकी तकनीकी योग्यताएं क्या-क्या हैं?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) नीहार रंजन रे समिति भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र और प्रकाशन और सूचना निदेशालय की स्कीकृति करने और उनके काम में समन्वय लाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी ।

(ख) समिति को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के उपाध्यक्ष (शिक्षा मंत्री) ने नियुक्त किया था ।

(ग) समिति के व्यक्तियों के नाम और उनकी तकनीकी योग्यताएं नीचे दी जा रही हैं ।—

सदस्य का नाम	तकनीकी योग्यताएं
1. डा० नीहार रंजन रे, निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास, शिमला ।	एम० ए०, पी० आर० एस० (कलकत्ता) डी० लिट् और फिल० (लीडन), डिप लाइब्रेरी (लन्डन), एफ० ए० एस० (कलकत्ता) एफ० एल० ए० (ग्रेट ब्रिटेन) एफ० आर० ए० एस० और एफ० आर० एस० ए० (लण्डन) ।
2. डा० के० वेंकटरमण, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना ।	एम० ए० (मद्रास) एम० एस० सी०टेक०, पी० एच० डी०, डी० एस० सी० (मंच), एफ० एन० आई०, एफ० ए० एस० सी०
3. डा० वेणी प्रसाद, कार्य निकृत निदेशक, भारतीय प्राणकीय सर्वेक्षण और भारत सरकार के मत्स्यपालन सलाहकार ।	डी० एस० सी०, एफ० आर० एस० ई०, एफ० आर० ए० एस० बी०, एफ० एन० आई ।

ये सभी सुप्रसिद्ध विद्वान हैं और सबकी प्रलेखन और प्रकाशनों में विशेष रुचि है ।

N. C. E. R. T. Report

7557. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Ravi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the report of N. C. E. R. T. was got translated by the officers of the Central Hindi Directorate on payment of remuneration; and

(b) if so, the designations of these Officers of the above Directorate who had done the translation of the said report and the amount of remuneration paid to each of them?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b)	Assistant Education Officer ..	Rs. 155.00
	Assistant Education Officer ..	Rs. 165.00
	Assistant Education Officer ..	Rs. 150.00
	Assistant Education Officer ...	Rs. 170.00
	Research Assistant ..	Rs. 138.00
	Total ..	Rs. 778.00

Posts in Central Hindi Directorate and Commission for Sientific and Technical Terminology

7558. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Kameshwar Singh :
Shri Nihal Singh :
Shri Srichand Goel :
Shri A. Sreedharan :
Shri J. H. Patel :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is fact that most of the posts in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology have been made permanent;

(b) if so, whether the persons working on these posts have also been confirmed; and

(c) if not, the reason therefor and when they are likely to be confirmed ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. 71 posts in the Central Hindi Directorate and 70 posts in the Commission for Scientific and Technical Terminology have been made permanent.

(b) and (c) Administrative formalities like drawing up of seniority lists were finalished only recently. A meeting of the Departmental Promotion Committee will be held in the near future to finalise confirmation of the personnel against the permanent posts.

Middle School Examination in Delhi

7559. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Middle and Higher Secondary Schools of Delhi and New Delhi areas have been exempted from holding Middle School examinations;

(b) if so, the reason therefor;

(c) whether any survey was conducted to ascertain that the said schools were maintaining higher educational standard in case this exemption has granted on that basis; and

(d) the names of these schools.

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The main reasons for exemption are :

(i) The exempted institutions adopt the media of instruction in which the Delhi Administration has not brought out text books. In the absence of common text books, a common examination is not possible.

(ii) In the case of one exempted school it was exempted as it was an experimental school attached to the Central Institute of Education.

(c) Educational standard is not the criterion for exemption; hence the question of conducting a survey does not arise.

(d) The requisite information is given in the list Laid on the Table of the House [Placed in Library See No. LT—1299/67]

विमानों से लिये गये फोटो का विश्लेषण

7560. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी अधिकारी ने आई० टी० सी० डैल्फट में प्रशिक्षण पाते समय विमानों से लिये गये फोटो के विश्लेषण के बारे में कोई योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग के संसाधन डिवीजन के सलाहकार द्वारा एक सुविख्यात भारतीय भू-वैज्ञानिक से प्राप्त योजना पर उनकी क्या टिप्पणी की; और

(ग) भू-सर्वेक्षण के लिये विमानों द्वारा फोटो लेने की उपयोगिता जिस पर इस अधिकारी ने जोर दिया था कहां तक सिद्ध हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अभिलेखों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि आई० टी० सी० डल्फट में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उस विभाग के किसी अधिकारी ने विमानों से लिये गये फोटो के विश्लेषण के बारे में कोई योजना तैयार की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भू-विश्लेषण

7561. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी अधिकारी ने आई० टी० सी०, डैल्फट में विमानों से लिये गये फोटो से भू-विश्लेषण करने तथा फोटोग्रामिट्री से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के उक्त प्रशिक्षण से भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कितना लाभ हुआ है; और

(ग) आई० टी० सी० डैल्फट में भू-विश्लेषण पाठ्यक्रम के लिये कोई व्यवसायिक भू-वैज्ञानिक न भेजे जाने के क्या कारण थे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान द्वीप समूह में मैसर्स ओकुजी फर्म

7562. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार समूह प्रशासन ने अन्दमान द्वीप समूह के नारियल और सुपारी उत्पादकों से उनका माल खरीदने वाली एक मात्र फर्म मैसर्स ओकुजी फर्मों की माल खरीदने की अनुमति समाप्त करने के आदेश दे दिये हैं; और

(ख) क्या वहां के प्रशासन को अपेक्षित धन दिया गया है, जिससे वह व्यापार को अपने हाथ में ले सके और उत्पादकों की सहायता कर सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मैसर्स ओकुजी जादवेत एण्ड को० तथा मैसर्स कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और मैसर्स नानकावरी ट्रेडिंग कम्पनी नामक अन्य दो फर्मों को निकोबार द्वीप समूह में उत्पादकों से नारियल खरीदने का अधिकार प्राप्त था। इन दोनों फर्मों के 50% हिस्से जादवेत परिवार के व्यक्तियों ने अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से खरीद रखे थे। अस्तु। जुलाई, 1967 से निकोबारीज कामर्सशियल कम्पनी नामक आदिवासियों की एक नई कम्पनी ने कार निकोबार में कारोबार शुरू कर दिया है। नानकावरी में आदिवासियों के एक कम्पनी के अक्तूबर, 1967 से काम शुरू कर देने की आशा है।

(ख) आदिवासियों को अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा उनके प्रयत्नों में हर सम्भव सहायता तथा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है।

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतियों के लिये दिल्ली में भूमि का आवंटन

7563. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने बर्मा से वापस आये भारतीयों को लघु उद्योग आरम्भ करने हेतु दिल्ली के पास के औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन करने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु उद्योग आरम्भ करने के लिये अधिक राशि के ऋणों, तकनीकी जानकारी तथा मार्ग-दर्शन के रूप में उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अधिकांश लोग भारत में अधिक सम्पत्ति या बचत के बिना ही लौटे हैं और इसलिये औद्योगिक प्लाटों के आरक्षण के लिये पर्याप्त औचित्य नहीं है और वे दूसरे लोगों के साथ ही अपनी बारी पर प्लाट ले सकते हैं।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान

7564. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या शिक्षा मंत्री 31 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि के बारे में दिल्ली प्रशासन के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) सुझाव अभी सरकार के विचाराधीन है।

बेरोजगार व्यक्तियों का बीमा

7565. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 31 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार व्यक्तियों का बीमा करने के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस समय बेरोजगार व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु उन व्यक्तियों के लिए, जो कि नौकरी में हैं परन्तु छंटनी या किसी और कारण से नौकरी खो सकते हैं, बेरोजगारी बीमा योजना शुरू करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खोसला आयोग

7566. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नायनार :

क्या गृह-कार्य मंत्री 31 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खोसला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आयोग की सिफारिशों पर अभी तक सरकार विचार कर रही है।

मंत्रियों के निजी कर्मचारी

7567. **श्री ज्योतिर्मय वसु :**
श्री भगवान दास :
श्री क० हाल्दर :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों के विभिन्न वर्गों के निजी कर्मचारियों को किस प्रकार का काम सौंपा जाता है और वे क्या काम करते हैं;

(ख) क्या उनका ध्यान 19 मई, 1967 की 'पेट्रियट' समाचारपत्र में छपे "मंत्री के कर्मचारियों पर व्यय" समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मंत्रियों के निजी कर्मचारियों का काम आमतौर पर मंत्रियों को कुछ महत्वपूर्ण फाइलों, पत्र व्यवहार वाले संसदीय कागजात को रखने में सहायता देना, साक्षात्कार करने वालों को समय देना, मिलने

के लिए आने वालों का स्वागत, टेलीफून कालों की पड़ताल मीटिंगों की व्यवस्था, शीघ्रलिपि में डिक्टेशन लेना और उसे टाइप करना, डाक की प्राप्ति तथा प्रेषण और ऐसी सहायता देना जिसकी मंत्रियों को अपने काम के बारे में आवश्यकता पड़े ।

(ख) और (ग) मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के लिए व्यक्तिगत कर्मचारियों की संख्या का एक मान दंड निर्धारित किया गया है । अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति अथवा पदों के उन्नयन से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों की स्वीकृति से पहले सावधानी से जांच की जाती है ।

शिक्षा के बारे में संसद् सदस्यों की समिति

7568. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री 7 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 339 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के सम्बन्ध में संसद सदस्यों की समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन सभा-पटल पर 25-7-1967 को रखा गया था ।

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

7569. श्री पहाड़िया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं, यूनिटों में निदेशकों, उप-निदेशकों तथा सहायक निदेशकों के पदों के लिये निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी योग्यता और व्यावसायिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों और यूनिटों के निदेशकों, उप-निदेशकों और सहायक निदेशकों के पदों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यताएं प्रत्येक प्रयोगशाला के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं जो विज्ञान और टेक्नोलोजी की विशेष शाखा और कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करती है । इन पदों के लिए कोई मानक योग्यताएं निर्धारित नहीं की जा सकती । तथापि, उच्च शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव

तथा अनुसंधान की आयोजनाएं तथा उनकी निर्देशन योग्यताएं सामान्य तौर पर निर्धारित की जाती हैं।

राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम

7570. श्री पहाड़िया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन हाल ही में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले बोर्ड में क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के कार्य-संचालन में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां :

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें परिवर्तन दिखाए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1300/67]**

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और उपयोग के और अधिक प्रभावशाली साधन के रूप में निगम के कार्य में सुधार करने की दृष्टि से निगम के कार्यकलापों का निदेशक मंडल द्वारा पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला

7571. श्री पहाड़िया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला के वर्तमान निदेशक का नाम क्या है तथा उनकी नियुक्ति की तारीख क्या है;

(ख) वायुगतिकी के सम्बन्ध में उनकी योग्यता तथा अनुभव कितना है, जिसके कारण सरकार ने उनके लिये सुविधाएं प्रदान करने हेतु पांच करोड़ रुपये खर्च किये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उनके द्वारा पद सम्भाल लिये जाने के बाद वायुगतिकी विषय के योग्यता-प्राप्त बहुत से व्यक्ति इस प्रयोगशाला की नौकरी छोड़ कर चले गये हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि इतनी अधिक लागत से प्रदान की गई सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला, बंगलौर के निदेशक का नाम डा० एस० आर० वल्लूरी है और वह 23-11-1965 को नियुक्त किए गए थे।

(ख) डा० वल्लूरी की योग्यता वैमानिकी में पी० एच० डी० (जिसमें विमानगतिकी में पाठ्यक्रम कार्य शामिल है) है। वे ढांचों के विशेषज्ञ हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सुविधाओं का उपयोग आश्वस्त करने के लिऐ प्रयोगशाला ने नीचे लिखी कार्रवाई शुरू की है :—

(एक) प्रयोगशाला के वैज्ञानिक हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड के डिजाइन इन्जीनियरी वर्ग के साथ अनुदिन काम करने का सम्बन्ध रखते हैं।

(दो) एयर मार्शल लाल और डा० वी० एम० घाटगे, महा प्रबन्धक, हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड (बंगलौर डिवीजन) प्रयोगशाला की कार्यकारी परिषद् के सदस्य हैं।

(तीन) हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड के डिजाइन इंजीनियरों के साथ ऐसी दत्तसामग्री पैदा करने के बारे में चर्चा चल रही है, जो इस समय हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड के सक्रिय विचाराधीन कुछ वर्तमान आयोजनाओं पर प्रभाव डालेंगे।

(चार) कुछ दूसरी रक्षा सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने के लिए भी सुविधाओं का उपयोग करने की आयोजनाएं विचाराधीन हैं।

विवरण

1. डा० वाई० वी० जी० आचार्य (साइंटिस्ट ई) ने डा० वल्लूरी के प्रयोगशाला के निदेशक का पद संभालने से पहले त्यागपत्र दे दिया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने सुझाया था कि उनको छः महीने की छुट्टी ले लेनी चाहिए और इन छः महीनों की अवधि में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

2. डा० तिरुमलेश (साइंटिस्ट सी) डा० वल्लूरी के प्रयोगशाला के निदेशक का पद संभालने से पहले विदेश चले गए और उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि वह तभी वापस काम पर आएंगे, अगर उनको उप-निदेशक का स्थान दिया जाएगा। अन्यथा उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया जाए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया जाए।

3. श्री एम० एस० शास्त्री (साइंटिस्ट बी) ने जो प्रयोगशाला के विमानगतिकी डिवीजन में ढांचों की समस्याओं पर काम कर रहे थे, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी खडगपुर में एक पद पर आवेदन भेजा और निदेशक को सूचित किया कि उनकी रुचि अध्यापन में ज्यादा है। उनके इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी में नियुक्त हो जाने पर निदेशक ने उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया।

4. डा० पी० ए० इरानी (साइंटिस्ट बी) उस समय दो से ज्यादा साल से विदेश थे, जब डा० वल्लूरी ने कार्यभार संभाला और उन्होंने वहीं से त्यागपत्र भेज दिया, जिसे निदेशक ने मंजूर कर लिया।

अन्दमान द्वीपों में मछली पकड़ने की पकड़ी गई विदेशी नावें

7572. श्री अ० सिं० सहगल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में अन्दमान के जलक्षेत्र में से बिना आज्ञा मछली पकड़ने वाली कितनी विदेशी नावें और इंजन वाली नावें (आउटबोर्ड इंजन) पकड़ी गई;

(ख) इनमें से कितनी नावों को बाद में छोड़ दिया गया;

(ग) उनमें से कितनी नावें समुचित देखभाल न की जाने के कारण डूब गई और उनका मूल्य नहीं मिल सका और उनमें से कितनी नावों को हम काम में ला रहे हैं;

(घ) ऐसी नावों के लिये विदेशी सरकारों को कुल कितना प्रतिकर दिया गया; और

(ङ) ऐसे मामलों को जल्दी निपटाने और हानि से बचने के लिये नावों की निगरानी रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले पांच वर्ष के दौरान कुल मिला कर 19 विदेशी नावें पकड़ी गई थीं उनमें से दस को मछली पकड़ते हुए और शेष को लंगर डाले हुए या संचालन की व्यवस्था में पकड़ा गया था। अलग से कोई आउट बोर्ड इंजन नहीं पकड़े गये थे हां पकड़ी जाने वाली नावों में से कुछ में आउट बोर्ड इंजन लगे थे।

(ख) कुल मिलाकर 12 नावों को छोड़ा गया इनमें से एक को सजा देने के बाद छोड़ा गया था।

(ग) जो नावें जब्त की गई थी उनमें से कोई भी समुचित देखभाल के अभाव में डूबी नहीं है। इनमें से तीन नावों को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा काम में लाया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी निबटाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं और हानि से बचने के लिए अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन स्वयं इनकी देखभाल करता है।

उड़ीसा में गिरजाघरों को जलाया जाना

7573. श्री मधु लिमये :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री रवि राय :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चौथे आम चुनावों से पहले उड़ीसा में कुछ गिरजाघरों के जलाये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या पराजित सरकार और अथवा स्वतंत्र दल तथा असन्तुष्ट कांग्रेसियों की नयी मिली-जुली सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई सलाह दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) उड़ीसा की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तत्कालीन सरकार के आदेशानुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जांच की थी । गिरजाघरों का जलाया जाना रोका नहीं जा सका । किन्तु स्थिति को नियन्त्रण में कर सकने के कार्य में असफलता के लिए किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका । उपद्रवियों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गये हैं और उन्हें सैशन सुपुर्द कर दिया गया है ।

(घ) और (ङ) नवम्बर, 1966 में राज्य सरकार को स्थिति के बारे में सतर्क रहने, साम्प्रदायिक सौहृद्रि भाव बनाये रखने के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिये प्रमुख नागरिकों की पीस कमेटियां स्थापित करने के बारे में विचार करने और ईसाई समाज को सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करने के लिये कहा गया था । इस बात की भी आशा थी कि सरकार द्वारा गिरजों के पुनर्निर्माण के लिए पहले से दिया गया आश्वासन भी शीघ्रता से और खुले दिल से पूरा किया जाएगा ।

गैर-सरकारी गुप्तचर एजेन्सियां

7574. श्री ज्योतिर्मय बसु ।
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी गैर-सरकारी गुप्तचर एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी एजेंसियां भारतीय हैं;

(ग) उनमें से कितनी एजेंसियां विदेशी हैं;

(घ) क्या ऐसी एजेंसी चलाने के लिये कोई लाइसेंस लेना आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने लाइसेंस दिये गये हैं और किन शर्तों पर ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सरकार को देश में 18 गैर-सरकारी गुप्तचर एजेंसियों का पता है । उन सभी का प्रबन्ध भारतीय राष्ट्रजनों के हाथ में है । विदेशी द्वारा चलाई जाने वाली किसी गुप्तचर एजेंसी की जानकारी सरकार को नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रियों द्वारा व्यय की मंजूरी

7575. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय अनुदानों तथा विवेकानुदानों में से व्यय की मंजूरी देने के मामले में हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के मंत्रियों अथवा वहां के मंत्रिमण्डल की शक्तियों पर क्या सीमायें निर्धारित की गई हैं;

(ख) उनके लिये निर्धारित सीमा से अधिक राशि की मंजूरी देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) यदि ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है और सामान्यतः यह स्वीकृति प्राप्त करने में कितना समय लगता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अगस्त, 1965 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को 5000 रु० के विवेकात्मक अनुदान की पेशकश की गई थी। मार्च, 1967 में अनुदान की राशि बढ़ा कर 7000 रु० कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के अन्य किसी मंत्री को ऐसे किसी अनुदान की पेशकश नहीं की गई थी। अपने विवेकात्मक अनुदान में से व्यय मंजूर करने के मामले में मुख्य मंत्री की शक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है। अतः निर्धारित राशि से अधिक मंजूर करने या ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन देने का अब तक कोई प्रश्न नहीं उठा है। तथापि, विवेकात्मक अनुदान के उपयोग के लिये विस्तृत नियम निर्धारित करने का विचार है।

मंत्रियों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के तबादले

7576. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रिमण्डल तथा मंत्रियों को राजपत्रित अधिकारियों का अपने अपने विभागों के लिये तबादला करवाने अथवा उनका तबादला करने के सम्बन्ध में क्या अधिकार दिये गये हैं;

(ख) उन पर लगाई गई सीमा के बाहर इन कामों के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित आदेशों को केन्द्र से पास करवाने में प्रायः कितना समय लगता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रिमंडल या मंत्रियों को राजपत्रित अधिकारियों के तबादले के सम्बन्ध कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यह अधिकार सेवा नियमों द्वारा निर्धारित उपयुक्त अधिकारी को प्राप्त है। जहां यह शक्ति प्रशासक को मिली हुई है वहां उसे मुख्य मंत्री से परामर्श करना पड़ता है। संयुक्त संवर्ग के अधिकारियों के मामले में यह अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसे अधिकारियों का राज्य क्षेत्र में तबादला करते समय केन्द्रीय सर-

कार से, जब आवश्यक हो, परामर्श लेती है तथा केन्द्रीय सरकार परामर्श देने में अधिक विलम्ब नहीं करती है ।

मुनाफाखोरों को दन्ड-विधियों के अन्तर्गत लाना

7577. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुनाफाखोरों को दण्ड विधियों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अनिवार्य वस्तु अधि- निमम में मुनाफाखोरों पर मुकदमा चलाने की व्यवस्था है । निवारक निरोध अधिनियम का धारा 3 (i) (क) (iii) में किसी व्यक्ति को समाज के लिए अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई के मार्ग में बाधा उपस्थित करने से रोकने के लिए नजर बन्द किया जा सकता है । मुनाफा- खोरी सम्बन्धी कानून को और अधिक कड़ा करने का एक सुझाव भी विचाराधीन है ।

Hindi Teaching School

7578. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharti :
Shri J. H. Patel :
Shri Ram Sewak Vadav :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) The total expenditure incurred so far on as Hindi Teaching Scheme;

(b) the number of Teachers, Supervisors, Hindi officers etc. working under this Scheme;

(c) the number of officers trained under the Scheme who have started doing their work in Hindi, and

(d) whether Government propose to ask those officers who have not done so as yet to start doing their work in Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) A year-wise Statement is attached.

(b)	Teachers	,,	208
	Supervisors	,,	4
	Assistant Supervisors	,,	14
	Regional Officers	,,	4

(c) and (d) : The Scheme for training of officers in Hindi is primarily a preparatory measure faciliting for switch over to the use of Hindi for official purposes of the Union. The Hindi trained officers would gradually be utilized to a greater extent as the quantum of work done in Hindi increases.

Statement

Year	Amount
	Rs.
1955-56	..
1956-57	1,44,360
1957-58	6,82,579
1958-59	8,82,132
	16 753
1959-60	9,73,146
1960-61	11.44,766
1961-62	13,07,885
1962-63	17,40,577
1963-64	17,70,321
1964-65	20,40,912
1965-66	22,93,256
1966-67 (H. E.)	22,14,200
1967-68 (B. E.)	22,64,500

Palace of the Late Rular of Bastar

7579. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the reasons for which the palace in which the late Maharaja Pravin Chandra Bhanj Deo had been residing has not been to his widow Maharani Vedwati;

(b) whether the said palace would now be given to Maharani Vedwati; and

(c) if so, when ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) The palace was treated as the private Property of the Ruler of Bastar. The late Shri Pravin Chandra Bhanj Deo had been permitted to stay in the palace for his lifetime by the present Ruler.

(b) This is not a matter for Government.

(c) Does not arise.

Industrial Committee on Coal Mining

7580. **Shri Nihal Singh** :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2346 on the 14th June, 1967 and state :

(a) whether action has since been completed on the conclusions of the Industrial Committee on Coal Mining;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken in this matter ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) (a) to (c) : Action has been initiated on all the conclusions of the 10th Session of the Industrial Committee Coal Mining. Details of the action taken so far are given in the statment laid on the Table of the House. [Placed id Library See No L. T. 1301/67] It is not possible to indicate to when action on each conclusion will be completed.

C. B. I. Report on Missing Farakka Barrage Project Plan

7581. Shri Madhu Limaye :
Shri S. M Banerjee :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the probe by the Central Bureau of Investigation in connection with the documents and plan concerning Farakka Barrage Project finding their way into the hands of Pakistan has now been concluded;

(b) whether it is a fact that after this probe, the Central Bureau of Investigation have now prepared a case against Ex-Chief Engineer of Farakka, Shri Mohit Choudhri, Shri Sunil Das and Shri Tarapad Chakravarti; and

(c) if so, the nature of the charges mentiond in the charge-sheet prepared against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir,

(b) and (c) : A complaint has been filed in this respect in the Court of Additional Chief Presidency Magistrate, Calcutta against Mohit Choudhri, Sunil Rajan Das, Tarapada Chakraborty and A. L. Das, retired Chief Engineer, Irrigation and water ways, west Bengal under sections 3, 5 and 9 of the Indian official Secrets Act and 120-B I. P. C. The allegations against the accused persons in the complaint, briefly stated, are that they had conspired to commit offences under the Indian Official Secrets Act and that they obtained and communicated documents or information to the then Deputy High Commissioner for Pakistan in Ind a at Calcutta for the benefit of a foreign power and prejudicial to the sefety of the State.

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्तियों तथा विश्वविद्यालय के कालेजों में दाखिले के बारे में जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति

7582. **श्री मरंडी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियों तथा छात्रों को दाखिला देने और अध्यापकों में परीक्षा सम्बन्धी कार्य के वितरण में पक्षपात किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त अनेक शिकायतों की जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डा० पावटे, डा जोशी तथा श्री सन्थानम की सदस्यता पर आधारित एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) इस प्रतिवेदन में क्या मुख्य-मुख्य सिफारिश की गई हैं; और

(घ) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी जिसके अध्यक्ष डा० डी० सी० पावटे और सदस्य डा० ए० सी० जोशी तथा के० सन्थानम थे।

(ख) समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

(ग) और (घ) यह प्रतिवेदन अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

Reception Given to Chinese Diplomats in Calcutta

7583. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atam Das :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri J. Sundar Lal :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Chinese diplomat raised slogans of 'Mao-Zindabad' with participating in a reception meeting at Calcutta on the 20th or 25th of the last month;

(b) whether it is also a fact that the reception meeting was attended by prominent leaders of the Communist party;

(c) whether it is also a fact that closed door secret discussions were held after the reception meeting;

(d) whether Government have taken action against the persons concerned with the meeting; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The Government have no information about the participation of a Chinese in any reception meeting at Calcutta nor about parts (b) and (c) of the question and hence parts (b) and (e) would not arise. The Home Minister has, however already stated on 6. 7. 67 that according to information available with the Government, a Chinese diplomat contacted Communist (Marxist) leaders or workers at Calcutta, that be visited a theatrical performance and that slogans in favour of Mao were shouted during the course of the theatrical performances.

बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के लिये दुकानें

7584. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के लिये कालकाजी कालोनी के निकट कुछ दुकानें बनाने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ये दुकानें आवंटित की जाने के लिये कब तक तैयार हो जायेंगी; और

(ग) क्या सरकार ने बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के लिये इन दुकानों के निकट ही मकान बनाने तथा उनका आवंटन करने के बारे में भी विचार किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां । कालकाजी के समीप दुकानों के निर्माण का प्रश्न दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन है जिसे विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया है । नगर निगम से यह भी पूछा गया है कि किस तारीख तक काम पूरा होने की सम्भावना है ।

(ग) वजीरपुर आवासीय योजना के दूसरे चरण में बर्मा से वापिस आये लोगों के लिये 61 आवासीय भूखण्ड सुरक्षित रखे गये हैं ।

विद्वानों का विदेशों में चले जाना

7585. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :
श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन परिस्थितियों को जानकारी है जिनके कारण वृन्दावन (मथुरा) स्थित प्राच्य दर्शन शास्त्र संस्था (इंस्टीट्यूट आफ ओरियन्टल फिलास्फी) के प्रधानाचार्य डा० ज० बी० त्रिपाठी को, जो स्थायी रूप से यहां बसने के इरादे से स्वदेश वापस आये अपने आने के आठ महीने बाद ही भारत छोड़कर पश्चिम जर्मनी जाना पड़ा था;

(ख) क्या डा० त्रिपाठी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिये गये प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) डा० प्रदोश आइश के मामले के तथ्य क्या हैं, जो कोलोन विश्वविद्यालय (पश्चिम जर्मनी) में समाज शास्त्र पढ़ाते थे और जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सेवा करने लगे थे और जिन्होंने अन्त में पश्चिम जर्मनी वापस जाने का निर्णय किया था;

(घ) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने स्वयं कोलोन विश्वविद्यालय के समाज-शास्त्र विभाग के अध्यक्ष को डा० आइश को पश्चिम जर्मनी वापस बुलाने के लिये कहा था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उस उप-कुलपति की कार्यवाही भारतीय विद्वानों को भारत वापस आने के लिये प्रेरित करने की भारत सरकार की नीति के अनुकूल है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को डा० त्रिपाठी से कोई प्रतिवेदन नहीं मिला । तथापि अध्यक्ष को उस पत्र की प्रतिलिपि मिली थी, जो डा० त्रिपाठी ने आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को लिखा था ।

(ग) और (घ) डा० प्रदोश आइश नामक भारतीय राष्ट्रजन ने एक जर्मन महिला से शादी की और वह पश्चिम जर्मन के इंस्टीट्यूट आफ सोसिओलोजी में काम करता था । वह 1966-67 के सत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में अस्थाई प्रवाचक (रीडर) नियुक्त किये गये थे । नियुक्ति केवल एक सत्र के लिये की गई थी और बिना इस शर्त के कि वह स्थायी रूप से नियुक्त कर लिये जायेंगे । डा० आइश ने 2 अगस्त 1966 को अपना कार्यभार सम्भाला था । विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसके कार्य को असंतोषजनक

पाया और 10 फरवरी 1967 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। डा० आइश इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में गये। न्यायालय में सम्पन्न समझौते के अनुसार विश्वविद्यालय ने उसे 6 जुलाई, 1967 तक का वेतन दे दिया।

राजस्थान विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने फरवरी, 1967 में डा० कोनिंग को लिखा था कि वह डा० आइश को जर्मनी में स्थित अपने संस्थान को लौट जाने को कहें।

(ङ) दो शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों के बीच किसी विद्वान विशेष के बारे में जिसका काम यहां असन्तोषजनक पाया गया हैऔर जिससे दोनों अध्यक्षोंका सम्बन्ध हो, हुए पत्र-व्यवहार पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

विदेशों में काम करने वाले विद्वान

7586. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुमान लगाया गया हैं कि कितने भारतीय विद्वान, शिक्षा–शास्त्री और वैज्ञानिक विदेशों में काम कर रहे हैं;

(ख) उनके देशवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) इन विद्वानों/अनुसंधानकर्ताओं ने किन देशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था;

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद इस देश में वापिस ही नहीं आये;

(ङ) कितने भारतीय विद्वान, शिक्षा-शास्त्री और वैज्ञानिक, जिन्होंने विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वहां रह रहे थे, स्थायी रूप से भारत वापस आ गये हैं;

(च) उनमें से कितने व्यक्ति विदेशों में सेवा के लिये पुन: भारत से चले गये; और

(छ) किन परिस्थितियों के कारण ये भारतीय, जो विदेशों में प्राप्त अनुभव से भारत की सेवा करने के इरादे से भारत आये थे, स्वदेश छोड़कर जाने के लिए बाध्य हुए ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद विदेश स्थित भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और चिकित्सकीय लोगों का एक रजिस्टर रखती है, जिसमें नाम दर्ज कराना स्वेच्छिक है। रजिस्टर में दर्ज लोगों का देशवार विवरण, जैसाकि 1 मार्च, 1967 की स्थिति थी सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1302/67]** (सारणी 1)। उनकी अन्तिम ज्ञात हैसियत भी विवरण में दी गई है। **(सारणी 2)**

(ग) प्रशिक्षण के देशों जैसे कि विदेशस्थ भारतीय रजिस्टर में उपलब्ध हैं, का विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1302/67]**

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) उन भारतीय वैज्ञानिकों और औद्योगिकीविदों की, जो राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हैं पिछले आठ सालों में वर्षवार वापसी का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया है देखिये संख्या एल० टी० 1302/67] (सारणी 4)। इस सामग्री में वापस जाने वाले सभी लोग शामिल नहीं हैं, क्योंकि रजिस्टर में दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उनमें से कितने स्थायी रूप से वापस आ गए।

(च) विदेश की योग्यताओं वाले जो व्यक्ति 'वैज्ञानिक पूल' के लिए चुने गये थे और जो अब उसको छोड़ चुके हैं और अब विदेश में बताये जाते हैं, उनकी संख्या 92 है। इसमें वे 17 व्यक्ति शामिल नहीं हैं, जो फिर विदेश गए और उसके बाद भारत लौट आए।

(छ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गृह-कार्य मन्त्री द्वारा हेलीकोप्टर का प्रयोग

7587. श्री नम्बियार :
श्री प० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :
श्री अनिरुद्धन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री 19 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6093 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनावों के दौरान जिस हैलीकोप्टर का प्रयोग उन्होंने किया था, उसके मालिक का नाम क्या है; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग किया गया था ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) हैलीकोप्टर बाम्बे की मैसर्स पिलमैन एयर क्राफ्ट कम्पनी का था।

(ख) उड़ानों की सुरक्षा के लिये विमान-विभाग, होम गार्डस विभाग आदि के कर्मचारियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस सुविधा के लिये हुए खर्चे को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूरा कर लिया है।

अन्दमान प्रशासन द्वारा बिसाती के सामान की खरीद

7588. श्री अ० सिं० सहगल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान प्रशासन ने सरकारी दुकानों और सहकारी भण्डारों के लिये दो लाख रुपये के मूल्य का बिसाती का सामान होअंर ट्रेडिंग एण्ड कम्पनी नाम की एक फर्म से बिना टेंडर मांगे खरीदा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; ओर

(ग) क्या इस मामले की जांच कराने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) निकोबार द्वीप समूह में गैर आदिवासियों के एकाधिकार को समाप्त करने के सरकारी निर्णय के अनुसार अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने मार्च, 1967 में कलकत्ता तथा मद्रास के मैसर्स औआर ट्रेडिंग कम्पनी से 48557 रुपये का बिसाती का सामान द्वीप समूह में उपभोक्ता सामग्री की सप्लाई बनाए रखने की दृष्टि से खरीदा था। यह फर्म कन्जूमर कोपरेटिव सोयसायटी तथा सेन्ट्रल कोपरेटिव वैलफेयर सोसायटी को ऊपभोक्ता सामग्री सप्लाई करती है। अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने टेंडर मांगने की कागजी औपचारिकता का पालन नहीं किया ऐसा लोक हित की दृष्टि से किया गया क्योंकि प्रशासन के पास इस काम के लिए बहुत थोड़ा समय था। किन्तु बाद में यह निश्चय किया गया कि वर्तमान गैर आदिवासी फर्म के लाइसेंस की अवधि में तीन मास की वृद्धि की जाए। तब तक निकोबारी स्वयं व्यवसाय को संभालने के योग्य हो जायेंगे। इसीलिए माल और उसके पर्चे पोर्ट ब्लेयर के कन्जूमर कौपरेटिब स्टोर को भेज दिये गये थे जिन्होंने बिलों का भुगतान सीधे सप्लायर को कर दिया। इस सौदे में सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। जांच आयोग नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सालार जंग संग्रहालय से चुराये गये चलचित्र

7589. श्री अगाडी : क्या शिक्षा मन्त्री सालार जंग संग्रहालय से 49 कला-चित्रों की चोरी के बारे में 5 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4674 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन दुर्लभ कला चित्रों का पुरातत्वीय मूल्य क्या है; और

(ख) क्या इन चित्रों का बीमा कराया गया था और यदि हां, तो कितनी राशि का ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) गुम हुए चित्रों की कीमत का पता नहीं है। सालारजंग संग्रहालय मंडल ने इन चित्रों की कीमत तय करने के लिए एक उप-समिति स्थापित की हैं।

(ख) इन उन्नचास चित्रों में से तेरह चित्रों का 1958-59 तक के लिए 1150 रुपये का बीमा कराया गया था। उसके बाद इनमें से किसी भी चित्र का बीमा नहीं कराया गया।

डाक जीवन बीमा

7590. श्री शिवचन्द्र झा : क्या संचार मन्त्री डाक जीवन बीमा के बारे में 28 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3912 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस कोष के मूल्यांकन के लिये रिपोर्ट में क्या आधार अपनाये गये हैं और वे आधार वास्तविक अनुभव की तुलना में कितने ठीक या गलत हैं;

(ख) क्या कुछ बचत को अगले वर्ष के खाते में ले जाने का विचार है; और

(ग) क्या बचत की राशि को ऊंची दर पर बोनस देने के रूप में बांट देने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 31-3-66 को मौजूद कोष के मूल्यांकन और किश्त की दरों को निश्चित करने के लिए अपनाये गए आधार और वास्तविक अनुभव का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

आधार	व्यवसाय की श्रेणी		वास्तविक अनुभव
	आजीवन	समर्पण	
(i) मृत्यु-दर	ए (1924-29) अल्ट०	ए (1924-29) अल्ट०	(67 प्रतिशत (वे मृत्यु शामिल नहीं हैं जिनकी सूचना नहीं मिली।
(ii) शेष राशि पर देय ब्याज	3.5 प्रतिशत	3.5 प्रतिशत	4.3 प्रतिशत (मूल्यांकन के समय तक वह 3.5 प्रतिशत थी।
(iii) व्यय की व्यवस्था	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत भावी कार्यालय किश्त	6.1 प्रतिशत। भावी कार्यालय किश्त
(iv) भावी बोनस के लिए आरक्षित	बीमा की गई राशि पर वार्षिक 23 रु० प्रति हजार	बीमा की गई राशि पर वार्षिक 17 रु० प्रति हजार	

(ख) 22.97 लाख रु० का अधिशेष आगे ले जाया गया है।

(ग) इस प्रस्ताव की बीमा नियंत्रक के परामर्श से जांच की गई थी और इसे समाप्त कर दिया गया -

जामिया मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली) में शुक्रवार के दिन छुट्टी

7591. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी होती है;

ख यह प्रथा कब से प्रचलित है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली और नई दिल्ली की किन्हीं अन्य शिक्षा संस्थाओं में भी शुक्रवार को छुट्टी होती है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी मनाई जाती है।

(ख) अध्यापकों और छात्रों को शुक्रवार की नमाज में भाग लेने की सुविधा देने वाली यह रिवाज 1920 से चल रहा हैं।

(ग) जी नहीं। कोई दूसरी सरकारी या सरकार से सहायत प्राप्त संस्था शुक्रवार को छुट्टी नहीं मनाती।

7 नवम्बर को दिल्ली में हुई गिरफ्तारियां

7592. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गो-हत्या विरोधी आन्दोलन में भाग लेने के लिये दिल्ली तथा नई दिल्ली में 7 नवम्बर, 1966 को कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) उनमें से कितने सरकारी कर्मचारी थे; और

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 37

(ख) 3

(ग) जी हां, श्रीमान ।

उर्दू भाषा का विकास

7593. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मधु लिमये :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4519 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्दू भाषा के विकास के लिये आज तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या उर्दू भाषा के विकास की समस्या का अध्ययन करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उस अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, जिसके सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा गया है, आज तक की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(ख) अप्रैल, 1966 में भारतीय भाषा समिति नियुक्त की गई थी जिसका कार्य उर्दू सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और संघ की भाषा से उनके सम्बन्ध से सम्बन्धित मामलों पर सरकार को परामर्श देना था।

बिड़लाओं की सूती कपड़ा मिलों में तलाशी

7594. डा० रानेन सेन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत जून में केन्द्रीय जांच विभाग ने लगातार तीन दिन तक बिड़ला उद्योग समूह की कलकत्ता स्थित केसोराम काटन मिल्स के प्रांगन की तलाशी ली थी; परन्तु तलाशी के दौरान प्रबंधकों ने कुछ कागजात जला दिये थे;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि कर्मचारियों ने गड़बड़ी की जाने के डर से कारखाने को घेर लिया था और केन्द्रीय जांच विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया था, जिन्होंने आने से इन्कार कर दिया था; और

(ग) क्या यह सच है कि बाद में कर्मचारी संघ के कहने पर कलकत्ता पुलिस आई और उसने मिल के कुछ कागजात बरामद किये ?

गृह मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) कलकत्ते की मैसर्स केसोराम इन्डस्ट्रीज एन्ड कोटन मिल्स लिमिटेड की 15 जून, 1967 से 18 जून, 1967 तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान मिल के प्रबंधकों द्वारा कोई कागजात उक्त मिल के प्रांगन में नहीं जलाये गए थे।

(ख) तलाशी की समाप्ति के एक दिन बाद अर्थात 19 जून, 1967 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह सूचना मिली कि मिल के कुछ कर्मचारियों ने इस सन्देह के आधार पर मिल के प्रांगण के एक दूरवर्ती छोर पर स्थित एक इमारत को घेर लिया था कि इमारत के अन्दर कुछ कागजात नष्ट किये जा रहे थे। इस सूचना के प्राप्त होते ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दो अधिकारी जिन्होंने तलाशी ली थी, सूचना को परखने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए।

(ग) 19 जून, 1967 को इस सूचना की जांच पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी अपने साथ राज्य पुलिस के दो वर्दीधारी अधिकारियों को ले गए थे। इससे पहले 16 जून, 1967 को पश्चिम बंगाल सरकार के गृह मंत्री को एक सूचना मिली थी, जिसके अनुसार इन्डिया एक्सचेंज प्लेस में स्थित बिरला उद्योग के नगर मुख्य कार्यालय में कागजात नष्ट किये जा रहे थे। इस सूचना की जांच के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना एक पदाधिकारी तैनात किया था। जहां तक केन्द्रीय सरकार को पता है राज्य पुलिस के अधिकारियों द्वारा कोई कागजात नहीं पकड़े गये थे।

पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों को मकानों का आवंटन

7595. डा० रानेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों को बसाने के लिये पश्चिमी बंगाल के हावड़ा थाने के अशोकनगर में 1948/1949 में कुछ मकान बनाने और विस्थापित लोगों को देने शुरु किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्थापित लोगों को उन मकानों का कब्जा स्थायी रूप से दिया जायेगा; और

(ग) मकानों का आवंटन करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

घेराव

7596. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में घेराव के कारण जो कि क्रान्ति के लिये साम्यवादियों की योजना का एक अंग है, खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) स्थिति का केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन और इस बारे में उसकी नीति पर गृह मंत्री द्वारा इस सदन में 29 मई, 1967 को दिए गये वक्तव्य में प्रकाश डाला गया था। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अपनी नीति का पुनरावलोकन किया है और पुलिस से घेरावों के मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही करने को कहा है।

Pensions Paid to Former Rulers by the British Government

7597. **Shri Mrityunjay Prasad :**
Shri Kashi Nath Pandey :
Shri Valmiki Choudhary :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the British Government used to pay pensions or stipends to the successors, families and dependents of some of the former rulers from out of the funds of the Government of India;

(b) if so, whether Government would lay on the Table a statement showing the names of the rulers whose successors used to be given pensions, together with the respective amounts of pensions and the number of successor recipients of each one of them;

(c) whether such pensions are still being paid to some people and, if so, the amount being paid to each of them;

(d) the number of recipients of such pensions who have gone either to Pakistan or to some other country; and

(e) whether they are at present getting their pension here or the Government of Pakistan is liable to pay them the same ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir,

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in the Library See No. L. T. 1303/67]. showing the position, at the time of independence, of the political pensions granted by the British Government to the previous ruling families. It would require a considerable amount of research and labour to compile, (to the extent it is available in the archives of the Central and State Governments) the information asked for in this part of the question.

(c) Such pensions are still being paid to some people. Though the pensions are paid out of the Central revenues, they are administered by the respective State Governments in accordance with the terms of each grant. The information regarding the amount being paid to each pensioner at present will have to be compiled, if required, by getting it from the State Governments. In fulfilment of an assurance given in reply to unstarred Question No. 2625 dated 8th June, 1963, information was laid on the Table of the House on 21st August, 1963 giving a list of 3683 political pensioners and the amount paid to each.

(d) and (e) Information is not readily available about the number of recipients of such pensions who have migrated from India, but no political pensions are being paid at present by the Government of India to political pensioners who have migrated to Pakistan,

राज्यों में मंत्रिमंडलों का आकार

7598. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास से भिन्न कार्यों के व्यय में बचत करने के उपाय के रूप में सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को अपने मंत्रिमंडलों का आकार छोटा करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रिमंडलों में मंत्रियों की कोई अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है ताकि कमजोर सत्तारूढ़ दल केवल अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये निर्धारित संख्या से अधिक मंत्री न रख सकें;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण है;

(घ) क्या यह सच है कि जब से राज्यों में सत्तारूढ़ दलों ने शासन की बागडोर सम्भाली है मंत्रिमंडलों में मंत्रियों की संख्या कम होने के स्थान पर उनकी संख्या बढ़ाई गई है जैसे हरयाना में; और

(ङ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) राज्यों में मन्त्रि मंडलों के निर्माण का नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 द्वारा होता है । उनमें मंत्रिमंडलों के आकार के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं है । सरकार को पता है कि विभिन्न राज्यों में मंत्रिमंडलों के आकार में भिन्नता रही है । किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सलाह दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

भारत में नेपाली भाषा पढ़ाना

7599. श्री क० मि०मधुकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी विश्वविद्यालय में नेपाली भाषा, नेपाल प्रशासन व्यवस्था तथा नेपाल के संविधान का अध्ययन कराया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) नेपाली भाषा सिखाने की व्यवस्था निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में है :—

1.	बनारस	(बी० ए० स्तर पर वैकल्पिक पत्र के रूप में)
2.	कलकत्ता	,,
3.	डिब्रूगढ़	,,
4.	गोहाटी	,,
5.	उत्तर प्रदेश	,,
6.	रांची	,,
7.	वर्दवान	(विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में वैकल्पिक पत्र के रूप में)

भारतीय विश्वविद्यालयों की किसी भी परीक्षा में नेपाल के प्रशासन तथा संविधान का अलग पर्चा नहीं है। फिर भी कुछ विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान अथवा इतिहास के एक पर्चे का यह एक अंग हो सकता है।

मैसूर में नागर में प्राचीन अवशेषों के स्थान पर गिरजाघर का निर्माण

7600. श्री अगाड़ी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में शिमोगा जिले में नागर में मालनाड के सेनानी शिवप्पा नायक के दरबार हाल के अवशेषों पर एक गिरजाघर बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान पर यह निर्माण रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Increase in Postal Rates

7601. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of Newspaper editors was held recently in New Delhi to consider the proposed increase in postal rates in the Budget for 1967-68;

(b) if so, the main features of their recommendations and whether Government propose to make any change in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communication (Shri I. K. Gujral) : (a) A Conference of Newspaper editors was held recently in New Delhi. Increase in postal rates was one of the subjects discussed by the Conference.

(b) The Conference suggested "reliefs in matters of inland and foreign postage and parcel charges, etc." for "Small Newspapers." The matter has been considered. No change is proposed in the existing postage rate of 2 Paise for a single copy of a registered newspaper weighing not more than 60 grammes.

(c) Does not arise.

कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों के लिये सेवा निवृत्ति एवं परिवार पेंशन

7602. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों के लाभार्थ सेवा निवृत्ति एवं परिवार पेंशन योजना लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी कार्यकारी दल द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस प्रकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) कार्यकारी दल की रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

बेरोजगारी बीमा योजना

7603. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्यों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना शुरू करने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत सरकार को इस योजना के अन्तिम रूप तैयार करने में सहायता देने के लिए एक विशेषज्ञ की सेवाएं देने की पेशकश की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस प्रकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।
(ख) जी हां ।

Payment of Employees' Provident Fund

7604. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government do not pay full amount of Provident Fund, which includes employers' share also, to the employees who leave their service after putting in 15years, service;

(b) if so, the reasons therefor and whether it is a fact that a few years age full amount of Provident Fund was being paid to the employees leaving their service even after putting in 5 years' service:

(e) if so, the reasons for this change in the rule;

(d) the amount of the Provident Fund of the employees (who have left their service) forfeited by Government during the last two years; and

(e) the reason for not paying the said amount to the employees concerned when Government are realising full amount f om the employers ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The relevant provisions are contained in para 69 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952 framed under Section 5 (1) of the Employees Provident Funds Act, 1952. Under sub-para (3) of para 69, no deduction is made from the amount standing to a member's credit in the Fund (other than a member dismissed by the employer for serious and wilful misconduct to whom para 71 of the Scheme will apply), if he has completed 15 years of service. A copy of the para 69 is laid on the Table of the House. [**Placed in Library See No. L. T. 1304/67**].

(b) (i) Does not arise.

(ii) No.

(c) Does not arise.

(d) Rs. 121.05 lakhs during the years 1965-66 and 1966-67 in respect of members who left service after short periods of membership of the Fund.

(e) When the member leaves the Fund prematurely, the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 provides for the credit of a percentage of the employer's share of contribution to the Forfeiture Account which finances the Death Relief Fund and the Special Reserve Fund from which certain payments are made to the workers. This provision helps to ensure continuity and stability of membership and discourages early withdrawals of provident fund.

दिल्ली पुलिस की हड़ताल के दौरान किया गया व्यय

7605. **श्री नायनार** :
श्री अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत अप्रैल में दिल्ली पुलिस की हड़ताल की अवधि में कुल कितना व्यय, जिसमें अन्य राज्यों से बुलाये गये पुलिस कर्मचारियों पर किया गया व्यय भी शामिल है, किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : 36,347 रुपये यह व्यय पड़ौसी राज्य से बुलाये गए सशस्त्र पुलिस के दस्ते के व्यय के अलावा है। उक्त राज्य ने अभी तक व्यय का हिसाब दिल्ली प्रशासन को नहीं भेजा।

Looting by Pakistanis in Rajganj

7606. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Pakistanis looted Bholpara village of Rajganj police post on the 2nd July, 1967;

(b) if so, the loss of life and property suffered; and

(c) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) No incident of looting at village Bholpara of Rajganj Police Station took place on 2-7-1967. However, on the same day at about 0200 hours our patrol party of Bholpara B. O. P. challenged six criminals proceeding towards Pakistan with six heads of cattle. The criminals fled to Pakistan under cover of darkness, leaving behind the cattle.

(c) A case has been registered at the local police station. A protest has been lodged by the Deputy Commissioner Jalpaiguri with the Deputy Commissioner, Dinajpur (East Pakistan).

Letter written by Sheikh Abdullah

7607. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the letter written by Sheikh Abdullah to late Lal Bahadur Shastri on the 9th July, 1965 has now been published in newspapers; and

(b) if so, the reasons for publishing this letter now ?

The Minister of Home Affairs (**Shri Y. B. Chavan**) : (a) and (b) Government have seen press reports giving publicity to the contents of the letter. Government have not released the letter for publication.

Financial Assistance to Political Sufferers

7608. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given to the political sufferers in Madhya Pradesh during 1966-67; and

(b) the number of political sufferers who have benefited thereby in that State and the amount of financial assistance which is paid to them per month ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) An amount of Rs. 8450/- was given to 17 political sufferers in Madhya Pradesh during 1966-67. No political sufferer is being finanacial assistance on monthly basis out of Home Minister's Discretionery Fund.

पंजाब में भाषायी अल्प-संख्यक

7609. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने पंजाब में एक आर्य समाजी नेता को आश्वासन दिया है कि पंजाब में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) प्रधान मंत्री ने जून, 1967 में श्री वीरेन्द्र को सूचित किया था कि पंजाब में हिन्दुओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जायेगी ।

(ख) पंजाब में अल्प भाषायी लोगों के हितों के संरक्षणों को क्रियान्वित न करने के कोई खास मामले सरकार के ध्यान में नहीं लाये गए ।

Pay Scale of Hindi Assistants

7611. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether two scales of pay of Hindi Assistants are existing in different Ministries;

(b) if so, whether their duties and responsibilities also differ; and

(c) if not, the reasons for which two pay-scales are existing for the same post ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Normally, all posts of Hindi Assistants in the various Ministries have to be in the scale of Rs. 210-530. However, enquiries are being made to ascertain whether in any Ministry a different scale of pay has been prescribed for such posts.

Utilisation of Services of Freedom Fighters

7612. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri J. B. Singh :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to utilise the services of the freedom fighters for the various service schemes of the country;

(b) if so, the details thereof and the manner in which it is being implemented; and

(c) if not, whether it is contemplated to formulate any such scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Government have not formulated any such scheme. However, if the term "freedom fighters" refers to Political Sufferers who suffered imprisonment/detention in jail/who became permanently incapacitated due to firing/lathi charge, etc. or who lost their jobs or means of livelihood or part or whole of his property during British regime on account of participation in national movements for emancipation of India, their services can be utilised by Government in Central Civil Services/posts. For this purpose, such Political Sufferers are divided into following categories and the concessions admissible to them for purpose of employment in Civil Services/posts are mentioned below each category.

Those Who Originally Served as Civilians in Central Government

1. Ex-civilian Central Government servants who were dismissed, removed, or discharged or who resigned due to their patriotic activities, are eligible for re-employment in the same, equivalent or higher posts, there being no age restrictions in their cases for purposes of re-employment to such posts, but the age of superannuation remaining the same. Ex-civilians of Defence Services who also fall in the category of Political Sufferers are also entitled to the benefits mentioned above.

Those who were Members of the Central Public

2. Other things being equal, participation in national movements is treated as an additional qualification for entry into Central Civil Services.

Those who Originally Belonged to Central Civil Services or were Employed in Civil Posts in Defence Services and Joined I. N. A.

3. The same treatment/benefit is given to such ex-I. N. A. personnel as is admissible to Political Sufferers belonging to category (1) above.

Those who belonged to Armed Forces and Joined I. N. A.

4. They are given the same priority and age concessions as are admissible to retrenched Central Government employees viz. Priority III and service rendered by them in the I. N. A. deducted from their age and if the resultant age does not exceed by three years the age limit prescribed, they are considered eligible for the posts.

(c) In view of the position stated above, the question does not arise.

डाकिये

7613. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि गांवों में डाकियों के लिये अपने साथ हथियार लिये बिना जाना उत्तरोत्तर मुश्किल होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिनरल्स एन्ड इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड

7614. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अ० क०गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की पटेल नगर मिनरल्स एन्ड इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड के कर्मचारी संघ ने मार्च, 1967 में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, आसनसोल को अपना मांग-पत्र पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौता कराने के लिए कोई बैठक हुई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोर्ट ब्लेयर में कालेज

7615. श्री राम सेवक :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर (अन्दमान द्वीप समूह) में कालेज खोलने का प्रस्ताव किस अवस्था में है;

(ख) यह कालेज कब खुल जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रस्तावित कालेज को किस विश्वविद्यालय ने सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) पोर्ट ब्लेयर में एक सायंकालीन कालेज खोलने के प्रस्ताव की, पंजाब विश्वविद्यालय से परामर्श करते हुए जांच की जा रही है। कालेज को पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है और यदि विश्वविद्यालय कालेज को सम्बद्ध करने के लिए सहमत हो जाता है तो आशा है कि 1967–68 के शिक्षा वर्ष के दौरान कालेज खुल जाएगा।

कार निकोबार में सरकारी स्कूल

7616. श्री राम सेवक :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में कार निकोबार स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल से कितने छात्र उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठे थे और कितने छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे; और

(ख) इस स्कूल पर प्रति वर्ष कितना खर्च आता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में हड़प्पा से पूर्व काल के टीलों का पाया जाना

7617. श्री आत्म दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में हड़प्पा से पूर्व काल के कुछ टीले पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या साथ वाले अन्य क्षेत्रों में खुदाई-कार्य अब चल रहा है; और

(ग) खुदाई के परिणामस्वरूप कौन-कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुयें मिली हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) विशिष्ट मुहरें, बर्तन, मनके और पकाई मिट्टी तथा पीतल की चीजें जिनमें चर्टब्लेड भी शामिल हैं हड़प्पा सभ्यता वाले स्तर की बस्ती से प्राप्त हुई। इनके अलावा पूर्व-हड़प्पा वाली बस्ती से विशिष्ट प्रकार के बर्तन और पकाई मिट्टी, पत्थर तथा तांबे/पीतल की दूसरी चीजें भी मिलीं।

अजमेर के प्रौद्योगिकी कालेज के स्नातक

7618. श्री आत्म दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजमेर के प्रौद्योगिकी कालेज के स्नातकों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें रोजगार दिलाने में रोजगार दिलाऊ दफ्तर भी अपने आपको असमर्थ अनुभव कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) प्रादेशिक शिक्षा कालेज, अजमेर के प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के छात्रों का पहला बैच स्नातक बन कर इस साल ही लगभग एक-दो महीने पहले

निकला है। इसलिए अभी यह कहना समय से बहुत पहले है कि उनको बहूद्देशीय या दूसरे तकनीकी स्कूलों में नौकरियां पाने में मुश्किल हो रही है।

(ख) और (ग) स्नातकों को रोजगार देने के प्रश्न पर राज्य सरकारों और दूसरे सम्बन्धित शैक्षिक अधिकारियों से बातचीत चल रही है। केन्द्रीय सरकार इस उपाधि को देश के तकनीकी स्कूलों में तकनीकी अध्यापकों के पदों के लिए मान्यता प्रदान कर चुकी है।

साधन हीन बच्चों के लिये उच्च शिक्षा

7619. **श्री म्र० क० गोपालन : श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री रमानी :
श्री नायनार : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने यह सिफारिश की है कि समाज के निर्धन तथा साधनहीन वर्गों के सब योग्य बच्चों को आवश्यक साधन उपलब्ध करा कर उन्हें उच्च शिक्षा और विशेषतया चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी विज्ञानों की शिक्षा प्राप्त कराने के लिये समान अवसर प्रदान किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है।

विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा

7620. **श्री उमानाथ : श्री गणेश घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री रमानी : श्री चक्रपाणि :
श्री अब्राहम :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किये गये जांच आयोग के निर्देश-पदों पर पैट्रोलियम कर्मचारियों के कुछ संघों ने असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारी संघों ने क्या मुख्य बातें उठाई हैं; और

(ग) सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ये हैं : इस जांच के क्षेत्र में 1965 के पहले के विवाद भी लाए जाने चाहिए; और (ख) तेल कम्पनियों को जांच के दौरान रोजगार में पूर्व स्थिति बनाए रखनी चाहिए ।

(ग) यूनियन के कुछ प्रतिनिधियों ने इसके विचारार्थ-विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए 29 जुलाई, 1967 को राज्य मंत्री से भेंट की । उन्होंने जिन संशोधनों का सुझाव दिया है उन पर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना

7621. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उसे उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान वाला केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार देश के कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा. त्रिगुण सेन): (क) जी, हां । केन्द्रीय सरकार से इस बात का अनुरोध किया गया था कि उक्त विद्यालय को केन्द्रीय विद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाये ।

(ख) इस समय सरकार का इस विश्वविद्यालय के संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

7622. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में अनिर्णित पड़े मामलों को निपटाने के लिये विभिन्न उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की हैं;

(ख) यह सिफारिश कहां तक क्रियान्वित की गई है; और

(ग) न्यायाधीशों की नियुक्ति का अनिर्णित पड़े मामलों को कम करने पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा 1958 में और 1967 में अनिर्णित पड़े मामलों की स्थिति का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) विधि आयोग में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति एक मात्र इस उद्देश्य से की जाए कि अनिर्णित पड़े मामलों को दो वर्ष की अवधि में समाप्त कर दिया जाए । उसने यह भी सिफारिश की थी कि ऐसे न्यायाधीशों को दिन प्रति दिन के कार्य पर न लगाया जाए ।

(ख) अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति विभिन्न उच्च न्यायालयों में बाक़ी बचे हुए काम को निपटाने के लिए ही की गई है और की जा रही है किन्तु इस सिफारिश को लागू करना सम्भव नहीं हो सका कि ऐसे न्यायाधीश केवल बाकी बचे हुए मामलों को ही निपटायें। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच काम का बटवारा जिसमें बाकी बचा हुआ काम भी आ जाता है मुख्य न्यायाधीश की इच्छा पर छोड़ दिया गया है ।

(ग) उच्च न्यायालयों में मामलों के निपटान की गति सामान्यतः बढ़ी है किन्तु यह नये आने वाले मामलों की गति के अनुरूप नहीं बढ़ाई जा सकी क्योंकि नये मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है । अस्तु, उच्च न्यायालयों में अनिर्णित पड़े हुए मामलों की संख्या को कम करने का प्रश्न लगातार सरकार के ध्यान को आकर्षित करता रहा हैं और जब कभी आवश्यकता पड़ी और सुविधा मिली तब अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये गए हैं । 1-1-1958 और 1-1-1967 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनिर्णित पड़े हुए मामलों का एक तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1310/67**]

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, द्वारा पढ़ने के लिये पुस्तकें दी जाने की पद्धति

7623. श्री शिवचन्द्र झा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय से पढ़ने के लिये पुस्तकें ले जाते समय पाठकों को पुस्तकों का मूल्य जमा करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पाठकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की अलमारियों तक सामान्यतया जाने नहीं दिया जाता, जिसकी प्रथा लाइब्रेरी आफ कांग्रेस, वाशिंगटन, डी० सी० और ब्रिटिश संग्रहालय में है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय से पुस्तक लेने में पाठकों को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(च) क्या सरकार का विचार पटना में इस पुस्तकालय की एक शाखा खोलने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जो पुस्तक पाठक को पुस्तकालय से बाहर पढ़ने के लिये दी जाती है उसकी कीमत के बराबर राशि पाठक से जमानत के रूप में जमा करा ली जाती है ताकि पुस्तक के खोने या खराब होने पर नई पुस्तक की व्यवस्था की जा सके ।

(ग) कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय के सम्बन्ध में यह बात सही है। जहां तक हमारी जानकारी है लाइब्रेरी आफ कांग्रेस, वाशिंगटन तथा ब्रिटिश संग्रहालय में भी पाठकों को आसानी से अल्मारियों के पास नहीं जाने दिया जाता।

(घ) ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि पुस्तक सुरक्षित रहे और राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारी पुस्तकों को शीघ्र ढूंढ सके तथा उन्हें क्रम से रख सकें जिससे पाठकों की सेवा में विलम्ब न हो।

(ङ) कुछ पुस्तकें पुस्तकालय के मुख्य भवन के विभिन्न भागों में रखी हुई हैं और कुछ उससे बाहर अन्य भवनों में रखी हुई हैं। इसलिये किसी पुस्तक के पाठक को देने में जो समय लगता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि पाठक द्वारा मांगी गई अमुक पुस्तक पुस्तकालय के किस भाग या भवन में रखी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय में एक पुस्तक के प्राप्त करने में औसतन आधा घंटा लगता है।

(च) जी, नहीं।

Demonstration in Calcutta

7624. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Charan :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a news item appearing in Amrit Bazar Patrika, 11th July, 1967 that more than 500 muslims demonstrated in front of the Office of the British Deputy High Commissioner, Calcutta in connection with Arab-Israel conflict;

(b) whether it is also a fact that these demonstrators shouted slogans like "Muslims of the World Unite";

(c) whether the demonstrators burnt effigies of the U. K. Prime Minister, U. S. A. President and the Defence Minister of Israel;

(d) whether the Deputy High Commissioner of Britain has lodged any complaint with the West Bengal Government or with the Central Government in this behalf; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri **Vidya Charan Shukla**) :

(a) to (c) Yes, Sir.

(d) No, Sir.

(e) Does not airse.

केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर आये हुए मैसूर के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

7625. श्री कृष्णन् : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवा में मैसूर राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) क्या मैसूर के पूरे प्रतिनियुक्ति कोटे के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लिये जाते हैं;

(ग) क्या हाल ही मे प्रशिक्षण-प्राप्त तथा भविष्य में प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारियों को भाषा तथा अन्य समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके अपने राज्यों में भेजा जायेगा; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षार्थियों को उनकी पहली इच्छा के स्थान अर्थात् उनके अपने राज्यों में नियुक्त करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क)

भारतीय प्रशासन सेवा	—	24
भारतीय पुलिस सेवा	—	15

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) उम्मीदवारों की विभिन्न राज्य पदालियों में नियुक्ति के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है :—

1. किसी राज्य में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों में से कम से कम 50 प्रतिशत राज्य से बाहर के होने चाहिए।

2. राज्यों की पदालियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों को यथा सम्भव बराबर-बराबर बांटा जाना चाहिए।

3. उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किया गया स्थान और उनके द्वारा राज्य पदालियों के लिए प्रकट की गई पहली इच्छा।

नियुक्ति के लिए उस भाषा अथवा उन भाषाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता जो उम्मीदवार को पहले ही आती हैं। सभी उम्मीदवारों को अपनी परिवीक्षा की अवधि में उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा सीखनी पड़ती है जिनमें उन्हें नियुक्त किया जाता है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों को उनके अपने राज्य में नियुक्त किया जाता है बशर्ते कि सम्बन्धित राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद योग्यता सूची के क्रमानुसार उपलब्ध हो।

National Dress for Civilian Employees

7626. Shri T. P. Shah :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have prescribed a National Dress for Civilian Employees of Central Government after the attainment of Independence;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for not doing it so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b) No National Dress has been prescribed. Certain suggestions to assist Government employees in the maintenance of correct standards of dress on different occasions have been made. A statement showing these recommendations is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. L. T. 1311/67].**

(c) Does not arise.

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

7627. श्री कं० हाल्दर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि में संशोधन करने का है जिससे यह प्रतिबंध लगाया जा सके कि मालिक कर्मचारी भविष्य निधि का अपना अंशदान अपने पास ही न रोके; और

(ख) यदि हां, तो इसे कार्य रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 और 14 बी में भविष्य निधि अंशदान को भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल करने और अदायगी में देरी के कारण हानि की उगाही की व्यवस्था है। गैर-अदायगी के मामले में, नियोजक को भी धारा 14 के अन्तर्गत 6 महीने तक की सजा या 1000 रु० तक जुर्माना या दोनों ही तरह के दण्ड दिये जा सकते हैं। फिर भी दण्ड उपबंधों को और कठोर बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) यह प्रस्ताव सम्बन्धित पक्षों को भेजा जा चुका है। उनके विचार प्राप्त होने पर इसे अंतिम रूप दिया जायगा।

Assam-Nagaland Border Dispute

7628. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Nagaland Government have built 22 miles long motorable road from Selanga Razbari to Kakub without consulting the Assam Government; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) One mile or so of the twenty-five miles road connecting Lakuni in Nagaland with Dhodarali Selang Rajabari Road lies in Assam and passes through the Tiru Reserve Forest. According to the Nagaland Government, the road existed for a long time and the Nagaland P. W. D. had been maintaining it. They do not consider that Assam Government's permission is necessary for such maintenance. The Assam Government have, on the other hand, reported that the road is being constructed by Nagaland Government without obtaining the permission of Assam Government. They have also stated that the matter has been taken up with the Nagaland Government. In view of this, Government hope that the matter will be settled amicably between the two State Governments them selves.

गोआ का टेप विभाग बन्द किया जाना

7630. श्री सेक्वीरा :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ की मुक्ति के शीघ्र बाद वहां के 'टेप' विभाग को बन्द कर दिया था;

(ख) इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने लोग बेरोजगार हुए;

(ग) सरकार ने ऐसे बेरोजगार लोगों में से कितने लोगों को अन्य रोजगार पर लगाया है; और

(घ) सरकार इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 136

(ग) 25

(घ) गोआ प्रशासन द्वारा सभी विभागों को रोजगार के मामले में इन व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की हिदायतें दी गई हैं। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है गोआ पोर्ट ट्रस्ट इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा नव सेना अधिकारियों से भी ऐसा ही अनुरोध किया गया है।

गोआ में खेले जाने वाले नाटकों की जांच-पड़ताल

7631. श्री सेक्वीरा :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ संघ राज्य-क्षेत्र में अप्रकाशित नाटकों, संगीतमय कथाओं या समीक्षाओं को उस समय तक रंगमंच पर खेला या दर्शाया नहीं जा सकता जब तक कि

उनकी पूर्ण पान्डुलिपियों की जांच-पड़ताल पहले न कर ली गई हो और उन्हें सरकार की स्वीकृति प्राप्त न हो गई हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस शर्त को तत्काल उठाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) मामले की गोआ प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है।

गोआ के डाक तथा तार विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिये पेंशन

7632. श्री सेक्वीरा :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में डाक तथा तार विभाग के कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं परन्तु जिन्हें अभी तक पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई है;

(ख) विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) उन्तीस।

(ख) चूंकि इन कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार के नियम व विनियम लागू नहीं होते और इनसे सम्बन्धित नियम व सेवा सम्बन्धी दस्तावेज पुर्त्तगाली भाषा में थे, अतः इन पर लागू होने वाले नियम व सेवा सम्बन्धी दस्तावेजों को समझने और उनका अर्थ लगाने में कठिनाइयां थीं।

(ग) जो नियम स्पष्ट नहीं हैं उनके अर्थ के सम्बन्ध में सरकार के आदेश जारी होने तक सामान्य रूप से देय पेंशन की 75 प्रतिशत की दर से उन्हें प्रत्याशित पेंशन की मंजूरी देने के आदेश जारी कर दिये गए हैं।

गोआ में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन

7633. श्री सेक्वीरा :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है तथा उन्हें कितने महीनों से पेंशन नहीं मिली है; और

(ख) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 122 कर्मचारियों की सेवावृत्ति की तिथि अथवा मास का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1305/67**]

(ख) इन बाकी बचे हुए मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए गोआ सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है।

Wage Board for Non-Working Journalists

7635. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri D. C. Sharma :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Marandi :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Wage Board for non-working Journalists has submitted its recommendations;

(b) if so, the decisions taken by Government thereon; and

(c) the action taken to implement those decisions ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes. The report of the Wage Board for Non-journalists was received on the 17th July, 1967.

(b) and (c) The recommendations made by the Wage Board are under consideration.

Lok Pal/Lok Ayukt

7636. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the decision has been taken in regard to the appointment of Lok Pal and Lok Ayukt;

(b) the names of the States experssing their consent to the appointment of Lok Ayukt; and

(c) when the necessary steps would be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Five States (Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Nagaland) and three Union Territories (Pondicherry, Goa, Daman and Diu and Manipur) have communicated their views which are under consideration. The considered views of the other State Government are awaited.

Illicit Liquor Distillation Plant Seized in Delhi

7637. **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri T. P. Shah :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an illicit liquor distillation plant has been unearthed in the neighbourhood of a police post in Delhi as reported in the "Vir Arjun", dated the 16th July, 1967;

(b) if so, the action taken by Government and the number of persons against whom action has been taken: and

(c) the quantity of liquor and the particulars of equipment recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Eight persons were arrested against whom action is being taken under the Excise Act. Four cases have been instituted. In addition, 8 Police Officers have been suspended pending further investigation.

(c) Four running stills, 455 bottles of illicit liquor, 9390 litres of lahan besides large quantities of gur, nausadar and kikar tree bark, were recovered.

Kidnapping by Pakistanis in Barmer

7638. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistanis kidnapped a person and lifted 180 goats from the Barmer area as reported in the "Vir-Arjun", dated the 16th July, 1967;

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto; and

(c) the loss of life and property sustained as a consequence of that incident ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) On 10-7-1967, 7 Pak. nationals crossed into Indian territory in the Barmer area and kidnapped one Indian national who was working in his field. They also took away his mare worth Rs. 800. Later, 8 Pak, nationals entered into Indian territory to a depth of about 500 yards and carried away 180 goats. A case has been registered in the Girab police station and investigation is in progress. Protests have been lodged with the Pakistani authorities. The B. S. F. Company Commandant has also met his opposite number and demanded return of the Indian national and the livestoc Efforts to secure their return are continuing. No loss of life has been reported.

Firing in Bhavnagar

7639. Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the recent violence at Bhavnagar, te mob damaged Post Office, Booking Office and Shops; and

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) During the violent incidents in Bhavnagar on 14th and 15th July, ariotous mob caused such damage,

(b) The State Government took all necessary steps and brought the situation under control. 86 persons were arrested in connection with offences committed during the incidents on 15th July, 1967.

Supply of Copies of Evidence

7640 **Shri Sheopujan Shastri : Shri Raghuvir Singh Shasrri : Shri Molahu Prasad : Shri Ram Charan ;**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that copies of evidence tendered by witnesses are not supplied fiee of cost to the parties concerned by the courts;

(b) whether it is also a fact that the said copies are supplied free of cost by the courts in Uttar Pradesh;

(c) whether Government propose to make similar arrangaments in Delhi Courts; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) This is a fact that copies of evidence are not supplied free to parties.

(b) It is reported that they are only supplied free to an accused person in judicial custody who applies for them.

(c) and (d) Government do not propose to change the existing position.

Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act.

7641. **Shri Molahu Prasad : Shri Ram Charan : Shri Gunanaud Thakur : Shri Sheopujan Shastri :**

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the progress made so far under the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959, State-wise;

(b) the details of persons absorbed in each State and the Central Departments administering the aforesaid Act; and

(c) if the progress in the implementation of the said Act is not satisfactory, the names of the States where it is so and the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The Act is applicable to all States except Jammu and Kashmir and Goa. Action is being taken to enforce the Act in these States also. Quarterly reports on the working of the Act received from States/Union Territories show that, by and large, employers both in the public and private sectors fulfil the requirements of the Act.

(b) Under the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, employers are uuder no statutory obligation to recruit persons sponsored by the Employment Exchanges.

(c) Does not arise.

विधायकों के लिये आचार संहिता

7642. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 21 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संथानम समिति की सिफारिशों के अनुसार, विधायकों के लिए आचार संहिता, इस बीच अंतिम रूप से तैयार कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बम्बई के पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की हड़ताल

7643. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बम्बई के पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा कितनी बार गैर-कानूनी हड़तालें की गईं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग के अधिकारियों के हस्तक्षेप के द्वारा इन हड़तालों में से कितनी हड़तालों में समझौते करवाये गये;

(ग) कितनी हड़तालों में समझौता कराने के लिये केन्द्रीय मंत्रियों ने हस्तक्षेप किया; और

(घ) हस्तक्षेप करने वाले केन्द्रीय मंत्रियों के नाम क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1-4-1964 से 25-7-1967 तक 46 गैर-कानूनी हड़तालें की गईं ।

(ख) 7 में ।

(ग) 4 में ।

(घ) 1. श्री सी० सुब्रह्मानियन ।

2. श्री राज बहादुर ।

3. श्री अशोक मेहता ।

4. श्री वी० के० आर० वी० राव ।

Matricula'es Among Magistrates

7644. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ramavtar Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the First Class Magistrates appointed in Delhi during the last two years are Matriculates; and

(b) if so, the number thereof and the reasons for appointing them against those posts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Out of 48 posts of Magistrates I Class in Delhi only four posts were held or are being held during the last two years by persons who are matriculates. Three persons were appointed to the Delhi Himachal Pradesh and Andaman & Nicobar Islands Civil Service on selection by a committee presided over by a member of the U. P. S. C. The fourth person was also approved by this Committee to officiate against duty posts of the Dhani Civil Service.

केन्द्रीय सरकार के अस्थायी और अर्द्ध-स्थायी कर्मचारी

7645. श्री आत्मदास : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार में अस्थायी और अर्द्ध-अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों में स्थायी किया गया है तथा चालू वर्ष में कितने कर्मचारियों को स्थायी किया जायेगा; और

(ग) अर्द्ध-स्थायी और स्थायी होने के लिये कुल कितने वर्षों की सेवा का होना अपेक्षित होता है और इस सम्बन्ध में किस कसौटी का पालन किया जाता है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सरकारी कर्मचारी को अर्ध स्थायी समझा जाएगा ।

(i) यदि वह तीन वर्ष से अधिक समय तक लगातार अस्थायी सेवा कर चुका है । और

(ii) यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने उसके अर्ध स्थायी रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में सन्तुष्ट होकर इस आशय की घोषणा कर दी है । सन्तुष्टि का आधार सम्बन्धित कर्मचारी का काम, आचरण तथा चरित्र होंगे । हां, स्थायी नियुक्ति के लिए सेवा की कोई नियुक्ति निर्धारित नहीं की गई है सिवाय इस बात के स्थायी पदों के लिए भरती ऐसे व्यक्ति जिनके लिए परिवीक्षा की निश्चित अवधि निर्धारित होती है, इस अवधि के सफलता पूर्वक पूरा होने पर ही स्थायी किये जाते हैं । स्थायी पदों पर स्थायित्व प्रदान करते समय सक्षम प्राधिकारी को यह सन्तोष करना पड़ता है कि:–

(i) सम्बन्धित व्यक्ति पद के लिए शैक्षणिक योग्यता रखता है;

(ii) उसका चरित्त, आचरण और काम उसे सरकारी सेवा में स्थायी रूप से नियुक्ति के योग्य बताते हैं;

(iii) उसने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं इत्यादि, यदि कोई निर्धारित है तो, पास करली हैं;

(iv) उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसके स्वास्थ्य की जांच की गई है और उसे उपयुक्त पाया गया है; और

(v) सम्बन्धित परिनियत नियमों, कार्यपालन आदेशों तथा प्रशासकीय अनुदेशों के अधीन वह स्थायित्व प्रदान किये जाने के योग्य है । स्थायित्व प्रदान किया जाना या न किया जाना दोनों ही अवस्थाओं में सम्बन्धित अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन करना होता है और ऐसा मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाता है । जब कभी ऐसे पदों/सेवाओं में स्थायित्व के लिए अधिकारियों के मामलों पर विचार लिया जाता है जिनकी भरती संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में आती है तो संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को भी ऐसी समिति के साथ सम्बन्ध किया जाता है ।

थाईलैंड के शिक्षा मंत्री के साथ विचार विनिमय

7646. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री आत्म दास :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि थाईलैंड के शिक्षा मंत्री के साथ हाल ही में विचार विनिमय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषय पर बातचीत की गई; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) मेरे नियंत्रण पर अमरीका की यात्रा के बाद घर वापिस जाते हुए थाईलैंड के शिक्षा मंत्री, महामहिम एम० एल० पिन मलकुल, श्रीमती मलकुल तथा दो अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी दिल्ली आये थे और उन्होंने बुद्ध तीर्थ स्थानों का भी दौरा किया था । यह सद्भावना यात्रा थी और किसी भी विषय पर औपचारिक रूप से बातचीत नहीं की गई थी । तथापि संक्षिप्त बातों के दौरान इस बात पर सहमति हो गई थी कि भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान अधिक हो और शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में वे एक दूसरे के सहयोगी बनें ।

वेतन–वृद्धि पर रोक

7647. श्री कं० हाल्दर : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा रखे गये वेतन–वृद्धि पर रोक लगाने के प्रभाव की सम्पूर्ण देश के श्रम नेताओं ने जोरदार आलोचना की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

बोनस तथा वेतन वृद्धि के बारे में त्रिपक्षीय वार्ता

7648. श्री कं० हाल्दर : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार मालिकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच बोनस और वेतन वृद्धि के विषय में 15 जुलाई, 1967 को हुई त्रिपक्षीय वार्ता से क्या निष्कर्ष निकला है ।

(ख) क्या सरकार का विचार श्रम न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गये निर्णयों और पंचाटों को नियोजकों पर लागू करने का है; और

(ग) यदि नहीं ,तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 15 जुलाई, 1967 को त्रिपक्षीय वार्तायें मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की कोयलाखानों में औद्योगिक

संबंधों को सुधारने के उपायमों पर विचार विमर्श करने के लिये हुई। कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर भी विचार विमर्श हुआ। सरकार ने मजूरी बोर्ड की सर्वसम्मत और लगभग सर्वसम्मत सिफारिशों को सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी 16(5) 66, दिनांक 21 जुलाई, 1967 द्वारा स्वीकार कर लिया है। कोयलाखान श्रमिकों को बोनस का भुगतान बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार किया जाता है।

(ख) और (ग) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों और पंचाटों को लागू करने का सम्बंधित पक्षों का सांविधिक दायित्व है। इन्हें लागू न करने के मामले में दोषी नियोजकों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के संबंधित उपबन्धों को तोड़ने के अपराध में कार्यवाही की जाती है।

Publication of Incorrect Map of India in the Text Book Prescribed For 6th Class of Rajasthan Schools

7649. Shri O. P. Tyagi :
Shri Madhu Limaye :
Shri Balraj Madhok :
Shri Hardyal Devgun :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :
Shri Virendrakumar Shah :
Shri Srichand Goel :
Shri S. S. Kothari :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to State:

(a) whether Government's attention has been drawn to the book 'Hindi Pathmala' prescribed for class vi of the schools in Rajasthan;

(b) whether their attention has also been drawn towards the map of India under the Caption "Hamara Desh" at page 10 of the aforesaid book, wherein the Runn of Kutch, Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, NEFA, Bhutan and Sikkim have been shown outside the Indian territory;

(c) whether it is a fact that nearly one l. h copies of the said book have already been published and circulated amongst the students;

(d) if so, whether Government have taken any action to withdraw the book; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Trigun Sen) : (a) to (c) Yes, Sir.

(d) The State Government has decided to prescribe the Map; only . .w maps will be used in the schools for the copies already distributed.

(e) Does not arise.

'प्रोजेक्ट इंडिया स्कीम' के अन्तर्गत अमरीका भेजे जाने वाले विद्यार्थ

7650. श्री मरंडी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री म० माझी :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री दे० अमात :
श्री गु० चं० नायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'प्रोजेक्ट इण्डिया स्कीम' के अन्तर्गत विद्यार्थियों को अमेरिका भेजना बन्द करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक ऐसा किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) से (ग) मंत्रालय को 'प्रोजेक्ट इण्डिया स्कीम' की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, 'अमेरिकन फील्ड सर्विस' नामक एक योजना है। इस योजना के कार्य का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

नदिया में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

7651. श्री मरंडी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 9 जुलाई, 1967 को लाठियों और भालों से लेस 30 पाकिस्तानी नदिया जिले में भारत के सीमावर्ती गांव शाहपुर में घुस आये थे;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने भारतीयों को मार डाला था और उनकी सम्पत्ति लूट ली थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) 8/9 जुलाई, 1967 की रात को करीब चार अपराधी जिनके पाकिस्तानी राष्ट्रिक होने का विश्वास किया जाता है, जिला नदिया में थाना टेहटा के शाहपुर ग्राम में घुस आये और एक भारतीय राष्ट्रिक पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसको हल्की सी चोट आ गई। संघर्ष में अपराधियों में से एक सख्त घायल हो गया था। अपराधी पाकिस्तान भाग गए।

(ग) कोई भारतीय नागरिक नहीं मारा गया, न ही कोई सम्पत्ति लूटी गई।

(घ) क्षेत्र में गश्त को बढ़ाया गया है। एक मामला दर्ज कर लिया गया है।

भारत और नेपाल के बीच संचार सम्बन्धी करार

7652. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल स्थित काठमांडू और भारत के सीमावर्ती नक्सलबाड़ी के बीच सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से नेपाल में सर्वप्रथम स्थलवर्ती दूर संचार प्रणाली स्थापित करने के लिये भारत और नेपाल के बीच एक नया करार हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रणाली को बाद में भारतीय दूर संचार प्रणाली के साथ मिलाया जायेगा और यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) स्थलवर्ती लाइन-संचार-व्यवस्था कायम करने के लिए, जिससे काठमांडू को भारतीय सीमावर्ती नगर रक्सोल से जोड़ा जाएगा, 17, जुलाई, 1967 को नेपाल सरकार के साथ एक करार हुआ है।

(ख) इस करार को क्रियान्वित करने की लागत अनुमानतः 94.5 लाख रुपये है। नेपाल सरकार के साथ आर्थिक सहयोग के अपने कार्यक्रम के एक हिस्से के बतौर इसे भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ग) लाइन लगा दिये जाने के बाद, काठमांडू और रक्सोल के बीच की स्थलवर्ती लाइनों को भारतीय प्रदेश में लगी लाइनों से जोड़ देने का प्रस्ताव है और उस पर एक वाहक प्रणाली लगा दी जाएगी, जिससे काठमांडू और पटना के बीच टेलीफोन व तार परिपथों की व्यवस्था की जाएगी।

छात्र आन्दोलन

7653. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले आम चुनावों से देश में छात्र आन्दोलन बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिब्बती स्कूल संस्था

7654. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती स्कूल संस्था कब से भारत में काम कर रही है ;

(ख) इसका विशिष्ट कार्य क्या है और इसको चलाने पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च आता है ;

(ग) क्या सरकार इस संस्था को कोई सहायता देती है ; और

(घ) क्या दलाई लामा को इसके तत्वावधान में भाषण देने के लिये आमंत्रित किया गया है और यदि हां, तो कितनी बार और उसके भाषणों का सार क्या था ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1-9-1961

(ख) और (ग) सोसायटी की स्थापना, भारत में तिब्बती विस्थापित बच्चों संबंधी स्कूलों का प्रबन्ध करने के लिए की गई थी । इसके लिए पूरी रकम भारत सरकार द्वारा दी जाती है, जिसने इसकी स्थापना से अब तक इसे निम्नलिखित अनुदान दिये हैं:–

वर्ष	अनुदान की रकम (लाख रुपयों में)
1961–62	4.03
196 –63	9.86
1963–64	19.00
1964–65	32.50
1965-66	43.31
1966–67	43.00

(ख) शिमला और डलहोजी स्थित तिब्बती विस्थापित स्कूलों के निरीक्षण के लिए दलाई लामा को क्रमशः अप्रेल, 1966 और अप्रेल, 1967 में आमंत्रित किया गया था । मई 1966 में पंचमढी में शैक्षिक-एवं-व्यावसायिक संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर भी उन्हें आमंत्रित किया गया था । दलाई लामा ने संस्थाओं द्वारा की गई उत्तम प्रगति की सराहना की ओर विद्यार्थियों को सलाह दी कि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई शैक्षिक सुविधाओं का वे अधिकाधिक लाम उठाएं ।

आसाम में मनीपुरी लोग

7655. श्री मेघचन्द्र : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कछार और आसाम में कुल कितने मनीपूरी लोग हैं और वे किन किन गांवों में बड़ी संख्या में रहते हैं; और

(ख) क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के साथ लगने वाले कछार क्षेत्र के मनीपुरी लोगों में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में मिलने की प्रबल इच्छा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1961 की जनगणना के अनुसार कच्छार जिले की कुल 13,78,476 जनसंख्या में से 75,116 ने मनीपुरी को अपनी मातृ भाषा घोषित किया है । ऐसे गांवों के नामों के बारे में तैयार सूचना उपलब्ध नहीं है जिनमें मनीपुरी लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है । इस सूचना को एकत्रित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जिसकी तुलना में उससे प्राप्त परिणाम नगण्य होंगे ।

(ख) इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए ।

दिल्ली के संग्रहालय में मनीपुरी वस्तुओं का न होना

7656. श्री मेघचन्द्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में मनीपुर की तथा वहां के जीवन और संस्कृति का परिचय देने वाली कोई भी वस्तुएं नहीं रखी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर में प्राचीन स्मारक

7657 **श्री मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में सरकार द्वारा अभिरक्षित ऐतिहासिक महत्व के पुराने स्मारकों के नाम क्या क्या हैं; और

(ख) उनके रख रखाव पर प्रतिवर्ष कितना खर्च आता है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) केवल एक स्मारक अर्थात विष्णु-पुर, मणिपुर स्थित विष्णु मन्दिर केन्द्रीय सरकार द्वारा रक्षित है ।

(ख) स्मारक संरक्षण की अच्छी हालत में है । पिछले तीन सालों में इसकी मरम्मत पर कोई खर्च नहीं हुआ है ।

मनीपुर में हिन्दी के विकास के लिये स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

7658 **श्री मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दी में विकास के लिये वर्ष 1966-67 में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र की जिन स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान दिये गये थे, उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी राशि दी गई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) 1965-66 के दौरान मणिपुर की निम्नलिखित संस्थाओं को अनुदान दिए गए थे :—

(1) मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, इम्फाल	2520 रुपये
(2) बंगखिए राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, इम्फाल	750 रुपये

1966-67 के दौरान इन संस्थाओं से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था । 1966-67 वर्ष के लिए अनुदान हेतु मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, इम्फाल का आवेदन-पत्र 15 जुलाई 1967 को अर्थात 1967-68 वित्त वर्ष में, मणिपुर प्रशासन द्वारा यथाविधि सिफारिश किए जाने के बाद प्राप्त हो गया है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कुछ निदेशालयों का समाप्त किया जाना

7659. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड सहित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बहुत से निदेशालयों को समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के ढांचे में यह मुख्य परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान समिति की चौथी आयोजना समिति का विचार है कि जिन यूनिटों को कुछ कर्मचारी कृत्य करने हैं और महानिदेशक को उनके काम में मदद देना है, उनकी अस्तित्व इस तरह अलग नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस समय अपनी निजी कार्यकारी परिषदों और शक्तियों के साथ में उनका है, जैसे वे प्रयोगशालाओं के समान हों और यूनिटों का इस तरह बनाया जाना इनसे जिन कृत्यों के निर्वहन की प्रत्याशा है, उनके अनुकूल नहीं है। समिति की सिफारिशों के ऊपर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

16 अप्रैल, 1966 को हुई शासी निकाय की बैठक में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सुविधा को इस दृष्टि से देखने की जरूरत पर जोर दिया गया था कि दोनों प्रमुख निकायों अर्थात शासीनिकाय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मंडल के कृत्यों में दुहराया जाना टाला जा सके। तीसरी पुनर्विलोकन समिति ने भी सिफारिश की थी कि शासीनिकाय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मंडल दोनों सुसंहत निकाय होने चाहिये।

उपर्युक्त सिफारिश को प्रभावी बनाने के एक प्रस्ताव को, जिसमें दूसरी बातों के साथ साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मंडल को उसके वर्तमान रूप में खत्म कर देना भी शामिल था, शासीनिकाय के विचारार्थ उसकी 15 जुलाई, 1967 की बैठक में भेजा गया था। तथापि, यह निर्णय किया गया कि इस बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

दिल्ली में किराये की इमारतों में कालेज

7660. **श्री बलराज मधोक :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री टी० पी० शाह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से कालेज किराये की इमारतों में हैं ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से अधिकतर कालेजों को अपनी इमारतें बनाने के लिये भूमि दी जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन कालेजों को और उन्हें अपनी स्थाई इमारतें बनाने के लिये कहां कहां जगह दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) केवल तीन कालेज किराये की इमारतों में चल रहे हैं। उन्हें निम्नलिखित स्थानों पर भूमि दी जा चुकी है-

1.	श्री वेंकटेश्वर कालेज	धोला कुआं
2.	डबल्यू० ए० एफ० मेमोरियल शिवाजी कालेज	रिंग रोड़ के पश्चिम में (राजोरी गार्डन और पंजाबी बाग के बीच में ।)
3.	रामलाल आनन्द कालेज	धोला कुआं

Manufacture of Telephones By I. T. I.

7661. Shri Prem Chand Verma : Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) the reasons for which the target fixed for manufacturing telephones by the Indian Telephone Industries Ltd., could not be achieved during 1966-67;

(b) the target fixed for manufacturing telephones and small exchange lines during 1967-68; and

(c) the steps by Government to increase the production of Indian Telephone Industries Ltd.

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The slight shortfall in the production target fixed by the Indian Telephone Industries Ltd. for manufacture of telephones during 1966-67 was due to the fact that a part of the production capacity had to be diverted for meeting certain priority demands for equipment.

(b) The targets fixed for manufacturing telephones and small exchange lines during 1967-68 are as follows:—

Telephones (including headgear sets)	....	2,72,000
Small Exchange Lines	.....	55,000

(c) Government are providing financial assistance to the Company in the form of loans so that the Company can increase its production capacity by adding additional machinery and equipment, wherever needed, and by increasing production of Crossbar Exchange equipment.

Radio Telephone Link

7662. **Shri Prem Chand Verma** : Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) the number and names of countries with whom India has direct radio telephone link;

(b) the number and names of countries linked by telegraph service; and

(c) the steps by Government for establishing direct radio telephone and telegraphic links with such countries, as are not directly linked with India by these means so far ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) India at present operates direct radio telephone services with the following countries :—

(1) Aden
(2) Afghanistan
(3) Australia
(4) Bahrain
(5) Britain
(6) Burma
(7) China
(8) Ethiopia
(9) France
(10) Federal Repunblic of Germany
(11) Hong Kong
(12) Indonesia
(13) Iran
(14) Iraq
(15) Italy
(16) Japan
(17) Kenya
(18) Nigeria
(19) Poland
(20) Saudi Arabia
(21) Singapore
(22) Switzerland
(23) Tha iland
(24) U. A. R.
(25) U. S, S. R.
(26) Vietnam (South)

(b) India at presert operates direct radio telegraph services with following countries :—

(1) Afghanistan
(2) Austraila
(3) Britain
(4) Burma
(5) China
(6) France
(7) Federal Republic of Germany
(8) Indonesia
(9) Iran
(10) Iraq
(11) Italy
(12) Japan
(13) Nigeria
(14) Poland
(15) Philippines
(16) Rumania

(17) Singapore
(18) Switzerland
(19) Thailand
(20) U. A. R.
(21) U. S. A.
(22) U. S. S. R.
(23) Vietnam (North)
(24) Vietnam (South)
(25) Yugoslavia
(26) Czechoslovakia

Note: a) and (b) Through these services, switched telephone and telegraph services are available with the rest of the world.

(c) Direct radiotelegraph and radio telephone services are normally opened with other countries if the volume of traffic is sufficient to sustain a direct service as an economic proposition. Possibilities of opening such services are constantly kept in view.

Reservation in the I. A. S. - I. P. S. for S. C. and S. T. Persons

7663. Shri Rabi Ray :
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether some posts are reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government Services especially in the Indian Administrative Service, the Indian Police Service and the Indian Foreign Service on the basis of their population in different States; and

(b) if so, the population of Scheduld Castes and Scheduled Tribes in each States and in various Union Territories separately as well as their percentage in these Services and the posts held by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) The percentages of reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services under the Central Government are as under:-

(1) Direct recruitment :

(i) **Scheduled Castes :** $12\frac{1}{2}$% of the vacancies filled by direct recruitment in the case of recruitment to posts and services on an all India basis by open competition, i. e. through the Union Public Service Commission or by means of open competitive tests held by any other authority. Where recruitment is made otherwise than by open competition, the reservation is 16-2/3%.

(ii) **Scheduled Tribes :** Both in recruitment by open competition and in recruitment made otherwise than by open competition, there is a reservation of 5% of vacancies for Scheduled Tribes.

Where recruitment is made on a regional basis, the percentages of reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in vacancies have been generally fixed on the basis of the ratio which the populations of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes bear to the total population of the area or region, subject to a minimum of 5% for Scheduled Tribes.

(2) Promotions :

Reservation at 12½% for Scheduled Castes and 5% for Scheduled Tribes in vacancies in Class III and Class IV posts filled by promotion by selection or through departmental competitive examinations, in grades to which there is no direct recruitment. (This is effective from 8th November, 1963).

For the Indian Administrative Service/Indian Police Service/Indian Foreign Service recruitment to which is made on all India basis, reservations at 12½% for Scheduled Castes and 5% for Scheduled Tribes apply.

Thus, as stated above, where recruitment is made on a regional basis, the percentages of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in vacancies have been fixed generally on the basis of the ratio which the populations of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes bear to the total population of the area or region. Subject to a minimum of 5% for Scheduled Tribes.

(b) Does not arise in so far as recruitment on all India basis is concerned (recruitment to IAS/IPS/IFS is made on this basis). However, a statement showing the Scheduled Castes and Scheduled Tribes population in the various States and Union Territories, according to the 1961 census, with percentage to total population is laid on the Table of the House. [Placed in Library See. No. LT. 1306/67]

Since recruitment on regional basis is generally made only in Class III and IV posts, the total number of employees in Class III and IV and the number amongst them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as on 1st January, 1966 is given below:

Class	Total number of employees	Scheduled Castes	Percentage	Scheduled Tribes	Percentage
III	11,17,754	99,017	8.86	12,356	1.10
IV	11,76,826	2,11,073	17.94	40,113	3.41

Separate figures for each State and information regarding posts held by Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each State are not available.

Financial Assistance to Bihar for Teachers

7664. Shri Ram Avtar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Shekhar Singh
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the teachers of all schools and the professors of all affiliated and attached colleges in Bihar are launching a State-wide agitation for the grant of Dearness Allowance at Central Government rates;

(b) if so, whether Government are agreeable to give financial assistance to the Bihar Government to enable them to give Dearness Allowance to the teachers and professors at enhanced rates in view of the famine conditions in that State; and

(c) if so, the amount to be paid as assistance; and

(d) if not the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) According to the information received from the State Government no notice of such an agitation has been received, although a demand for dearness allowance at Central rates has been made by the teachers.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में सहायक (असिस्टेंट)

7665. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के केन्द्रीयकरण और तदुपरान्त विकेन्द्रीकरण के बावजूद भी बारह वर्ष से अधिक सेवा वाले बहुत से सहायक (असिस्टेंट) आज भी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहायकों (असिस्टेंटों) की विभिन्न मंत्रालयों विभागों में कितनी कितनी संख्या है; और

(ग) उन्हें स्थायी करने के लिये क्या विशेष उपाय करने का विचार है; और उन्हें कब तक स्थायी बना दिये जाने की संभावना है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों का वर्ग विकेन्द्रीकृत हैं, अतः 12 वर्ष से अधिक सेवा वाले ऐसे सहायकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है जो अभी तक स्थायी नहीं किए गये । किन्तु सरकार को इस तथ्य का पता है कि उनकी संख्या नगण्य नहीं है और इस बारे में सजग है अस्थायी व्यक्तियों को स्थायी बनाने के अवसरों में उन्नति की दृष्टि से ऐसे अस्थायी पदों में से 80 प्रतिशत को स्थायी करने की अनुमति देने के बारे में आदेश जारी किए गये जो या अधिक वर्ष तक विद्यमान रह चुके और जिनके बारे में यह प्रमाणित कर दिया गया है कि उनके अनिश्चित काल तक जारी रहने की सम्भावना है और यह भी कि सहायकों के वर्ग की अधिकृत स्थायी संख्या निर्धारित करते समय ऐसे पदों को भी गिन लिया जाए । ऐसे सहायकों को स्थायी करने के कार्य की गति बढ़ाने के लिये एक और कदम उठाया गया है । 1962 के केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में सीधी भरती के कोटे को 3 वर्ष के लिए घटा कर 50 प्रतिशत करने की व्यवस्था की गई । यह कोटा आमतौर पर 75 प्रतिशत होता है । इस प्रकार इन अस्थायी सहायकों को 50 प्रतिशत तक स्थायी करने की अनुमति मिल गई । यह व्यवस्था 30 सितम्बर, 1965 को समाप्त होनी थी । किन्तु लम्बी सेवा की अवधि वाले अस्थायी सहायकों की संख्या की स्थिति का पुनरावलोकन करने पर इस व्यवस्था को 30 सितम्बर, 1968 तक और आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया ।

दिल्ली पब्लिक स्कूल

7666. **श्री रवि राय** :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री राम सेवक यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद, के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने सब विशेषाधिकार प्राप्त पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के लिये एक राष्ट्रीय नीति क्रियान्वित की जाने के लिये जोरदार अपील की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन को इस मामले में कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि अधिकतर पब्लिक स्कूल या तो पब्लिक स्कूल कान्फ्रेन्स से संबंधित हैं या सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर सेकन्डरी एजूकेशन से सम्बन्धित हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नवीनतम नीति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) दिल्ली प्रशासन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) चूंकि दिल्ली प्रशासन द्वारा पब्लिक स्कूलों को न तो सहायता ही दी जाती है और न मान्यता ही प्रदान की जाती है, इसलिए प्रशासन का इन स्कूलों पर कोई अधिकार होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार, पब्लिक स्कूलों को किसी वित्तीय सहायता के विचार का समर्थन नहीं करती।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

7667. **श्री प्र० कु० किस्कु :**
श्री श० ना० माइती :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1 जनवरी 1960, 1966 और 1967 को क्रमशः कितने कितने व्यक्ति प्रशिक्षु थे और व्यवसायिक प्रशिक्षण पा रहे थे, और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिशतता कितनी थी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी, देने वाला एक विवरण साथ लगा दिया गया है।

शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के अधीन 1 जनवरी, 1963 से, शिशिक्षु प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। अतः 1 जनवरी 1960 को कोई भी प्रशिक्षणार्थी शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण नहीं पा रहा था।

शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है। उम्र,

शिक्षा सम्बन्धी योग्यता, शारीरिक योग्यता आदि के बारे में अधिनियम की आवश्यक शर्तें पूरी करने वाले किसी भी उम्मीदवार का चुनाव करने के लिये नियोजक स्वतंत्र होते हैं। ऐसे उम्मीदवारों का प्रतिशत उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1. शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961

कार्यकाल	शिशिक्षु रूप में प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या
1	2
31-12-1965 को	22,372
31-12-1966 को	30,326

11. दस्तकारी प्रशिक्षण अधिनियम

कार्यकाल	इंजीनियरी और इतर-इंजीनियरी व्यवसायों में प्रशिक्षण पाने वाले कुल प्रशिक्षणार्थी	स्तम्भ 2 में शामिल अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षार्थियों की संख्या तथा स्तम्भ 2 के मुकाबले में 3 का प्रतिशत	स्तम्भ 2 में शामिल अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तथा स्तम्भ 2 के मुकाबले में 4 का प्रतिशत
31-12-1960 को	34,877	2,560 (7.3%)	388 (1.1%)
31-12-1965 को	98,179	8.569 (8.7%)	2,134 (2.2%)
31-12-1966 को	130,261	13,039 (10.0%)	2,040 (1.6%)

राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति

7668. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्व अधिकारियों को दिल्ली में उन 80 राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों की सम्पत्ति कुर्क करने को कहा गया है जिन्होंने ऋण की वह राशि नहीं लौटाई थी जो उन्हें दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले कुछ राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों को ऋण/सहायता दी गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से अधिकतर लोग केवल एक ही राजनैतिक दल के हैं; और

(घ) क्या सरकार ने अन्य राजनैतिक दलों से संबंध रखने वाले राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता देने का विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि बकाया ऋण की वसूली के लिए भूराजस्व अधिनियम के अधीन केवल उन्हीं मामलों में कार्यवाही की गई थी जिनमें सम्बन्धित व्यक्ति बार-बार लिखा पढ़ी करने पर भी किश्तें जमा नहीं करा सके थे । किन्तु अभी तक कोई सम्पत्ति कुर्क नहीं की गई है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) और (घ) जी हां श्रीमान । गृह मंत्री के विवेकानुदान से उन राजनैतिक पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो कठिन परिस्थितियों में होते हैं और ऐसी सहायता के लिए आवेदन देते हैं । इस सहायता को देते समय व्यक्ति की राजनैतिक दलगत निष्ठा का विचार नहीं किया जाता । दिल्ली प्रशासन ने इस बारे में उचित कार्यवाही की है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा परामर्श देने का कार्य

7669. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में नियमों में एक संशोधन के द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हैं कि गैर सरकारी फर्मों से फीस लेकर परामर्श देने का कार्य न करें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं कि गैर-सरकारी फर्में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा मार्ग दर्शन से वंचित न रहें जो अब तक उन्हें मिलता था ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं । मई, 1963 से लागू इस विषय के सरकारी आदेशों की साहश्य पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने दिसम्बर 1966 में जारी किये गये एक हाल के परिपत्र में अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया था कि तकनीकी परामर्श-कार्य की व्यवस्था संस्थागत आधार पर, राष्ट्रीय प्रयोगशाला संस्थाओं को करनी चाहिए; व्यवस्था करके इस काम के लिये सर्वाधिक योग्य वैज्ञानिकों को यह काम सौंपा जाता है और सम्बन्धित वैज्ञानिकों को मानदेय का भुगतान फीस के दो तिहाई भाग तक दिया जाता है ।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के लाभ से कोई भी वंचित नहीं किया गया है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में विदेशी प्रभाव

7670. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान विधान सभा में यह आरोप लगाये गये कि राजस्थान विश्वविद्यालय में विदेशी प्रभाव है, विशेष रूप से, अमरीका का;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में एक दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र है;

(ग) यह विभाग कब स्थापित किया गया था;

(घ) क्या इस विभाग को किसी देश से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो किस देश से और कितनी; और

(च) क्या किसी अन्य विश्वविद्यालय को ऐसी सहायता प्राप्त हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) राजनीति विज्ञान का विभाग 1961 में स्थापित किया गया था। इस विभाग के अधीन दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र के नाम से एक अनुसंधान केन्द्र 1963 में खोला गया था।

(घ) और (ङ) इस केन्द्र को एशिया प्रतिष्ठान से 141400 रुपये और 10500 डालर की सहायता मिलेगी।

(च) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आंध्र प्रदेश में चलते फिरते डाकघर

7671. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितने चलते फिरते डाकघर हैं;

(ख) क्या वर्ष 1967-68 में आन्ध्र प्रदेश में ऐसे और डाकघर चलाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में संस्कृत के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

7672. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार को या वहां की स्वयंसेवी संस्थाओं को संस्कृत के विकास हेतु तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में भी वह सहायता दी जाती रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना में इसके लिये कितनी राशि नियत की गई है और वर्ष 1966-67 के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) सूचना नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	राज्य सरकार को अनुदान	स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को अनुदान
	रु०	रु०
1961–62	—	20,280.00
1962–63	—	70,583.00
1963–64	8,880.00	1,90,124,00
1964–65	46,898.00	2,00,000.00
1965–66	57,645.00	2,46,892.00
जोड़	1,13,423.00	7,27,879.00

(ख) और (ग) योजनाएं चालू रहने वाली हैं। राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रार्थनाओं पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। कोई राज्यवार नियतन नहीं किया जाता है। स्वैच्छिक संगठनों और आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1966–67 के दौरान क्रमशः 2,54,000/- रुपये और 35,422/- रुपये स्वीकृत किए गए।

आन्ध्र प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाओं को हिन्दी के विकास के लिये अनुदान

7673. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की उन स्वयंसेवी संस्थाओं तथा/अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में हिन्दी के विकास के लिये, प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता रहा है;

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक संस्था व्यक्ति को कितना अनुदान दिया गया; और

(ग) क्या इस प्रकार के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी अनुदान दिये जाते रहेंगे ।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आसनसोल–रानीगंज कोयला पट्टी

7674. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने आसनसोल-रानीगंज पट्टी में कोयला खान क्षेत्रों की समस्या की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्याम दिलाया है;

(ख) क्या यह सच है कि कोयला खान क्षेत्र की इन समस्याओं का एक कारण यह है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करने में प्रबन्धकों ने असहयोग रवैया अपना रखा है; और

(ग) क्या इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रबन्धकों पर प्रभाव डालने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) हमें पिछले कुछ समय से पंचाटों और समझौतों को लागू न करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ।

(ग) आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

7675. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री मरन्डी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के प्रकाशन तथा क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण है;

(ग) क्या प्रतिवेदन को तुरन्त क्रियान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को यह रिपोर्ट 17 जुलाई, 1967 को ही प्राप्त हुई । इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । यह कार्य यथाशीघ्र पूरा कर दिया जायगा ।

(ग) और (घ) इस समय प्रश्न नहीं उठते ।

त्रिपुरा के मकानों पर पाकिस्तानियों द्वारा छापे

7676. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1967 के अन्तिम सप्ताह में पाकिस्तानी बदमाशों ने त्रिपुरा राज्य के भारतीय नागरिकों के निम्नलिखित मकानों पर छापे मारे थे ;

(एक) कमालपुर गांव के बलामी देव शर्मा का मकान;

(दो) बोंलापसा गांव के दिगेन्द्र सिल का मकान;

(तीन) शिघीचेरा गांव के मथुरा देबनाथ का मकान; और

(चार) रंगा गांव के शुधीर पाल का मकान; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन मकानों पर मुजाहिदों या आम छापामारों ने छापे मारे थे और क्या पाकिस्तानी बदमाशों ने गिरोह में भारतीय नागरिकों के मकानों पर छापे मारे थे और मकानों के निवासियों पर हमला किया था और वे वहां से मूल्यवान सम्पत्ति ले गये थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) घटना का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1307/67**]

रानीगंज-आसनसोल कोयला क्षेत्र में नियोजक कर्मचारी विवाद

7677. **श्री समर गुह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानून और व्यवस्था का समय समय पर उल्लंघन किये जाने तथा नियोजक कर्मचारी विवादों के कारण पश्चिम बंगाल के रानीगंज और आसनसोल के कोयला क्षेत्र में उपद्रवी स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या इस कोयला क्षेत्र में नियोजक की ओर से श्रम सम्बन्धी कानून और पंचाटों के पालन में अनियमितता की है;

(ग) क्या श्रमिक-नियोजक-विवाद के कारण किसी कोयला खान पर किसी मजदूर संघ ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था तथा उसे चलाया था;

(घ) क्या कुछ कोयला खानों के उपस्थिति के रजिस्टर या तो जबरदस्ती ले लिये गये थे या धोखाधड़ी से गायब कर दिये गये थे जिससे कोयला खान कर्मचारियों को वेतन देने में देरी हो गई थी; और

(ङ) क्या अनिश्चितता की विद्यमान स्थिति और श्रमिक-नियोजक विवाद को ध्यान में रखते हुए सरकार रानीगंज आसनसोल कोयला क्षेत्र के मामले की जांच करायेगी ताकि कोयले का उत्पादन कम न हो जाये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ मामलों में ।

(ग) जी हां, एक मामले में :

(घ) जी हां, एक मामले में ।

(ङ) पश्चिम बंगाल के रानीगंज और आसनसोल क्षेत्रों में तनावपूर्ण स्थिति मुख्यतः और व्यवस्था का मामला है, जिसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है । फिर भी केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रम कानून और पंचाट यथोचित ढंग से लागू किए जाएं, सभी संभव कदम उठा रही है ।

Asansol-Raniganj Coal Belt

7674. Shri Jagannath Rao Joshi : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government of West Bengal have drawn the attention of the Centre to the problem in Colliery areas in the Asansol-Raniganj belt;

(b) whether it is a fact that the problems in colliery areas are due to the unhelpful attitude of the management in not implementing labour welfare schemes; and

(c) whether the Centre propose to exert influence on the managements to implement the same ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) For some time past we have been receiving some complaints about non-implementation of awards and agreements.

(c) Necessary action is being taken.

Wage Board for Working Journalists

7675. Shri Hardayal Devgun :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri D. C. Sharma :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Chandra Jha :
Shri Marandi :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the Wage Board for Working Journalists has submitted its report to Government;

(b) if so, the reasons for the delay in the publication and implementation of the report;

(c) whether immediate enforcement of the report is envisaged; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) The report was received by Government only on the 17th July, 1967. The recommendat ions made therein are under examination. This will be completed as early as possible.

(c) and (d) Do not arise at this stage.

Pak. Raids on Houses in Tripura

7676. **Shri Samar Guha** : Will the Minister of **Home Affairs be pleased to state :**

(a) whether during the last week of June, 1967, the following houses belonging to the Indian citizens of Tripura State were raided by Pak gangsters;

(i) House of Balami Deb Barma of Village Kamalpur;

(ii) House of Digendra Sil of Village Bonlapasa;

(iii) House of Mathura Debnath of Village Shinghichera;

(iv) House of Shudhir Pal of Village Range; and

(b) if so, whether these houses were raided by Pak mujahids or common raiders and whether Pak gangsters raided the houses of Indian Citizens in group and assaulted inmates of the houses and took away valuable properties from there ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) A statement giving details of the incidents is enclosed.

(i) On 29.5.67 Pak Nationals Mantar Mia, Chan Mia and Noor Ali intruded into Indian Village Kamalnagar, P. S. Sonamura, and asseulted Indian national Batamani Dub Barma with the help of Indian National Suraj Mia of the same village. Enquiry reveals that previously two heads of Pak cattle were seized by an Indian patrol party. These were subsequently purchased by Batamani Deb Barma. Pak nationals told Batamani Deb Barma to return the two heads of cattle to them, which he refused to do.

(ii) On 15.6.67, four Pak cattle entered into the paddy land of Indian national Rakesh chandra Sil and damaged Paddy Plants. On this issue there had been an altercation between Indian and neighbouring Pak nationals. Later, Pak Nationals Asad Mia, Kursed Mia, Noor Ali, Maint Ali and 15/16 others of village Chandpur (Pak) intruded into Indian village Boulabasa and assaulted Indian nationals Digendra Sil and Smt. Provashini Sil.

(iii) On 26.6.67, four Pak nationals, armed with lathis, intruded into Indian Village Singichera, P. S. Khowai, and forcibly drove away two cattle after assaulting Indian owner Mathur Debnath.

(iv) On 18.6.67, 25/30 Pak nationals armed with lathis, intruded into Indian village Ranga P. S. Dharmanagar committed dacoity in the house of Indian national Sudhir Chandra Paul and decamped with cash and property worth Rs. 3546/-.

Employer-Employee Disputes in Raniganj-Asansol Coal Belt

7677. **Shri Samar Guha :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a disturbing situation resulting from frequent infringement of law and order and employer-employee disputes has arisen in the coal belt of Raniganj and Asansol areas of West-Bengal;

(b) whether there have been irregular practices of labour law and awards on behalf of the employer in this coal belt;

(c) whether as a result of the labour-employer dispute, any colliery was demanded to be forcibly occupied by any Labour Union and run by it;

(d) whether attendance Registers of some collieries were either forcibly seized or conspiratorially displaced resulting in the delayed payment of salaries to the colliery workers; and

(e) whether in view of the prevailing situation of uncertainty and labour-employer trouble, Government will make an enquiry into the affairs in the Raniganj-Asansol coal belt so that output of coal is not decreased ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) In some cases.

(c) Yes, in one case.

(d) Yes, in one case.

(e) The tense situation in Raniganj and Asansol areas of West Bengal involves mainly the question of law and order which is the concern of the State Government. However, the Central Industrial Relations Machinery is taking all possible steps to ensure that labour laws and awards are implemented properly.

Foreign Aid to Institutions

7678. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of such institutions in India as are receiving aid from foreign foundations and other institutions;

(b) whether such institutions receiving aid from foreign sources obtain permission either from his Ministry or from Government of India; and

(c) whether Government propose to exercise some control on the institutions receiving such aid ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

सड़क ट्रेलरों की खरीद

7679. श्री स० कुण्ड :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री सेक्वीरा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की भूतपूर्व सरकार ने दैतारी खानों से परादीप पतन तक अयस्क ले जाने वाले सड़क ट्रेलर एक विदेशी फर्म से खरीदे थे;

(ख) क्या यह सच है कि यह क्रयादेश देने से पूर्व कोई टेन्डर नहीं मांगे गये थे;

(ग) क्या विदेशों से खरीदे गये इन ट्रेलरों की लागत देशी साधनों से प्राप्त होने वाले ट्रेलरों की लागत से कहीं अधिक है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले में जांच करने का अनुरोध किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

सशस्त्र विद्रोही नागाओं का पता लगाना

7680. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मरंडी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में इम्फालि-नामेंग लांग सड़क के दोनों ओर गड़ बड़ करने वाले सशस्त्र विद्रोही नागाओं का पता लगाने के लिये सेना की कोई यूनिट असैनिक सुरक्षा दल की सहायता कर रही है;

(ख) क्या उन्हें अपने काम में कोई सफलता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मनीपुर तमेंग-लांग सब डिवीजन में हिंसात्मक घटनाओं के लिये उत्तरदायी अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही में असैनिक शक्ति की सहायता के लिये सेना को बुला लिया गया है ।

(ख) और (ग) अभियान चालू है और जैसा कि सदन में एक ध्यान आकर्षक प्रस्ताव के उत्तर में 27 जुलाई, 1967 को बताया गया था, भारी संख्या में विद्रोही हताहत हुए है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

7681. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों से प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रतिवर्ष न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रतिवर्ष कितने मुकदमें निपटाये गये; और

(ख) न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में निष्टाये गये मुकदमों में वृद्धि न होने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सम्बन्धित सूचना के बारे में दो विवरण (I तथा II) सभा पटल पर रखे गए हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी 1308/67**]

(ख) जैसा कि विवरण III में दिखाया गया है, मुकदमों को निपटाने के बारे में कुल मिला कर अनुपात की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

7682. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या शिक्षा मंत्री 31 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों में, जहां इस समय कोई भी राष्ट्रीय प्रयोगशाला नहीं हैं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भविष्य में इन राज्यों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का सरकार का कोई विचार है, और यदि हां, तो किन-किन राज्यों में और कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कोई विशेष कारण नहीं है। राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के प्रत्येक प्रस्ताव पर उन बातों के आधार पर विचार किया गया जो प्रस्ताव पर विचार करते समय सामने आई और प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोषों को देखते हुए निर्णय किया गया।

(ख) और (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त समिति ने, जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये दिये गये प्रस्तावों पर नये सिरे से विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी, यह सुझाव दिया है कि सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना काल में केवल विद्यमान प्रयोगशालाओं/संस्थानों के लिये ही व्यवस्था होनी चाहिये और जब तक नितान्त आवश्यक न हो, तब तक कोई नया संस्थान स्थापित न किया जाये। तथापि इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

P. Os. in Bihar

7683. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of Post Offices in Bihar District-wise;

(b) whether there are less Post Offices in District Saharsa as compared to other Districts; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government to open post offices in adequate number in that district ?

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs and Communcation (Shri I. K. Gujral) . (a) to (c) A statement is attached.

Statement

Number of Post Offices existing in Bihar State district-wise :

Bhagalpur Dt :	360	Champaran Dt:	505	Darbhanga Dt:	818
Dhanbad	147	Gaya	474	Hazaribagh	341
Palamau	206	Monghyr	545	Muzaffarpur	633
Patna	495	Purnea	457	Ranchi	431
Saharsa	295	Santhal Pargana	296	Saran	575
Shahabad	599			Singhbhum	107

On an average, a Post Office in Saharsa District serves an area of 7 Sq. miles and a population of 5,842. The corresponding figures for the entire State are 9 Sq. miles & 6,378 persons respectively. Since the commencement of Third Plan, 47 new Post Offices have been opened in Saharsa District. There is an adequate number of Post Offices in Saharsa District.

Subject to availability of funds and departmental standards being fulfilled, it is proposed to open 62 post offices in Saharsa Distt. during the current Plan.

Import of Appartuses and Tools

7684. **Shri Ragbuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in spite of adequate production of apparatuses and tools for use in schools in the country, they are being imported from abroad;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whethere Government propose to stop their import immediately ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh) : (a) By and large there is no large scale import of equipment for school stage of education.

(b) and (c) Do not arise.

Violation of Labour Laws in Public Undertakings

7685. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri Yogendra Sharma :
Shri K M. Madhukar :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a Study Group, after conducting a survey of 143 Public Undertakings, has submitted a report to the effect that labour laws are being violated by these undertakings; and

(b) ff so, the details thereof and the action taken against the p1 blic undertakings concerned ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The Ministry of Labour and Rehabilitation is not aware of any survey of 143 public undertakings by a Study Group. However, evaluation studies, in respect of 20 public sector undertakings, conducted by this Ministry have revealed that the implementation of labour laws in these undertakings was, on the whole, satisfactory.

(b) Does not arise.

Pavement Hawkers in Delhi

7686. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ramji Ram :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Sheo Narain :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of such persons who sell articles on pavements in Old Delhi area;

(b) the time since each of these pavement hawkers has been running his trade and their State-wise number; and

(c) the number of letters received by him from these pavement hawkers upto 19th July, 1967 and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) No detailed survey has been cerried out by the Delhi Municipal Corporation of the pavement hawkers in the Old Delhi area. Their number is approximately 4500. No state-wise record is kept. These hawkers have been carrying on different trades on the pavement for quite some years, Most of them are continuing their trade, but some drift. Letters are received from time to time not only from pavement hawkers but also from others, it is not possible to give their exact number. These are forwarded, where necessary, to the competent authority for suitable action. Action on application for allotment of permanent sites on tehbazari basis is being taken by the Delhi Municipal Corporation on other than main roads.

Parliament Assistants

7687. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ramji Ram :
Shri Rabi Ray :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Gunand Thakur :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state •

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of persons working against these posts and since when;

(c) whether there is any person working against this post for a period of more than three years; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Two.

(b) Two : one since 17.8.1966 and the other since 21.11.63. The Second incumbent was earlier working as Parliament Assistant in the erstwhile Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs since 30.10.1958.

(c) Yes; one.

(d) Transfers are made when considered necessary in the interests of efficient disposal of work. The Ministry of Home Affairs order in question is only in the nature of a suggestion for the rotation of staff, subject to the interests of efficiency.

(e) Does not arise.

पूसा संस्थान दिल्ली, में पुलिस के साथ झगड़ा

7688. श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 जुलाई, 1967 को दिल्ली पुलिस के एक दल ने पूसा संस्थान दिल्ली के 40 मकानों में जबरदस्ती घुस कर स्त्रियों तथा बच्चों सहित उन मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को मारा-पीटा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति जख्मी हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उच्चतर माध्यमिक (इन्टरमीडियेट) परीक्षा

7689. **श्री स० कुण्डू** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को शिक्षा परिषद् ने दिनांक 7 अप्रैल, 1967 के अपने पत्र संख्या 9 (52)/ 1.0/67/826 के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड, आगरा को उच्चतर माध्यमिक (इन्टरमीडिएट) परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पत्र प्राप्त करने के बाद आगरा के प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा का आयोजन किया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जून, 1967 में लगभग 250 विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे ;

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने 6 उम्मीदवारों का पंजीयन किया है, जो उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और क्या 20 आवेदन पत्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पंजीयन के लिये अभी अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन अनिर्णीत आवेदन पत्रों का पंजीयन दिल्ली विश्वविद्यालय कब करेगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं। विश्वविद्यालय ने अपने 7 अप्रेल, 1967 के पत्र द्वारा केवल उच्चतर माध्यमिक परीक्षा को मान्यता दी है, जो बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ली जाती है। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि विश्वविद्यालय ने बोर्ड को परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। तदनन्तर कुछ और जानकारी मिलने पर विश्वविद्यालय ने अपने पहले निर्णय पर पुनः विचार किया और यह निर्णय किया कि उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा पास की है. जब तक दाखिल न किया जाये तब तक अन्तिम निर्णय हो। विश्वविद्यालय ने 27 मई, 1967 को इस आशय की एक अधिसूचना प्रसारित की थी जिसकी प्रतिलिपि बोर्ड को भेज दी गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(घ) तीन ऐसे आवेदक थे जिन्होंने तथाकथित बोर्ड द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर विश्वविद्यालय में पंजीयन कराया था। उनके पंजीयन को रद्द करने के आदेश तत्काल दे दिये गये थे। इस समय विश्वविद्यालय के पास कोई आवेदन पत्र पंजीयन के लिये नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ;

58 वर्ष की आयु के बाद सरकारी कर्मचारियों का सेवाकाल बढ़ाया जाना

7690. श्री मणी भाई जे० पटेल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 58 वर्ष की आयु के बाद सरकारी अधिकारियों, विशेषकर, गैर-तकनीकी अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाना केन्द्रीय सरकार की नीति तथा निश्चित मत के विरूद्ध है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को अन्य मन्त्रालयों द्वारा सेवा काल बढ़ाये जाने की सिफारिशों के मामले प्राप्त होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में ऐसे कितने मामले प्राप्त हुये और उन पर क्या निर्णय किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1309-67**।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के न्यायालयों के विरूद्ध शिकायतें

7691. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1967 से 30 जून, 1967 तक सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली के न्यायालयों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और शिकायतें क्या थीं;

(ख) सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कितने मामलों में जांच की ;

(ग) क्या शिकायत करने वाले लोगों को बुलाया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सर्वोच्च न्यायालय नीचे के न्यायालयों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का कोई हिसाब नहीं रखता। ऐसी शिकायतें अधिकतर अनियमित होती हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उपयुक्त उच्च न्यायालय को ऐसी कार्यवाही के लिये भेज दी जाती है जिसे वह उच्च न्यायालय उचित समझे क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और 235 के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सारे क्षेत्र के न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के ऊपर उच्च न्यायालय का अधीक्षण चलता है। अतः वह सूचना देना सम्भव नहीं है जो मांगी गई है। दिल्ली के उच्च न्यायालय को उक्त अवधि के दौरान दो शिकायतें मिली, एक तो एक किराया नियन्त्रक के खिलाफ थी और दूसरी एक स्मोल कौज कोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के खिलाफ।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त (क) में दिये गये कारणों से नीचे के न्यायालयों के खिलाफ शिकायतों की जांच नहीं करता। दिल्ली उच्च न्यायालय को प्राप्त दो शिकायतों की दिल्ली के जिला जज द्वारा जांच की जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय को उसके (जिला न्यायाधीश के) प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) आमतौर पर जब कभी ऐसी हस्ताक्षरित अभियाचकाएं उच्च न्यायालय को प्राप्त होती हैं जिनमें शिकायतें होती हैं और शिकायत करने वाले अपने पूरे पते देते हैं तब उन्हें अपने आरोपों के बारे में शपथ पूर्वक बयान देने अथवा शपथ पत्र दाखिल करने के लिये पंजीकार के सामने उपस्थित होने के लिये बुलाया जाता है। किन्तु यदि यह समझा जाता है कि आरोपों में जांच के लिये पर्याप्त सामग्री है तो शिकायत करने वाले को शपथ पूर्वक

बयान देने के लिये नहीं भी कहा जा सकता है और मामले को सीधे जांच के लिये भेज दिया जाता है। एक मामले में शिकायत करने वाले को बुलाया गया और शपथ पूर्वक बयान देने के लिये कहा गया। दूसरे मामले में शिकायत करने वाले को शपथ पूर्वक बयान देने के लिये नहीं बुलाया गया क्योंकि शिकायत में जांच के लिये पर्याप्त सामग्री समझी गई।

Livery Articles For Guards And Chowkidars In Central Govt, Offices In Delhi

7694. Shri Sri Chand Goel : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri S. S. Kothari : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the livery articles supplied to the Guards and Chowkidars posted in Government Offices in Delhi;

(b) whether it is a fact that the complete uniform, i. e. overcoat, blanket, jersey, banyan, shoes etc. is not supplied to the Guards working in some Central Offices; and

(c) if so, the names of the said offices ?

The Minister of State in The Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The information is given below:—

(i) List of Articles Supplied to Guards.

1. Great Coat.
2. Blanket.
3. Blouse B. D.
4. Trouser B. D.
5. Boots Ankle.
6. Socks.
7. Jersey.
8. Pugree (For Sikhs only).
9. Cap WP.
10. Shirts Khaki.
11. Pant Khaki.
12. Chappals.
13. M. H. A. S. P. Badge.
14. Leather Belt.
15. Beret Cap (For non-Sikhs only).

(ii) List of Articles Supplied to Chowkidars.

1. Cotton Suits-Buttoned up coat and pant.
2. Chappals.

3. Turbans for Sikhs, and caps for non-Sikhs.
4. Kulla or fifty (For Sikhs only).
5. Woolen Suits. Buttoned up coat and pant.
6. Woolen Caps (For non-Sikhs only).
7. Shoes.
8. Woolen Socks.
9. Woolen Jersey.
10. Blanket.

(b) No, Sir. All the items of livery are supplied to the Guards. Banyan is not an item of issue.

(c) The question does not arise.

गुजरात में लोथाल में संग्रहालय

7695. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि लगभग तीन वर्ष पहले गुजरात में लोथाल में संग्रहालय की इमारत के निर्माण के लिये 2,81,711 रुपए की राशि मंजूर की गई थी, किन्तु उसके निर्माण कार्य में अभी तक कोई मूर्त प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस इमारत की आधार शिला 8 वर्ष पहले रखी गई थी और यद्यपि लोथाल में खुदाई कार्य सात वर्ष पहले आरम्भ किया गया था, किन्तु उसकी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है ;

(घ) क्या यह रिपोर्ट अब छपने के लिये तैयार है और यदि हां, तो क्या इसके यथाशीघ्र प्रकाशन का प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(ङ) क्या यह सच है कि लोथाल से प्राप्त पुरातत्वीय वस्तुएं बड़ौदा में धूल से भरे सन्दूकों में सड़ रही हैं और बहुमूल्य मूर्तियों को अकथनीय क्षति पहुँची है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जून, 1963 में निर्माण कार्य के लिये 2,88,836 रुपए मंजूर किये गये थे। कार्य तुरन्त शुरू नहीं किया जा सका था क्योंकि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये गये। निविदा सूचनाओं के लिये विशिष्ट वर्ग के ठेकेदारों से कोई स्पर्द्धा उत्तर नहीं मिले थे। बाद में, नई ईमारतों के निर्माण पर सामान्य प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिससे काम के शुरू करने में देर हुई। प्रतिबन्ध के उठ जाने के बाद फरवरी, 1967 में संग्रहालय के निर्माण के लिये 2,81,711 रुपए की नई मंजूरी दी गई थी। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुनः निर्माण कार्य के लिये सनविदाएं मांगी और रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने निम्न वर्ग से भी निविदाएं भेजने के लिये

कहा गया । यह विभाग निर्माण कार्य की जरूरत को समझता है और इसे यथा सम्भव शीघ्र ही पूरा करने की कोशिश करेगा ।

(ग) और (घ) जी हां, संग्रहालय की आधार शिला मई, 1959 में रखी गयी थी। लोथल की खुदाई की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है। यह रिपोर्ट मार्च, 1967 में ही मिली थी । अभी यह प्रेस के लिये तैयार न थी और लेखक ने इसमें कुछ और सचित्र सामग्री शामिल करना तथा इसमें संशोधन करना चाहते थे, इसलिये इसे जरूरी कार्यवाही के लिये वापिस भेज दिया था । सचित्र सामग्री के 80 प्रतिशत ब्लाक पहले ही बनाए जा चुके हैं और संशोधित रिपोर्ट लेखक से जैसे ही प्राप्त होगी और पाण्डुलिपि प्रेस के लिये तैयार हो जाएगी, वैसे ही इसके छपाने तथा प्रकाशन के प्रबन्ध यथाशीघ्र कर दिये जायेंगे ।

(ङ) जी, नहीं । खुदाई कर्ता ने पुरातत्वीय वस्तुओं को बांध कर और लेबल लगा कर बड़ौदा में सावधानी से स्वयं रखा हुआ है ।

वृन्दावन में गोविन्द देवजी का मन्दिर

7696. श्री रवि राय :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री राम सेवक यादव :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृन्दावन में गोविन्द देवजी के मन्दिर में परिरक्षण का कार्य किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसने सारे कार्य को अव्यवस्थित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप पुरातत्वीय विभाग के अधिकारियों ने यह कार्य अस्वीकृत कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । गोविन्द देव जी मन्दिर की स्वीकृत-मरम्मतों का निष्पादन मैसर्स बिरला ब्रदर्स प्राईवेट लि० को सौंपा गया था ।

(ग) जी, नहीं । फर्म ने कुछ अनिच्छित मरम्मतें भी कर दी थी, जिन पर भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण ने आपत्ति की थी ।

(घ) सरकार ने अनिच्छित मरम्मतों को ठीक करने के लिये कह दिया है और फर्म को अन्य स्मारकों की मरम्मतों का काम देने से इन्कार कर दिया है, जो फर्म ने चाहा था ।

7697. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the Advisory Committee of the Scientiss' Pool under the Council of Scientific and Industrial Research has made several recommendation about recalling the Indian scientists from foreign countres;

(b) if so, the details thereof ? and

(c) The action taken by Government thereon ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The proceedings of the meeting of the Advisory Committee for the Scientists' Pool held on 11th July, 1967 have not yet been finalised.

(b) and (c) Do not arise.

Ragging in Delhi University

7698. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that in the name of ragging the new students, particularly girl students many incidents of improper and uncivilised behaviour took place at the beginning of the new session of Delhi University this year;

(b) Whether it is a fact that in addition to students, some other persons also participated in it;

(c) Whether it is also a fact that in a Girls' College, the Flying Squad had to be summoned to stop teasing of girl students and the police had to be posted outside it;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the steps taken by the Universities to stop such incidents in future ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c) According to the information received from the University, no such incidents were reported by any college.

(d) and (e) Do not arise.

Expenditure on Monuments

7699. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) The expenditure incurred on the improvement of archaeological monuments in the country and works connected therewith during the last fifteen years, for each movements separately;

(b) The expenditure incurred on the monuments belonging to Muslim and Hindu periods respectively; and

(c) Whether some schemes for further improvements of historical movements are under consideration and, if so, the names there of and date by which a decison would be taken thereon ?;

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c) There are more than 3000 centrally protected monuments, which are maintained and preserved by the Archaeological Survey of India. Because of lack of adequate funds, only essential repairs could be carried out to these monuments, and no scheme of improvements to them could be contemplated. The annual expenditure, during the last four years, is given below:—

Year	Expenditure
1966–67	Rs. 26,32. 795
1965–66	Rs. 37, 47,030
1964–65	Rs. 44, 08, 139
1963–64	Rs. 36, 61, 975

As the budget allocations and expenditure figures are maintanied circle-wise, it is not possible to give expenditure figures monument--wise, much less on the basis of the religious affiliations of the monuments. Besides, the time and labour involved in the preparation of detailed expenditure figures for a period of 15 years would not be commensurate with the results achieved.

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

7700. श्री मरंडी :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य कार्यकारी पार्षद ने कांग्रेस के पार्षदों द्वारा दी गई आन्दोलन की धमकी को ध्यान में रखते हुए राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की केन्द्र से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय भवन में हिमालयन क्लब के लिये आवास

7701. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालयन क्लब नामक गैर-सरकारी संस्था को कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय भवन के किसी कमरे में स्थान दिया गया है;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उस कमरे का रूप बदलने और उसमें नया फर्नीचर लगाने पर क्या खर्च किया है; और

(ग) उक्त क्लब से इसके लिये क्या किराया लिया जा रहा है और एक गैर-सरकारी संगठन को सरकारी भवन में स्थान देने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई है ?

शिक्षा मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां। परन्तु केवल हिमालय क्लब के पुस्तकालय को।

(ख) 174 वर्ग फीट का स्थान और बढ़ाने पर 3925 रुपये खर्च किये गये हैं। नये फर्नीचर पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया है।

(ग) इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्लब से कितना किराया लिया जाये। बिजली और पानी का खर्च स्वयं क्लब ही वहन करता है।

क्लब को केवल एक कमरा दिया गया है जो वायसराय के समय में पुलिस रक्षक के लिये था। काफी समय से इस कमरे को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था। एक वैज्ञानिक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्था होने के नाते क्लब के पास अनेक बहुमूल्य पुस्तकें हैं। कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय भवन में इसे स्थान देने से पाठकों को लाभ हुआ है, क्योंकि परिस्थिति विशेष में पाठकों को क्लब के पुस्तकालय में जाने की अनुमति भी दे दी जाती है। विदेशी संस्थाओं से सम्बन्ध होने के नाते क्लब को विदेशी पत्रिकाएं भी प्राप्त होती रहती है, जो विदेशी मुद्रा के संकट के समय भी पाठकों को उपलब्ध हो जाती है। यह पाठकों को अतिरिक्त लाभ हुआ है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता से पुस्तकों का खोया जाना

7702. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय से गत तीन वर्षों में कितनी पुस्तकें खोई गई प्रतीत होती है;

(ख) इनमें से कितनी पुस्तकों के खोये जाने की रिर्पोट दी गई है; और

(ग) इन पुस्तकों के खोये जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में ऐसी पुस्तकों के जिनका वर्गीकरण दुर्लभ पुस्तकों के रूप में कर दिया गया है, नाम क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1963 से अब तक 149569 पुस्तकों की जांच की गई है जिनमें से 744 पुस्तकें नहीं मिल रही है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में लिखित सब की रिपोर्ट कर दी गई है।

(ग) पुस्तकालय में किसी पाठक या अधिकारी विशेष को हानि के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी नियमों और निरिक्षण को कड़ा कर दिया गया है।

(घ) कोई भी दुर्लभ पुस्तक नहीं खोई है।

Political Sufferers of Delhi

7703. Sari K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that 5,000 persons have received cash grants from the Government Treasury; Delhi on the plea of help to political sufferers;

(b) if so, whether it is a fact that all of them are actually political sufferers;

(c) Whether Government have framed and implemented some general rules on the All-India basis in regard to giving aid to the political sufferers; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : Cash grants have been given to 1,273 political sufferers from the Home Minister's Discretionary Grant from its iception in 1955--56. In addition education grants have so far been given by the Delhi Administration to 6107 childern of political sufferers. These grants were paid on the recommendation of the political Sufferers Relief Committee who satisfy themselves as to the genuineness of the political sufferers.

(c) and (d) The relief and rehabilitation of the political sufferers is primarily the responsibility of the State Governments who have formulated their own schemes for the purpose. The question as making general rules on the All--India basis does not, therefore, arise, However, ad hoc grants are given to deserving persons from the Home Minister's Dicretionary Grant.

भारतीय प्रशासन सेवा पदाली का प्रतिनियुक्ति

7704. **श्री विद्याधर बाजपेयी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य से केन्द्रीय सेवाओं में भारतीय प्रशासन सेवा पदालि के प्रतिनियुक्ति के कोटे में इस समय कितने रिक्त स्थान है; और

(ख) इन रिक्त स्थानों को भरे न जाने के क्या कारण हैं और कोटे में रिक्त स्थानों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : इस समय उत्तर प्रदेश पदालि के 87 अधिकारी केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा में नियुक्त हैं जबकि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कोटा 61 है।

उत्तर प्रदेश में जूनियर तकनीकी स्कूल

7705. **श्री विद्याधर बाजपेयी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में उत्तर प्रदेश में कोई जूनियर तकनीकी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Seizure of Hiking Shoes by Assam Police

7706. **Shri J. H. Patel :**
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the Assam Police have seized a parcel containing 17 to 18 thousand pairs of Hiking Shoes at Silchar indented by Mr. Morcotte, a foreign missionary and a supporter of Mizo rebels;

(b) whether the said parcel has been returned to the said missionary; and

(c) if not, the way these shoes have been disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vida Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise;

उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन

7707. **श्री विद्याधर वाजपेयी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 तक उत्तर प्रदेश में कितने पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन लगाये गये हैं; और

(ख) वर्ष 1967–68 में इस राज्य में कितने पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य–मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा–पटल पर रख दिया जायगा।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

7709. **श्री काशी नाथ पांडे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उत्तर प्रदेश के डाक व तार सर्किल में कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(ख) उस राज्य में अब तक कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा चुके हैं; और

(ग) उन एक्सचेंजों के द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शन लगे हुए हैं तथा नये एक्सचेंजों में कितने टेलीफोन लगाने की व्यवस्था है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (इ० कु० गुजराल) : (क) 85

(ख) उत्तर प्रदेश में 145 स्वचल एक्सचेंज खोले गए हैं, जिनमें 1-4-66 के बाद खोले गए 42 चक्सचेंज भी शामिल हैं।

(ग) मौजूदा स्वचल एक्सचेंजों से 31,132 कनेक्शन काम कर रहे हैं। खोले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों से लगभग 16,000 कनेक्शन काम करेंगे।

उत्तर प्रदेश में जिला गजेटियर के लिये वित्तीय सहायता

7710. **श्री काशी नाथ पांडे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को जिला गजेटियर के संकलन तथा प्रकाशन के लिये 1950 से 1967 तक केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 97,730 रुपए 28 पैसे।

Institute of Advanced Studies, Simla

7711. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Institute of Advanced Studies; Simla has pro Chinese atmosphere;

(b) whether Government propose to examine this matter in full detail:

(c) the basis on which the selection of Director and the teachers was made; and

(d) whether any significant work has been done by the Institute commensurate with the huge amount of mony already spent on it ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir; The Institute is engaged in advanced research in Humanities and allied subjects without bias in favour of any country or ideology.

(d) Does not arise.

(c) The present Director was appointed by the Central Government, as required under the Rules of the Institute of Advanced Study Society, from a panel of names of eminent scholars.

There are no teachers as such in the Institute; there are research fellows appointed by the Governing Body on the recommendations of the special selection committees set up by it.

(d) During the short period of its existence the Institute has organised six seminars and several research projects on significant subjects.

Pak. Infiltration in Assam

7712. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state;

(a) the number of Pakistani citizens who have infiltrated into Assam and Tripura and settled there after India's independence in 1947 till the 31st March, 1967;

(b) the number of those among them who have been repatriated to Pakistan by Government;

(c) the number of such Pakistani citizens still in India and the time by which Government propose to repatriate them to pakistan; and

(d) whether Government have made any arrangement to check the infiltration of Pakistani citizens into India and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in The Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) After the partition till 15th October, 1952, when Passport and Visa System was introduced, there were no restrictions on travel between India and East Pakistan. However, according to the 1961 Census, the number of Pakistani citizens estimated to have infiltrated into Assam and Tripura was about 2,50,000 and 50,000 respectively. Almost all the infiltrators in Tripura have been sent back to Pakistan. The number of such persons evicted from Assam till 31st May, 1967, was 1,70,169.

(c) There are about 80,000 infiltrators still in Assam. All possible steps for their detection and eviction are being taken.

(d) Yes, Sir.

पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त शरणार्थियों द्वारा अन्य राज्यों के पुनर्वास स्थलों का त्याग

7713. **श्री समर गुह :**
श्री ह० प० चटर्जी:
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री गणेश घोष :
श्री डा० मैत्रेयी बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न पुनर्वास स्थलों से पिछले तीन महीनों के दौरान 180 से अधिक परिवार पश्चिम बंगाल लौट आये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य राज्यों में बसाये गये लगभग 20 लाख शरणार्थियों में से करीब 10 लाख शरणार्थी अब तक पश्चिम बंगाल लौट आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे उन स्थानों को छोड़कर क्यों वापस आ रहे हैं और इन शरणार्थियों की समस्याओं को हल करने में पश्चिम बंगाल सरकार को मदद देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ला० ना० मिश्र) : (क) मार्च, अप्रैल और मई, 1967 के दौरान विभिन्न पुनर्वास स्थानों के विदेशों से आये नये विस्थापितों के 170 परिवार तथा दण्डकारण्य की बस्तियों को नये तथा पुराने विस्थापितों के 272 परिवार छोड़कर विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों पर चले गये हैं। यह मालूम नहीं किया जा सका कि उनमें से कितने लोग पश्चिमी बंगाल में वापिस गये हैं परन्तु अनुमान यह है कि उनमें से अधिकतर पश्चिमी बंगाल को ही लौटे हैं।

(ख) जी नहीं। पश्चिमी बंगाल से बाहर दण्डकारण्य बस्तियों सहित अन्य राज्यों में नये और पुराने विस्थापितों के कुल 2.19 लाख परिवार बसाये गये थे जिनमें से नये विस्थापितों के 2034 परिवार विभिन्न पुनर्वास बस्तियों को छोड़कर चले गये हैं। पुराने विस्थापितों के कितने परिवार इस प्रकार गये हैं, यह ज्ञात नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त नये विस्थापितों के लगभग 33000 परिवार (जो भारत में 1-1-1964 को या इससे बाद में आये हैं) राहत कैम्पों को ही छोड़कर चले गये थे जिनमें उन्हें रखा गया था। ये किन स्थानों को वापिस गये हैं, यह पता नहीं है। हाँ, यह माना जा सकता है कि इनमें से अधिकतर पश्चिमी बंगाल को ही गये होंगे।

(ग) विभिन्न राज्यों के पुनर्वास स्थलों को नये विस्थापित परिवारों ने जिन कारणों से छोड़ा, उनका विवरण सलग्न है।

पश्चिमी बंगाल से बाहर कुछ कैंम्प खोलने का प्रस्ताव किया गया है जिससे नये विस्थापितों (उन परिवारों सहित जो कैंम्प या पुनर्वास स्थल पहले ही छोड़ गये थे) को पश्चिमी बंगाल से बाहर बसने के लाभों का अधिकारी होने का एक मौका और मिल जाये। पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास कार्य का पुनर्विलोकन करने वाली समिति, जो अब पश्चिमी बंगाल की अवशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर रही है, इस सम्बन्ध में भी सिफारिश करेगी कि ऐसे जो लोग पश्चिमी बगाल में रह रहे हैं उनको तकनीकी प्रशिक्षण रोजगार, शैक्षिक और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था की आवश्यकता है।

विवरण

1. विदेशों से आये लोगों की अपने आप को वातावरण, विशेषकर जलवायु, मिट्टी, वर्षा और विभिन्न फसलों के अनुरुप ढालने में असमर्थता।

2. गत दो वर्षों में सूखे और अभाव की स्थिति बनी रही जिसका फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा और इस स्थिति ने पुनर्वास बस्तियों को भी प्रभावित किया।

3. पश्चिमी बंगाल में उनके सम्बन्धियों का अभी तक रहना।

4. पश्चिमी बंगाल में बसने की स्वभाविक रूचि तथा यह आशा कि राज्य की नई सरकार उन्हें उसी राज्य में ही बसा देगी।

5. कृत्रिम प्रवासी होने पर मुकद्दमा चलाये जाने का भय।

6. नई बस्तियों में आये धोखेबाजों द्वारा लोगों को पश्चिमी बंगाल में बसाने के सम्बन्ध में दिये गये झूठे वायदे।

Linking Wages with Rise in Prices

7714. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of State in his Ministry while addressing a Press Conference on the 18th April, 1967 in Patna stated that wages of the labcurers should be related to the rise in prices of various commodities; and

(b) if so, whether Government propose to implement it ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) Government's policy in this regard is set out in the Chapter on Labonr Policy in the Draft Outline of the Fourth Five Year Plan. Wage Boards and other wage-fixing authorities have generally recommended linking of dearness allowance with Consumer Price Indices.

पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्यायें

7715. **श्री समर गुह :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री गणेश घोष :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
डा० मैत्रेयी बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन–पत्र भेजा है जिसमें यह बताया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अभी पूरी तरह से नहीं बसाया गया है तथा उनकी समस्याओं को "अवशिष्ठ समस्यायें" कहना तथ्यों पर आधारित नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार से ऐसा कोई भी ज्ञापन नहीं मिला है । पुनर्वास मंत्रियों के मई, 1967 में होने वाले सम्मेलन की कार्य सूची में सम्मलित करने के लिये अवशिष्ट समस्या से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर टिप्पणीयां तथा कार्य–क्रम प्राप्त किये गये थे । इन पर केन्द्रीय पुनर्वास मन्त्रालय ने पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मन्त्री से 16–5–1967 को बातचीत की थी और बाद में अनेक समस्याओं पर पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल से 12-6-1967 और 10-7-1967 को विचार-विमर्श किया गया था ।

इस बात पर सहमति हो गई थी कि नल कूपों की मरम्मत आदि करके भूतपूर्व कैम्प स्थानों पर पेय जल की अत्यधिक आवश्यकता को तत्काल पूरा किया जाये । पश्चिमी बंगाल सरकार को विषय परिस्थिति वाले विस्थापित परिवारों को पुनर्वास ऋण देने के लिये भी अधिकार दे दिये गये हैं, परन्तु ये ऋण अवशिष्ट अनुमान द्वारा निर्धारित 30 लाख रुपए की राशि तक ही समिति रहने चाहियें ।

पश्चिमी बंगाल में पुराने और नये विस्थापित लोगों के पुनर्वास कार्य में प्रगति के अध्ययन के लिये नियुक्त पुनर्विलोकन समिति भी इन समस्याओं का अध्ययन कर रही है । सरकार समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

मनीपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्मा के लोगों का घुस आना

7716. **श्री मेघचन्द्र** : क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मनीपुर के उखरूल उप–खण्ड के कनघाट के निकट मनीपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में बर्मा के कुछ लोग घुस आये हैं और उन्होंने सीमांकन खंभों को हटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) मनीपुर में बर्मा के कुछ लोगों के घुस आने के बारे में समाचार पत्रों पर मनीपुर सरकार का ध्यान गया है । मामले की जांच की गई और पाया गया कि मनीपुर में बर्मा के लोगों द्वारा कोई घुसपैठ नहीं की गई है । हां, मनीपुर के टेंगनोपाल सबडिविजन में मोरेह में कुछ मील के पत्थर मनीपुर सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसलिए हटाये गए थे कि उनके स्थान पर किलोमीटरों में दूरी बताने वाले पत्थर गाड़ दिये जाएं ।

निजाम हैदराबाद की निजी थैली

7717. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री आत्म दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री मरंडी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजाम हैदराबाद ने अपनी निजी थैली की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने भूतपूर्व निजाम की व्यक्तिगत जागीर सर्फे खास के लिये प्रतिकर देना जारी रखने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) जहां तक (क) का सम्बन्ध है सरकार का इस राशि को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है । जहां तक (ख) का सम्बन्ध है, राशि राज्य के राजस्व से दी जाती है और इस बारे में राज्य सरकार को लिख दिया गया है ।

मकान गणना

7718. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री शारदानन्द :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1971 में सारे देश में मकानों की गणना कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इससे क्या लाभ होगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जन गणना की तैयारी के रूप में मकानों की सूचियां तैयार की जाती हैं । इन सूचियों को तैयार करते समय कुछ आंकड़े एकत्रित करने का विचार है । अन्य बातों के साथ-साथ इन आंकड़ों में मकान के उपयोग, दीवार, छत और फर्श में लगी सामग्री परिवार द्वारा अधिकृत कमरों की संख्या और इस बात की भी सूचना एकत्रित की जाएगी कि परिवार स्वयं अपने मकान में रहता है अथवा किराये के मकान में । नमूने के तौर पर मकान की आयु, पानी, बिजली तथा टट्टी इत्यादि की सुविधाओं के बारे में भी अतिरिक्त आंकड़े एकत्रित करने का विचार है । मकानों की सूचियों के प्रारूपों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) इन एकत्रित आंकड़ों से उपयोगी आर्थिक तथा समाज शास्त्रीय आंकड़े प्राप्त होंगे ।

नक्सलबाडी में उग्र बामपन्थी

7719. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उग्र वामपन्थियों ने राज्य सरकार की चेतावनी के विरुद्ध नक्सलबाड़ी में अपना संघर्ष जारी रखने की घोषणा की है;

(ख) क्या इस निर्णय के अनुसार 7 जुलाई, 1967 को 800 सशस्त्र आक्रमणकारियों ने खारीबाड़ी थाने के पास एक गांव पर बड़ा आक्रमण किया था; और

(ग) क्या यह घटना उस समय घटी जिस समय नक्सलबाड़ी में विद्रोहियों के गढ़ में सशस्त्र पुलिस बैन्ड के साथ मार्च कर रही थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) 7 जुलाई को 10.45 बजे से 13.35 बजे तक पुलिस ने नक्सलबाड़ी और अटाल (चाय बागान) के बीच चार मील लम्बा पथ संचलन किया । उसी दिन 14 बजे और 18.30 बजे के बीच लगभग दो तीन सौ उपद्रवियों ने भाटामोच गांव में एक मकान

को आग लगा दी, एक लाख मकान को लूट लिया और खारीबाड़ी थाने के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत खारीबाड़ी चाय बागान के एक व्यक्ति पर आक्रमण किया। इन घटनाओं के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन तीन मामले चलाये गये हैं।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

गुजरात में माल-डिब्बों की कमी

अ० सू० प्र० 40. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री श्रीराज मेघराज धांगधरा :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में विभिन्न स्थानों में माल डिब्बों का नियतन न किये जाने के कारण डोलोमाइट, नमक, रुई और बिनौलों के बड़े स्टाक वहीं पर जमा पड़े हैं, जबकि उद्योग रुई और डोलोमाइट न मिलने के कारण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं और इन वस्तुओं के भारी स्टाक इस वर्षा ऋतु में बह गये हैं और खराब हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो व्यापार के सीजन में इन वस्तुओं को वहां से उठाने के लिये प्रति मास कुल कितने माल डिब्बों की आवश्यकता है तथा उस अवधि में उनको ढोने के लिये औसतन कितने माल डिब्बे उपलब्ध होते हैं ; और

(ग) भविष्य में गुजरात में इन वस्तुओं को भेजने और वर्तमान जमा स्टाक को शीघ्र वहां से उठाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० पु० पुनाचा) : (क) से (ग) जनवरी से जुलाई 1967 तक के समय में गत वर्ष की अपेक्षा डोलोमाइट और नमक का लदान अधिक हुआ है। तथापि गांठों में बन्धी हुई रुई और बिनौले की ढुलाई मीटर गेज रेलवे पर माल न आने के कारण कम रही है।

2. हां, डोलोमाइट का लदान छोटे उदयपुर क्षेत्र में इतना न हो सका जितना माल लदान के लिये वहां आया क्योंकि छोटे उदयपुर मियोगाम छोटी रेलवे लाइन पर रेलगाड़ियां केवल दिन के समय ही चलती थी। रात के समय गाड़ियों का चलना 8-7-1967 से शुरू किया गया, जिससे 8-7-67 से 20-7-67 तक डोलोमाइट का लदान 57 डिब्बे प्रतिदिन तक जा पहुंचा जबकि 1-7-67 से 7-7-67 के बीच इसके केवल 27.8 डिब्बे ही प्रतिदिन लादे जाते थे।

3. गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 1 जनवरी से 20 जुलाई 1967 के दौरान नमक के बड़ी रेल के 1284 डिब्बे और मझली गाड़ी के 1791 डिब्बे अधिक लादे गये। फिर भी

मीटर गेज पर लदान और मांग में कुछ अन्तर अवश्य रहा है क्योंकि इस रेलवे पर आयातित खाद्यान्न को कांडला से उत्तर प्रदेश और बिहार के स्थानों को जाने का काम अत्यधिक रहा।

4. इसके बावजूद डोलोमाइट नमक तथा बिनौले के माल को यथासम्भव शीघ्रता से ढोने का प्रयास किया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे मे (प्रकिया)

RE : CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (Procedure)

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह उपस्थित नहीं है। अतः अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1965-66 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1279/67]**

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1280/67]**

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री पं० राममूर्ति : (मदुरै) : मैंने दो दिन पूर्व एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी और कल चर्चा के बाद आप इसे लेने के लिये मान गये थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि यह महत्वपूर्ण मामला है जिसका सम्बन्ध श्री गोपालन से है परन्तु यदि आप प्रतिदिन विशेषाधिकार का प्रश्न उठायें तो क्या ऐसा करना सभा की

कार्यवाही के लिये वांछनीय होगा। सभा ने और भी कार्य करने हैं। मैंने श्री शिवाजी राव शं देशमुख तथा श्री पं० राममूर्ति के साथ इस सम्बन्ध में चर्चा की थी और सुझाव दिया था कि इस मामले को विशेषाधिकार को मामले के रूप में न उठाकर ध्यान दिलाने वाली सूचना अथवा किसी अन्य रूप में उठाया जा सकता है।

श्री पं० राममूर्ति : विशेषाधिकार के उल्लंघन का यह प्रश्न इसलिये उत्पन्न हुआ हैं क्योंकि किसी संसद सदस्य के साथ अन्य व्यक्तियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। श्री अ० क० गोपालन ने आपको लिखा है की उन्हें दो घण्टे तक अवरुद्ध किया गया है, इसलिये यह निश्चित रूप से विशेषाधिकार का प्रश्न हैं।

श्री नायनार (पालघाट) : हम इसे ध्यान दिलाने वाली सूचना के रूप में उठाये जाने के विरुद्ध है।

श्री श्रीधरन (बडागरा) : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है न कि ध्यान दिलाने वाली सूचना का।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति दे रहा हूं और समय मिलने पर इसे लिया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में-जारी

RE : CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE-CONTD.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जब आपने श्री समर गुह का नाम पुकारा था तो वह कुछ देर के लिये बाहर गये हुए थे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका सम्बन्ध अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों से है। इसलिये, मेरा निवेदन है कि एक विशेष मामले के रूप में इसकी अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय के बाद आगे चलने तथा एक अथवा दो विषय निपटाने के बाद मैं पहले के विषय पर वापिस कैसे जा सकता हूं। यदि मैं आज ऐसा करूं तो कल यदि कोई अन्य सदस्य ऐसा चाहे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दे सकूंगा। इसलिए, मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I submit, that the question regarding Shri Gopalans detention for two hours also comes under this ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय देने के बाद इसे उठाने का क्या लाभ है ?

सभा-पटल पर रखे गये पत्र जारी
PAPERS LAID ON THE TABLE—CONTD.

भारतीय तारयन्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान, मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय तारयंत्र (छठा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 17 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1104 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1283/67]**

(2) भारतीय तारयंत्र (पांचवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 18 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1105 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1284/67]**

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में-जारी
RE: QUESTION OF PRIVILEGE -CONTD.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : क्या आप विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री श्रीधरन (बडागरा) : यह विशेषाधिकार का मामला है। उन्हें गृह-कार्य मन्त्री के निदेश पर दो घंटे के लिये अवरुद्ध रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले पर अब चर्चा नहीं कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या हम आपके कक्ष में इस विषय पर विचार कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : We will see you and try to convince you.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र-जारी
PAPERS LAID ON THE TABLE-CONTD.

भविष्य निधि अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) : श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1019 की एक प्रति जो दिनांक 8 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1286/67]**

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 15 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1055 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1285/67]**

(3) बिजली, गैस तथा विद्युत सम्बन्धी औद्यगिक समिति के 27 मई, 1967 को नई दिल्ली में हुए पहले अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1282/67]**

(4) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 22 जून, 1966 को जनेवा में हुए 50वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1281/67]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) : श्रीमान, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 11 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

आठवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं भूतपूर्व पुनर्वास मन्त्रालय—1 जनवरी, 1964 से पूर्वी पाकिस्तान से भारत पहुंचने वाले नये प्रव्रजकों का स्वागत, विसर्जन तथा पुनर्वास—के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 71वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में जारी

RE: QUESTION OF PRIVILEGE—CONTD.

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या हम आपसे यह जान सकते हैं कि क्या आप विशेषाधिकार के विषय पर अपना निर्णय विलम्बित रखेंगे। क्या हम आपके साथ आपके कक्ष में बातचीत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इससे बहुत आगे निकल चुके हैं।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक

DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) AMENDMENT BILL

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1964 में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री हाथी : श्रीमानजी मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

बाट और मापमानक (जिला कोहिमा तथा मोकोकचुंग पर विस्तारण) विधेयक

STANDARDS OF WEIGHTS AND MEASURES (EXTENSION TO KOHIMA AND MOKOKCHUNG DISTRICTS) BILL

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं "कि बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 के नागालैंड राज्य में जिला कोहिमा तथा मोकोकचुंग पर विस्तारण सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि बाट और माप मानक अधिनियम नागालैंड राज्य के कोहिमा तथा मोकोकचुग जिलों पर भी लागू किया जाये। यह अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। इसे 1958 में भारत सरकार द्वारा कुछ चुने हुए जिलों तथा नगरों में लागू किया गया था और अगले आठ वर्षों में कई दौर में दूसरे क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया।

यह अधिनियम नागालैंड के त्वेनसांग जिले में पहले से ही लागु है परन्तु कोहिमा तथा मोकोकचुंग में लागू नहीं है क्योंकि संविधान के अधीन, जैसा कि उस समय था, यह अधिनियम उन दो जिलों पर स्वतः लागू नहीं हो सकता था जिन्हें संविधान की छठी अनुसूची के भाग 'क' में शामिल किया गया था, जब तक आसाम के राज्यपाल अधिसूचना नहीं देते कि अधिनियम लागू होगा। त्वेनसांग जिला भाग 'ख' में है। नागालैंड की सरकार के अनुरोध से अब यह विचार है कि अन्तर्राज्य, अन्तर्जिला तथा अन्तर्प्रदेशीय व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग के हितों में इन दो जिलों पर इस अधिनियम को लागू किया जाये। ऐसा करने से समूचे भारत पर यह अधिनियम लागू करने का काम भी पूरा हो जायेगा। इस अधिनियम के इस प्रकार विस्तार के लिये संसद की स्वीकृति आवश्यक है।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नंजा गौडर (नीलगिरि) : नागालैंड आदि जैसे आदिवासी क्षेत्रों में लोग सामान्यतः पुराने बाट तथा नाप का प्रयोग करते हैं। बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 को क्रियान्विति अनिश्चित तथा असन्तोषजनक रही है। पुराने बाट तथा माप नये मानकों के साथ अब भी मौजूद हैं फासले के मामले में भी बड़ी अव्यवस्था है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं होता कि सड़कों पर जो मील पत्थर लगे हुए हैं, उन पर मील लगे हुए हैं अथवा किलोमीटर।

नये बाट तथा माप छोटे दुकानदारों को उपलब्ध नहीं किये जाते हैं। बहुत से मामलों में अधिकारी अनावश्यक विलम्ब करते हैं तथा इसके फलस्वरूप नये मानक का प्रयोग न करने वाले दुकानदारों को अनावश्यक तंग किया जाता है। आसाम के आदिम जाति क्षेत्रों में कोई परिवर्तन करने से पूर्व अधिकारियों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये। लोगों को नये बाटों तथा माप का आदि बनाने के लिये उन्हें सिखाना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में स्थानीय अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन पर उदारता से विचार करना चाहिये। लोगों को अनावश्यक रूप से तंग नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Hukam Chnd Kachwai (Ujjain) : While extending this Act to these two districts of Nagaland we should ensure that the inocent and illiterate tribals of those areas are not harrassed by the authorities.

It is very difficult to procure metric weights and measures since only a few selected factories are given manufacturing license and only one agency is employed for their sale in a particular district. It resu'ts in lesser supply and consegnent black marketing. There or four licenses for their distributicn in each district should be given to end the monoply and ensure easy supply. The inspection is also not being done properly and the people continue to useold weights and measures as a consequence thereof.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : ऐसी विधि इतने कम समय में लागू करने के लिये मैं सरकार को तथा भारत की जनता को बधाई देता हूं। परन्तु हम मंत्री महोदय से यह पूछना

चाहते हैं कि ऐसे कितने राज्य क्षेत्र अभी शेष हैं जिनमें बाट तथा माप की नई पद्धति लागू नहीं हुई है। यह मालूम होता है कि उन क्षेत्रों में सरकार यह पद्धति लागू करने में बहुत समय लगा रही है। समझ में नहीं आता कि मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा प्रार्थना किये जाने की प्रतीक्षा क्यों करे और वह स्वयं कार्यवाही क्यों न करे। यह कार्यवाही बहुत पहले की जानी चाहिये थी। इस प्रकार निष्क्रिया रवैये से हमारे देश के हित को बहुत हानि होगी।

यह कहा गया है कि इस पर भारत को संचित निधि से 50,000 रुपये का अनावर्ती व्यय होगा। इतने भारी व्यय की क्या आवश्यकता है जबकि नागालैंड राज्य की जनसंख्या तथा क्षेत्र बहुत कम है।

मैं जानता हूँ कि इस समय उस राज्य में कुछ गड़बड़ी है परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि वहां पर शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो जायेगी। परन्तु फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि उस राज्य को 50,000 रुपये दिये जाने के क्या कारण हैं।

ऐसा कहा गया है कि नागालैंड के इन जिलों में किये जाने वाला 50 प्रतिशत व्यय अनुदान के रूप में तथा 50 प्रतिशत धन ऋण के रूप में दिया जायेगा। परन्तु दूसरे राज्यों को इस अनुपात से धन दिया गया है।

इस राज्य में संचार तथा अन्तर-संचार सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार वहां के लोगों को इन नये मापों तथा बाटों आदि के प्रति किस प्रकार शिक्षित करेगी। इस प्रणाली को नागालैंड राज्य के केवल एक जिले में ही लागू किया गया। परन्तु अब अन्य दो जिलों में लागू किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय वहां के लोगों को इन नये बाटों तथा मापों के प्रति जानकारी देने के लिए नियमित रूप से कुछ अध्यापक भेजने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

श्री मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : नये मापों तथा बाटों सम्बन्धी अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। परन्तु अब इसको नागालैंड के उन दो जिलों में लागू किया जा रहा है जहां कि पहले इसको लागू नहीं किया गया था। मेरे विचार में इस विधेयक को उन जिलों में बहुत पहले किया जाना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नागालैंड के इन दो जिलों के लोगों को अपने आपको इन नये मापों तथा बाटों के अनुरूप बनाने में कुछ कठिनाई अवश्य होगी। क्योंकि उन लोगों की अपनी परम्परायें तथा रीति-रिवाज हैं।

इस अधिनियम के उन दो जिलों में विस्तार का उद्देश्य वास्तव में अन्तर्राज्य, अन्तर-प्रदेशिय व्यापार तथा उद्योग में प्रगति करना है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागालैंड राज्य की कुछ अपनी राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याए हैं। जब तक इन समस्याओं को हल नहीं किया जाता तथा वहां शान्ति स्थापित नहीं की जाती तब तक इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। अतः वहां की राजनैतिक समस्या का हल यही है कि वहां के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार

को उस क्षेत्र, मनीपुर तथा असम राज्य के अन्य पर्वती क्षेत्रों को राज्य का दर्जा तथा स्वायतता देने में हिच चाना नहीं चाहिए। यह वहां के लोगों की मांग है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए।

जहां तक आर्थिक पहलू का सम्बन्ध है वहां पर असमानता है। उद्योगों तथा सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी सुविधाओं का विकास भी नहीं हुआ है। इसके फलस्वरूप वहां के लोगों के जीवनस्तर निम्न है। जब तक इस पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था का सुधार नहीं किया जाता तब तक उस क्षेत्र में व्यापार तथा उद्योग की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए मै चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में पानी तथा बिजली की सुविधायें उपलब्ध की जाये तथा वहां पर उद्योग स्थापित किये जायें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : यह एक साधारण विधेयक है तथा इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। परन्तु आपत्ति यह है कि इसको किस प्रकार लागू किया जायगा।

नागालैण्ड राज्य की राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल किये बिना इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। हमारी सरकार इन समस्याओं को हल करने में बुरी तरह असफल रही है। गत 20 वर्षों से हमारी सरकार इन समस्याओं को नहीं सुलझा सकी। मैं इस विधेयक का विरोध करना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस विधेयक का विरोध करने अथवा समर्थन करने से इस को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार इन बातों के प्रति गम्भीर है तो उसको सर्वप्रथम बड़ी समस्या अर्थात राजनैतिक समस्या का हल सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। केवल इस विधेयक को पारित करने से कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं इस विधेयक की चर्चा पर भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ।

मैं यह जानता हूं कि इस प्रणाली के बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है और कि इसको वहां के लोगों तथा राज्य सरकार के सहयोग बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि 1956 से हम इस पद्धति को क्रम-बद्ध ढंग से लागू कर रहे हैं। पिछले वर्षों में हमने इस पद्धति के बारे में लोगों को फिल्मों, विज्ञापनों, भाषणों तथा आकाशवाणी के माध्यम में जानकारी देने का प्रयास किया है।

1960 में इस विधेयक का विस्तार जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर किया गया था। अब नागालैंड के इन दो जिलों पर इस विधेयक के विस्तार से समूचा देश इस विधेयक के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेगा।

कुछ लाभदायक सुझाव दिये हैं और मैंने उन पर ध्यान दिया है। यह सच है कि इस नई पद्धति को लागू करना राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करता है। इस मामले में राज्य सरकार जो भी सहायता चाहेगी केन्द्रीय सरकार देने के लिए तैयार है। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि वहां के लोगों को शिक्षा तथा अन्य तरीकों से इस नई पद्धति के अनुरूप बनाया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 के नागालैण्ड़ राज्य में जिला कोहिमा तथा मोकोकचुंग पर विस्तारण सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर खण्ड वार चर्चा होगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1964–65

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (Railway) 1964–65

उपाध्यक्ष महोदय : सभा वर्ष 1964-65 के लिए रेलवे की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा मतदान करेगी।

वर्ष 1964–65 के लिये रेलवे आयव्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्न लिखित मांगे प्रस्तुत की गई।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
5	संचालन व्यय मरम्मत और अनुरक्षण।	46,49,848
8	संचालन व्यय-अपरिचालन (कर्मचारी और इंधन को छोड़कर)	24,30,157
12	सामान्य राजस्व को भुगतान	40,49,900
15	चालू लाइन निर्माण अपरिवर्द्धन और बदलाव	30,02,39,043

श्री शिवप्पा (हसन) : मै इन मांगों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इन मांगों पर अन्य मांगों पर चर्चा के समय ही चर्चा की जानी चाहिये थी। शायद लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के अभाव के कारण गत वर्ष इन मांगों को प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु रेलवे आयव्यक के साथ के साथ इन मांगों को सभा के समक्ष न रखने का कोई कारण नहीं है।

रेलवे के कुप्रशासन के कारण हुई अनेक दुर्घटनाओं के लिए ही ये अतिरिक्त मांगे की जा रही हैं। इन दुर्घटनाओं के कारण जात-पात की बहुत हानि हुई है। यदि इन मांगों को सामन्य मांगों के साथ सभा में प्रस्तुत किया जाता तो अधिक उपयुक्त ढंग से चर्चा की जा सकती थी और उचित सुझाव दिये जा सकते थे। मैं नहीं जानता कि इन मांगों को इस प्रकार चोर दरवाजे से क्यों प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं तथा मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह हुई हानि के लिए अधिकारियों का उत्तरदायित्व नियत करें।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान विभिन्न परियोजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसको आलाभकारी कहा जा रहा है। यदि माननीय मन्त्री इन परियोजनाओं की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें तो इनको लाभकारी परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरणतः यदि बंगलौर नगर से बोरिंगपट जाने वाली रेलवे लाइन का कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों तक विस्तार कर दिया जाये तो यह लाइन लाभकारी बन सकती है। इसी प्रकार अन्य कई रेलवे लाइनों का विस्तार कर अथवा उनमें कुछ परिवर्तन कर उनको लाभकारी बनाया जा सकता है। अधिकांश लोग रेलवे में यात्रा करते हैं और आम तौर डिब्बों में भीड़ रहती है। इसलिये यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि रेलवे को हानि हो रही है।

मैं हसन मंगलौर परियोजना की ओर भी मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस परियोजना पर 23 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है परन्तु अभी तक केवल 6 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये हैं। इस वर्ष के लिए केवल 2½ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार यह योजना निर्धारित तिथि अर्थात 1971 तक पूरी नहीं हो सकती। इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये यदि निर्माण कार्य नियमित रूप से जारी रखा जाता है तो इससे माननीय मन्त्री की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह परियोजना समूचे दक्षिणी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अतः मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करें।

रेलवे में वर्तमान क्षेत्रीय पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा): सामान्य आयव्ययक पर चर्चा के समय मैंने कुछ स्टेशनों पर कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया था। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री ने उनपर ध्यान दिया है और स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद रेलवे की कार्य प्रणाली की जांच करने पर ये उचित सन्देह उत्पन्न लगे है कि क्या रेलवे में कुछ मामलों के पुनर्विलोकन की आवश्यकता तो नहीं है। इसीलिए रेलवे आयव्ययक पर चर्चा करते समय हमने रेलवे बोर्ड में अनियमितताओं, भाई भतीजावाद, अन्याय का प्रश्न उठाया था। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय को इस पर कुछ नियंत्रण रखना चाहिये।

रेलवे में विद्युतीकरण के कारण डीजल लोकों में काम करने वाले बहुत से लोगों की छंटनी कर दी गई है। बहुत से लोगों को कलकत्ता से अन्य स्थानों पर बदल दिया गया है। मन्त्री महोदय को इन कर्मचारियों के कष्टों आदि की ओर ध्यान देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डियन रेलवे कांफ्रेन्स एशोसियशन एम्पलाइज यूनियन की शिकायतें है। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी रेलवे के स्थायी मार्ग इन्सपेक्टरों की भी कुछ शिकायतें है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इन शिकायतों को दूर करने की ओर ध्यान दें।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Several defence establishments sprang up between Poona and Lonavala during the Second World War and after that a number of other industries were also established but the present railway lines are insufficient to cope with the traffic on that Section. It is, therefore, necessary to lay two more lines there. I do not insist on the lines being set up forthwith but I would request that the grievances of that area should be gone into.

The number of industries has increased very much and due to over-congestion in big towns, the labourers have to come for work from long distances. It is the duty of the railways to provide proper facilities to them. There are certain anomaties which ought to be removed for example the season-ticket fare between Poona and Lonavala is Rs. 26.8 while the distance between these two stations is 64 kilometres while the season ticket between Bombay and Karjat, which is a distance of 100 kilometres is only Rupees 18.70. It is necessary to revise the freight structure and to give transport facilities to labourers if we want to encourage the dispersal of industries. This will also help solve the housing problem.

There is a scarcity of foodgrains in the country and the foodgrains have to be transported from one place to another, particulary from the ports to the other cities. Arrangements should be made to carry the foodgrains in covered wagons only so that no damage is caused by the rains.

There is a jun tion called Dhond between Poona and Sholapur. There are no water facilities at that station. Arrangements for drinking water should be made there.

People have some doubts in the matter of departmental enquiry being condute in the railway accident between Kuppam and Bangalore. A judicial enquiry should be held in this matter,

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : The Ministry should make a proper assessment of expenditure at the time of preparing the budget. It is possible that new works such as electrification, need more expenditure. But at the time of providing for such contingencies in the budget, care should be taken to see that there is no occassion for the Public Accounts Committee to make any adverse remarks against the Ministry.

Inspite of Railway Protection force being there on the railways, the cases of theft on the railways have been very common. The force should be tightened upto see that no case of theft takes place. Apart from that, the railway department should obtain the power to shoot on the spot the person who is found breaking a wagon. That will certainly reduce the number of such cases.

The doubling of Anooppur-Katni section is welcome. It will be good if necessary steps to provide double line betweeen Bilaspur and Khinsari and between Pindra Road and Anooppur on Bilaspur-Katni section are also taken. There should be a direct line between Delhi and Katni.

The catering arrangement at Allahabad is very poor. Passengers, specially third class passengers are either not served with food or they do not get what they want. The government should take steps to improve the catering arrangements at that station. With these words, I support the demand.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : The demand for a railway line between Kotah and Chittor should be considered. The line has not been built so far although survey

had been made and foundation stone laid. This line passes through quarries from which the stones are sent to the distants places in the country. If this line had been constructed, the expenses thereon would have been made up by its income within a couple of years.

The Kotah-Buran line should touch Shahabad also. It is an Adivasi region and is adjacent to Chambal area which is infested with dacoits. A railway line there will help in eradicating the dacoit menace there.

The behaviour of high officials with the staff is not proper. It results in a lot of inconvenience both the passengers and the railway employees. It is particularly so at Kotah railway station. The Divisional Superintendent of Kotah is responsible for all that. fans have been removed from the running rooms and huts of Harijan employees have been demolished at his instance. On account of his treatment and actions there is too much resentment amongst the staff. He must be removed from there, otherwise a situation like that of the Southern Railway may develop there also.

There is no special quota for Members of Parliament in the De luxe Express that runs between Delhi and Bombay. Those Members who like to go from Delhi to Bombay should be able to travel by this train. Steps to make this facility available to them should be taken.

The running staff of Western Railway coming to Delhi has no separate place for rest at Delhi station. If there is any bed available in the room meant for the staff of central Railway only then the staff of Western Railway can make use of it. It should be required into.

The Controller of Central Railway at Mathura gives priority to Central Railway trains over those of Western Railway, as consequence of which the Western Railway trains are generally late. The Government should take steps in that regard.

The hon. Minister had assured that the bridge on Banas river between Sawai Madhopur and Gangapur would be completed by 1968. A judicial enquiry should be held regarding cases of corruption there which resulted in heavy cost.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : इस समय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर संविधान के अनुच्छेद 115 के अन्तर्गत विचार कर रहे हैं। यदि इस मामले पर कोई चर्चा हो तो वह उस विशेष मामले तक ही सीमित रहनी चाहिये परन्तु आप सामान्य चर्चा की अनुमति दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस आपत्ति से पूर्णतया सहमत हूं। मैंने कहा था कि माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक समय न लें। मैं कार्यवाही को विनियमित करने का प्रयत्न कर रहा हूं परन्तु यह बहुत कठिन है।

Shri N. N. Patel (Bulsar) : The demand for electrification of Sabarmati-Virar line is long outstanding but no step has been taken in this regard. That work should be expedited.

A shuttle service between Balsar and Surat has been introduced after much efforts, but it is not enough to meet the requirement of the travelling public and the train is always over-crowded. Passengers have to travel on the roof. This shuttle should also be

extended from Bulsar to Duhbann. The Gram Panchyats and Distric Panchayat etc. of the area had passed the resolutions in this connec ion and had sent it to Railway authorities. Necessary steps should be taken in this connection

Employees at Bulsar railway station have demanded that they should be provided with coat, and other clothes during rainy season. Necessary steps should also be taken in this direction.

श्री ग्रबचेजियान (डिंडिगल) : 1 मई, 1967 से कोडाइकनल रोड से कुम्बकोणम, सिरहजही, चिदाम्बरम कुडुलूर तथा तिनदिवनम के लिये रेलवे अधिकारियों ने फल तथा फूल जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के पार्सल बसूल करना बन्द कर दिया है, इसके परिणाम-स्वरूप कृषकों को बहुत हानि हुई है तथा दुकानदारों को भी बहुत असुविधा हो रही है। रेलवे प्रशासन को भी आय की हानि हो रही है। अतः रोडाइकनल रोड स्टेशन से खराब होने वाली वस्तुओं के पार्सल लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

पालानी एक पर्यटक केन्द्र तथा तीर्थस्थान है। त्योहार के दिन लाखों लोग इस स्थान पर आते हैं। जो यात्री पालानी से गाड़ी पर आते और जाते हैं, उनसे तीर्थयात्रा कर वसूल किया जाना चाहिये। इससे रेलवे की तथा स्थानीय नगरपालिका की आय में वृद्धि होगी।

मेरे निर्वाचित क्षेत्र में कोडाइकनल रोड स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। कोडाइकनल पहाड़ों पर जाने वाले बहुत से विदेशी वहां पर उतरते हैं। अतः यदि कोडाइकनल रोड स्टेशन के पूरे प्लेटफार्म पर छत डाल दी जाय तो ठीक होगा। वहां पर केवल एक ही प्लेटफार्म है। इससे बहुत कठिनाई होती है। रोडाइकनल रोड स्टेशन पर अन्य प्लेटफार्म बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में डिंडीगुल सबसे बड़ा नगर तथा जंकशन है किन्तु वहां विश्राम के लिये कोई कमरा नहीं है। पालानी आडंचायरम की ओर से आने वाले यात्रियों को गाड़ियों के लिये बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तृतीय श्रेणी तथा ऊंची श्रेणियों के यात्रियों के लिये विश्राम कक्ष बनाने के लिये रेलवे विभाग को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

इस समय ड़िंडीगुल जंकशन तथा मदुरै के रास्ते मद्रास को चार एक्सप्रैस गाड़ियां चल रही हैं। डिंडीगुल एक महत्वपूर्ण जंकशन होने के कारण वहाँ के लिये उन गाड़ियों के साथ एक पृथक तृतीय श्रेणी का आरक्षित डिब्बा जोड़ा जाना चाहिये।

रेलवे विभाग ने डिंडीगुल से कसर तक एक नई बड़ी लाइन बनाने का निर्णय किया है। वाणिज्यिक तथा इन्जीनियरी सर्वेक्षण किया जा चुका है। परन्तु काम चालू किये जाने में विलम्ब किया जा रहा है। इस कार्य को तुरन्त चालू करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। डिंडीगुल कुडालोर तथा डिंडीगुल करैकुडी लाइनों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यह दोनों लाइनें मदुरै जिले के शेष भाग के लिये आवश्यक हैं।

रेलवे जंकशनों तथा स्टेशनों के नामों की पट्टियां क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिये। तामिलनाड में प्रत्येक जंकशन तथा स्टेशन पर तमिल में बोर्ड होने चाहिये।

श्री सोनावेन (पंढरपुर) : छोटी लाइनों के यात्रियों की अधिक अच्छी सेवा करने की बजाय और उन्हें मीटर अथवा बड़ी लाइनों में परिवर्तित करके लाभप्रद बनाने की बजाय यदि आप उन्हें बन्द कर देंगे तो आप उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सेवा नहीं करेंगे जहां से यह लाइनें गुजरती हैं। परन्तु ऐसे क्षेत्रों की पूर्ण उपेक्षा की जा रही है और अब आप उन्हें बन्द करने की सोच रहे हैं।

सरकार इन लाइनों को अलाभ-प्रद मानकर समाप्त करने के बारे में सोच रही है। ऐसा क्यों ? यदि हानि हो रही है तो सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिये जिनसे अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। इन क्षेत्रों के लोगों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करने के स्थान पर उन्हें वर्तमान सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। लातूर-कुरडुवाड़ी-मिरज लाइन को बदलने के बारे में मैंने रेलवे मंत्री को कई बार लिखा है। यातायात सर्वेक्षण और इन्जीनियरी सर्वेक्षण आदि तो कर लिया गया है परन्तु लाइन को बदलने का कार्य अभी सम्पन्न नहीं हुआ है।

मैंने बहुत पहले सुझाव दिया था कि पूना से शोलापुर तक चलने वाली रेलगाड़ियों का विद्युतकरण किया जाना चाहिये। मध्य रेलवे पर सरकार अच्छा कार्य कर रही है।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : रेलवे के कर्मचारियों तथा रेलवे प्रशासन के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित होने चाहिये तभी रेलवे प्रशासन का काम ठीक ढंग से चल सकता है। अब तक सरकार और रेलवे मंत्री इस बात को महसूस नहीं करते तब तक प्रति दिन स्थिति बिगड़ती जायेगी। कर्मचारी वर्ग अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं क्योंकि वे काफी समय से वर्तमान स्थिति को सहन करते रहे हैं। सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों का मूलभूत अधिकार है। जब तक इस मूलभूत अधिकार को मान्यता नहीं दी जाती तब मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि पिछले तीन या चार दिनों में दक्षिण रेलवे में जो कुछ हुआ है, वही अन्य रेलवे में भी होगा और सरकार तभी इस बात को महसूस करेगी।

इसलिये यह भूलमूत प्रश्न है। यह कर्मचारी के अधिकार और आत्म-सम्मान का प्रश्न है। यदि उसकी शिकायतों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो यह गड़बड़ चलती रहेगी। प्रशासन के कुशल संचालन तथा प्रशासन और कर्मचारियों के परस्पर अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यह बात अत्यावश्यक है। इसलिये सरकार तथा मंत्री महोदय को इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। हमें चुनाव करवा कर यह पता लगाना चाहिये कि कर्मचारियों का किस यूनियन पर विश्वास है फिर उसी यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिये। मैं अपने आपको कर्मचारियों पर थोपना नहीं चाहता। यदि सरकार इस सिद्धान्त को मानने के लिये तैयार नहीं तो इस प्रकार की अनौपचारिक हड़तालें भविष्य में होती रहेंगी। आज कर्मचारी जानता है कि उसका प्रतिनिधित्व उस यूनियन के द्वारा नही किया जाता जिसपर उसको विश्वास है। इसीलिये यह सारी गड़बड़ है।

जब मितव्ययता की आवश्यकता महसूस होती है तो उसका प्रभाव सबसे निम्न स्तर के लोगों पर पड़ता है। सरकार को इस नीति को बदलना चाहिये। मुझे अलवाय से एक

पत्र प्राप्त हुआ है। वहां पर प्रतिदिन हजारों पार्सल आते हैं। सरकार के पास जो सामान ढोने वाले कुली हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। यदि उन्हें काम पर लगाया जाये तो उन्हें मजूरी की अनुसूची के अनुसार अदायगी करनी पड़ती है। फिर वहां साधारण लाइसेंस प्राप्त कुली भी हैं। प्रशासन उन्हें काम करने के लिये विवश करता है मितव्ययता के काम पर उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता है। यदि पार्सल अधिक है तो सामान ढोने वाले कुलियों को अधिक संख्या में काम पर लगाना चाहिये और उन्हें सामान्य मजूरी दी जानी चाहिये। यूनियनों की मान्यता के प्रश्न पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिये।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस मंत्रालय के लिये जितनी धन-राशि की अनुमति दी जाती है यह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष उससे अधिक धन राशि खर्च कर देता है। फिर यदि खर्च अधिक हुआ है तो इस खर्च की अनुमति के सम्बन्ध में विधेयक लाने के लिये लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? यह एक गम्भीर मामला है। वास्तव में प्राक्कलन ठीक प्रकार से तैयार नहीं किये जाते। सरकार यह सोचती है कि उनका बहुमत हैं और वे बाद में स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु यह खर्च का मात्रा अत्यधिक है। इसका मुख्य कारण यह हैं कि इनकी खर्च की योजना ठीक नहीं बनाई जाती और उसमें समय समय पर काफी परिवर्तन किये जाते हैं जिसके फलस्वरूप यह गड़बड़ होती है।

उदाहरण के तौर पर कटक स्टेशन से परादीप बन्दरगाह तक एक लाइन बनाई जा रही है। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण हो रहा है। मंत्रालय ने सर्वेक्षण-कार्य तथा भूमि अर्जित करने के लिये खर्च का कुछ अनुमान तो लगाया होगा। जिस ढंग से सर्वेक्षण हो रहा है उसके अनुसार यह लाइन लोगों के निजी घरों तथा अन्य इमारतों में से होकर गुजरेगी जिसके फलस्वरूप सरकार को भूमि अर्जित करने के लिये अधिक क्षतिपूर्ति देनी होगी। उसी क्षेत्र में सरकार की अपनी भूमि भी है और बेकार भूमि भी है जिसका मूल्य कम है। इस भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये था। रिहाइशी क्षेत्र के लोगों ने कई अभ्यावेदन भेजे हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा निवेदन यह है कि लाइन को इस ढग से बिछाना चाहिये कि जिससे सरकार का खर्च भी कम हो और लोगों को भी कम कष्ट हो।

मेरे विचार में प्राक्कलन तैयार करने में अधिक सावधानी बर्तनी चाहिये ताकि अनुदान से अधिक खर्च के लिये अनुमति लेने का प्रश्न ही न रहे।

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि रेलवे विभाग के सभी कर्मचारी 11 सितम्बर, 1967 को मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर सांकेतिक हड़ताल करने जा रहे हैं। रेलवे मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि वह रेलवे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के लिये वित्त मंत्री को सहमत करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे विद्युतीकरण के फलस्वरूप छंटनी के बारे में माननीय रेलवे मंत्री और उनके राज्य मन्त्री ने काफी उदार हृदयता दिखाई थी परन्तु कानपुर ओर मुगलसराय में फिर नोटिस जारी किये गये हैं। इन्हें तुरन्त वापिस लिया जाना चाहिये।

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : मांग संख्या 5 का सम्बन्ध इन्जनों, रेल के डिब्बों आदि से जिनके निर्माण के लिये अपेक्षित सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण, सभा ने जितनी धनराशि की अनुमति दी थी, उससे अधिक खर्च हो गया है। एक यह प्रश्न उठाया गया है कि बजट बनाते समय हमने ठीक प्रकार से प्राक्कलन तैयार क्यों नहीं किये। यह तर्क तो ठीक है परन्तु तथ्य यह है कि हमें सभा की अनुमति जैसे ही प्राप्त होती है, समस्त धन-राशि को रेलवे के 9 जोनों तथा 3 उत्पादन एककों में बांट दिया जाता है और खर्च पर बिल्कुल सही रूप में नियन्त्रण नहीं रहता। यदि हमें इस घटबढ़ का पहले पता चल जाता तो हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा के समय सभा की अनुमति प्राप्त कर लेते। ऐसा करना भी कठिन था क्योंकि इतनी अधिक मदों पर खर्च किया जाता है कि खर्च पर ठीक ठीक नियन्त्रण नहीं किया जा सकता।

कई बार अनुमान से अधिक खर्च हो जाता है। इस सम्बन्ध में मांग संख्या 15 का हवाला दिया गया है जो नई लाइनें बिछाने के लिये भूमि अर्जित करने से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत चालू लाइनों के निर्माण के लिये जो अनुमान लगाये गये थे और जिनकी स्वीकृति दी गई थी वे ठीक नहीं निकले। इसका कारण यह है कि निर्माण कार्य के लिये अपेक्षित सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी और इसीलिये अधिक खर्च हुआ।

मांग संख्या 12 एक ऐसी मांग है जिसके बारे में ठीक अनुमान लगाया जा सकता था क्योंकि यह सामान्य राजस्व को देय लाभांश से सम्बन्धित है। परन्तु इस मामले में भी ब्याजदेय पूंजी में वृद्धि हो गई है। बजट तैयार करते समय ब्याजदेय पूंजी कम थी परन्तु लाभांश जोड़ते समय ब्याजदेय पूंजी में वृद्धि हो गई क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं और हमें इन्हें पूरा करने के लिये बडी बड़ी धन राशि की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस वर्ष हमारे पूंजीगत खर्च का अनुमान 253 करोड़ रुपये था परन्तु उसके बजाय हमारा खर्च 275 करोड़ रुपये हो गया। इसी लिये ब्याजदेय पूंजी 2136 करोड़ रुपये से बढ़कर 2360 करोड़ रुपये हो गई है। इसलिये पूंजी पर दिये जाने वाले लाभांश में भी वृद्धि हो गई है। इस प्रकार 40 लाख रुपये के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

ये सामान्य बातें हैं। यदि समस्त स्थिति पर ध्यान दिया जाये तो पता चलेगा कि यह अतिरिक्त खर्च सीमा के अन्दर ही है। रेलवे की इतनी बड़ी बड़ी परियोजानाएं तथा भिन्न कार्यक्रम हैं, उसके लिये यह अतिरिक्त खर्च सामान्य है।

जहां तक रेलवे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि रेलवे के दो महासंघ हैं परन्तु उनमें कर्मचारियों की बहु संख्या का विश्वास नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यहां सामूहिक सौदे का सिद्धान्त लागू नहीं होता, क्योंकि यह एक संगठित श्रमिक संघ भी हैं। संगठित श्रमिकों के कुछ अपने उत्तरदायित्व होते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि श्रमिक संगठित हों, उनके हितों की सुरक्षा हो। श्रमिकों की मांगें, उनका कल्याण तथा उनके साथ बर्ताव सम्बन्धित उद्योग की क्षमता के अनुकूल हो। परन्तु यह सब अनुचित तथा अत्यधिक रूप में नहीं हो सकता तथा उद्योग आदि की क्षमता से बाहर नहीं हो सकता। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है हम स्वीकृत सिद्धान्त का अनुसरण कर रहे हैं। इस सभा ने श्रमिक

प्रबन्ध तथा कल्याण की नीति बनाई थी। हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरी ओर हम कुछ उदार भी है। यदि हम से कोई गलती हुई है तो वह श्रमिकों के हित में ही हुई है। उनके अहित में नहीं। वास्तव में मांग केवल मांग के लिये नहीं होनी चाहिये। मेरा अभिप्राय यह है कि श्रमिकों पर भी कुछ उत्तरदायित्व है। यह केवल सौदेबाजी की बात नहीं है। इस प्रकार की मांग तथा सौदे से देश की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ पड़ता है। हम अपनी सीमा के अन्दर सभी उचित मांगों पर विचार करने के लिये तैयार हैं। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कोई लापरवाही नहीं की जायेगी। परन्तु यदि कोई अनुचित मांग की गयी तो उस स्थिति का यथायोग्य मुकाबला किया जायेगा। स्थानीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनकी जांच की जायेगी और जो कुछ हो सकेगा किया जायेगा।

श्री शिवप्पा ने हसन-मंगलूर रेलवे लाइन के बारे में उल्लेख किया था और कहा था कि इस परियोजना को समाप्त किया जा रहा है। यह बात ठीक नहीं है। वास्तव में बात यह हुई है कि इसे मंगलोर पत्तन परियोजना के साथ जोड़ दिया गया है और इस लाइन का विचार मुख्य पत्तन के सर्वेक्षण के आधार पर बनाया गया है जिसका निर्माण पश्चिमी तट पर किया जायगा। इस कार्यक्रम को इस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है कि मंगलूर पत्तन परियोजना पूरी होते ही यह लाइन भी तैयार हो जायेगी यदि पत्तन जिसके लिये यह कार्य हो रहा है वही न रहे तो पूंजी तथा ब्याजदेय पूंजी भारी मात्रा में इकट्ठी करने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये यह एक क्रमबद्ध कार्यक्रम है और मंगलूर पतन परियोजना के कार्यक्रम के अनुसार हसन-मंगलूर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करके पूरा कर दिया जायगा।

पूना-लोनावला रेलवे लाइन के मामले पर हम अवश्य करेंगे क्योंकि इसकी काफी समय से मांग की जा रही है।

फिर रेलवे से कई प्रकार की रियायतों की आशा की जाती है जैसे कहीं अकाल पड़ जाये, कोई गोष्ठी होनी हो, विद्यार्थियों और अध्यापकों का कोई सैर-सपाटे का कार्यक्रम हो इत्यादि। यदि रेलवे के राजस्व में वृद्धि की कोई बात कही जाये तो शोर मच जाता है। इसलिये हमें इन सभी मामलों पर एक साथ विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1964-65 के लिये रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :-

The following demands for excess grants in respect of Ministry of Railways for the year 1954-65 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	46,49,848
8	संचालन व्यय—अपरिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	24 30,157

12	सामान्य राजस्व को भुगतान	40,49,900
15	चालू लाइन निर्माण-अपरिवर्द्धन और बदलाव	3,02,39,043

वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के चौदहवें तथा पन्द्रहवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ।

MOTION RE : FOURTEENTH AND FIFTEENTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTS AND SCHEDULED TRIBES FOR 1964-65 AND 1965-66

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूल रेणु गुह) : मैं प्रस्ताव करती हूं "कि यह सभा वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के 14 वें और 15 वें प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 10 मार्च, 1967 और 8जून, 1967 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार करती है ।"

इस विषय पर जो पहले वाद विवाद हुए हैं उनमें बार बार यह चिन्ता व्यक्त की गई थी कि आयुक्त द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देर की जाती है और फिर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और उसे सभा-पटल पर रखने में बहुत समय लग जाता है । मुझे प्रसन्नता है कि अब इसमें उतना विलम्ब नहीं होता है जितना पहले होता था । वर्ष 1964 - 65 के प्रतिवेदन के मामले में 20 महीने का समय लगा था वह वर्ष 1965-66 के प्रतिवेदन के लिये यह समय घटकर 7 महीने का समय रह गया है । मैं इतना बता देना चाहती हूं कि इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये 6 महिने से कम समय नहीं लग सकता क्योंकि कई साधनों से सूचना एकत्र करनी पड़ती है और फिर उसका हिन्दी में अनुवाद भी करवाना होता है ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित करने के बारे में हम भी अन्य सदस्यों के समान ही उत्सुक हैं । आयुक्त की सिफारिशों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है (एक) जहां मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी हो और (दो) जहां राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी हो । केन्द्रीय सरकार तो आयुक्त द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है और उन्हें कियान्वित करती है। वस्तु स्थिति यह है कि आयुक्त द्वारा दिये गये सुझावों, उस सम्बन्ध में सभा में चर्चा, हरिजन कल्याण तथा जन जाति कल्याण के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्डों और विभागीय सलाहकार समितियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में नीतियों और कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन परिचलित होते हैं ।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, उनमें से बहुत से राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विधान मंडल में चर्चा की जानी चाहिये । राज्य सरकारें

आयुक्त के प्रतिवेदन हरिजन कल्याण और जनजाति सलाहकार परिषद के राज्य स्तरीय बोर्डो के सामने रखती हैं । इन चर्चाओं में जो सहमति होती है उसका प्रभाव केन्द्र तथा राज्यों द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों में किये जाने वाले परिवर्तन पर पड़ता है ।

माननीय सदस्य इन दोनों प्रतिवेदनों के विषय तथा रचना में अन्तर महसूस करेंगे । इन परिवर्तनों में सभा में प्रकट किये गये मतों का ध्यान रखा गया है कि प्रतिवेदन मुख्य रूप से सांख्यिकीय थे और उन में बहुत पुनरावृति थी और उनमें केवल साधारण बातें थी । आयुक्त के प्रतिवेदनों में सुधार के विषय में जो नये सुझ व दिये जायेंगे, हम उनका आदर करेंगे ।

पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए पहली पंच वर्षीय योजना के दौरान 30 करोड़ रुपये व्यय किये थे और इस राशि को बढ़ाकर तीसरी पंचवर्षीय योजना में 102 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे । इस प्रकार प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुसूचित आदिम जातियों पर 115 करोड़ रुपये, 72 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियां ऐसी आदिम जातियां जिन का नाम सूची से निकाल दिया गया तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी कार्यक्रमों पर 22 करोड़ रुपये किये गये हैं । दो करोड़ रुपये स्वेच्छा से कार्य करने वाले संगठनों पर व्यय किये गये हैं ।

हमने पिछड़े वर्गों की योजनाओं में शिक्षा के विकास सम्बन्धी योजनाओं को सदा प्राथमिकता दी है । हमारी योजनाओं ने अच्छी प्रगति भी की है । यह कार्य वर्ष 1952-53 में आरम्भ किया गया था । इस समय प्रति वर्ष अनुसूचित जातियां से लगभग एक लाख तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लगभग 17 000 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर सहायता दी जारही है।

गत कुछ वर्षों में हमने महिलाओं में शिक्षा की प्रगति की दर को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया है । इस ओर हमारे प्रयासों में हमें सफलता भी प्राप्त हुई है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में 459 से अधिक जनजाति विकास खण्ड कार्य कर रहे थे । $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को इन विकास खण्डों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है । यद्यपि सभी क्षेत्रों में एकसी प्रगति नहीं हुई है तथापि इन खण्डों ने अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण अशंदान किया है ।

हमारा एक मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली सामाजिक विषमता को दूर करना है । इस बारे में कई वैधानिक तथा कार्यकारी उपाय किये गये हैं जिनसे हमें सफलता भी प्राप्त हुई है ।नगरीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों में यह बुराई काफी हद तक समाप्त हो गई है । परन्तु देहाती क्षेत्रों में यह अब भी विद्यमान है यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि इस बुराई को केवल कानूनी कार्यवाही से समाप्त नहीं किया जा सकता । इस बारे में लोगों की चेतना को जागृत करने में सामाजिक नेताओं को सहयोग देना चाहिए। अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समिति द्वारा सभी कार्यक्रमों का पुर्नविलोकन किया जा रहा है । अनसूचित आदिम जातियों के लिए श्री लूआओ की अध्यक्षता में योजना

आयोग द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया है । इन दोनों निकायों के प्रतिवेदन सरकार के लिए आगामी नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने के लिए आधार माने जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि यह सभा वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के 14वें और 15वें प्रतिवेदनों पर, जो क्रमश: 30 मार्च, 1967 और 8जून, 1967 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है ।"

श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम-निर्देशित-आगल-भारतीय) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवद्वीप) : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कं० हाल्दर (मथुरापुर) : मैं अपना सशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 5 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह संशोधन संख्या 2 में ही आ जाता है ।

मुख्य प्रस्ताव तथा सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir I want to move that the discuss on on this motion may be adjourned . I am moving this motion to draw the attention on the mistakes committed by Government even to-day while initiating discussion on the motion. I am very much pained to move the motion for adjournment of the discussion because the Schedule Castes and Tribes are still in the miserable condition . Safeguards provided to them under the Constitution have been violated by the Society and have not been adhered to .

Under Article 338 of the Constitution on the report of the Commission should be placed on the Table of the House as soon as it is put up to President . But report of the year 1964-65 have not been placed before any House of Parliament although it was sent to the President on 24th November, 1965. In this connection I would also like to say that discussion on the report of the year 1963-64 have also not been concluded, Atleast ten members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes should have been included in the Cabinet keeping in view their strength in the House .

With these words I move for the adjournment of the discussion under article 340 of the Constitution .

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदनों पर समय के अभाव के कारण ही चर्चा नहीं की जा सकी यद्यपि इसकी कार्य सलाहकार समिति द्वारा सदा कार्यावति में सम्मिलित किया जाता रहा है । जहां तक प्रतिवेदन को सभापटल पर रखने का सम्बन्ध है सभा को अधिक सतर्कता से काम लेना चाहिए । मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं ।

श्री मंजो गौंडर (नीलगिरि) : 1964-65 के दौरान राज्यों की समन्वय समितियों की एक बार भी बैठक नहीं हुई है । इस पंचायतों से लेकर संसद तक अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान रक्षित हैं। संविधान के अनुसार 1970 के बाद उनके लिए स्थान रक्षित नहीं रखे जायेंगे। मेरे विचार में इस तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए।

{श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए}
{Shri G. S. Dhillon *in the Chair*}

देश के कई भागों में अस्पृश्यता अब भी एक अथवा दूसरे रूप में विद्यमान है । इस सामाजिक बुराई का यथासम्भव शीघ्र मूलनाश किया जाना चाहिए। 1955 से लेकर 1964 तक इस बारे में 4540 मामले दर्ज किये गये थे । इनमें से 1271 मामलों में अभी निर्णय लेना शेष है ।

पचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित धनराशि पूरी तरह व्यय नहीं की गई है । इससे प्रशासन की उपेक्षा का पता लगता है । जो धनराशि वास्तव में व्यय भी की गई है उसका अधिकांश भाग विचौलियों पर तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों पर बहुत कम भाग व्यय किया गया है ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 63 में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानूनों के लागू हो जाने से इन जातियों को देने के लिए अधिक भूमि मिलने का आशा नहीं है । इस संबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी बेकार पड़ी भूमि अनुसूचित जातियों के लोगों में बांट दी जानी चाहिए। नीलगिरि जिले के ठोडा और कुरूमला लोगों को उन पहाड़ियों में स्थायीरूप भूमि दी जानी चाहिए ।

वर्ष 1964-65 के दौरान मद्रास राज्यों को मकानों आदि की व्यवस्था के लिए कोई धन राशि नहीं दी गई है यद्यपि इस सम्बन्ध में योनजा पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है । इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कार्यवाही की जानी चाहिए । भंगियों तथा महतरों के लिए बनाये गये मकान बहुत असंतोषजनक हैं ।

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवद्वीप) : सभापति महोदय मैंने स्थानापन्न प्रस्ताव दिया था परन्तु उसको संशोधन का रूप दे दिया गया है । मैं इसके कारण नहीं समझ सका ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त का पद सांविधिक है । परन्तु हम गत पन्द्रह वर्षों से देख रहे हैं कि सरकार इसको गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन रखने का प्रयास कर रही है । यह भारत के संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है । एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें बताया गया है इन संगठन में परिवर्तन किया जा रहा है तथा उप-आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार आयुक्त की सिफारिशों तथा सुझावों पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है । इस बात की क्या गारंटी है कि इन जातियों के सुधार के लिए आयुक्त की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा । इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को हमारे समक्ष रखा जाना चाहिए ।

आयुक्त की रिपोर्ट पर संसदीय चर्चा उठाने के बारे में सरकार ने आरम्भ से गलत प्रक्रिया अपनाई है। सरकार आरम्भ में इस आशय का प्रस्ताव करती है कि इस प्रतिवेदन पर चर्चा की जाय और इस चर्चा के अन्त में इसको स्वीकार किया जाता है। 1959 से सरकार ने प्रस्ताव की इस प्रक्रिया में भी परिवर्तन कर दिया है। इसका यह अर्थ है कि आयुक्त द्वारा की सिफारिशों तथा दिये गये सुझावों को स्वीकार करने तथा अस्वीकार के बारे में संसद का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए सरकार को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता है। यह एक बहुत ही अवांछनीय प्रक्रिया है और इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।

मैं आयुक्त के कार्यालय के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसको न केवल एक स्वतंत्र दर्जा दिया जाना चाहिये बल्कि इसकी शक्तियों का स्पष्टरुप से उल्लेख किया जाना चाहिए और उन्हें संहिताबद्ध भी किया जाना चाहिए। इसको इसके अतिरिक्त और अधिक शक्तिशाली तथा नियमित भी किया जाना चाहिए। समान रोजगार अवसरों संबन्धी अमरीका राष्ट्रपति की समिति जैसी सभी शक्तियां इस आयुक्त को उपलब्ध की जानी चाहिए।

दूसरे पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी महानिदेशक के पद को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। इस संगठन के अधिकारियों को आयुक्त के आदेशों के अधीन कार्यपालिका के विभिन्न विभागों में प्रवर्तन नीति अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

तीसरे विभागीय संगठन के स्थान पर अमरीका के समान ही एक स्थायी समिति अथवा आयोग स्थापित किया जाना चाहिए।

चौथे प्रस्तावित समिति अथवा संगठन में अनुसूचित जातियां अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी ही लिये जाने चाहिए।

पांचवें इस मामलों से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। यह मंत्रालय पुनर्वास मंत्रालय की तरह अस्थायी तौर पर भी बनाया जा सकता है।

मैंने यह सुझाव बड़े सोच विचार के बाद दिये हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार इन पर निष्पक्षता से तथा राजनैतिक भावना से ऊपर उठकर विचार करे।

जहां तक आयुक्त द्वारा दी गई सिफारिशों का सम्बन्ध है मेरे विचार में इनको कार्यान्वित नहीं किया गया है। आयुक्त ने शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक सिफारिशें की हैं परन्तु मेरे विचार में सम्बन्धित विभाग अथवा मंत्रालय में इन जातियों में शिक्षा के विकास के लिए बहुत कम कार्य किया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिए अधिक स्कूल खोले जाने चाहिए। इस प्रतिवेदन में इन जातियों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल खोलने की भी सिफारिश की गई है। मेरे विचार में पूर्वी सीमा पर एक अन्य सैनिक स्कूल खोलने की गुंजायश है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा साढ़े बारह प्रतिशत आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बहुत से लोगों के विचार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या एक साम्प्रदायिक समस्या है । ऐसा समझना गलत है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है । इन लोगों के राजनैतिक हितों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त का पद संविधान के अन्तर्गत बनाया गया है । अतः मुझे आशा है कि इन लोगों में राजनैतिक जागृति उत्पन्न करने हेतु सरकार इन प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी ।

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधीनगर) : मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विषय पर बोल रहा हूँ ।

मेरे विचार में भारत में आपसी सूझबूझ का अभाव है । हम लोग जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं । इस विश्वास के रहते हम अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों की समस्या को हल नहीं कर सकते । इस में कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं परन्तु वे कदम पर्याप्त नहीं हैं ।

सभापति महोदय : अब इस अन्य विषय पर चर्चा की जानी है इसलिए माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे ।

पुलिसबल (अधिकारों का निर्बन्धन) नियमों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : POLICE FORCES (RESTRICTION OF RIGHTS) RULES.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन अधिनियम 1966 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) नियम, 1966 को, जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1892 में प्रकाशित हुए थे और जो 5 अप्रैल, 1967 को सभापटल पर रखे गये थे, रद्द किया जाये ।"

"यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि इस संकल्प पर राज्य सभा अपनी सहमति दे।" 14 अप्रैल 1967 को जब सरकार ने उक्त नियमों में संशोधन किया तो मेरा 25 प्रतिशत उद्देश्य पूरा हो गया था । बहुत से सिपाही अभी भी जेल में बन्द हैं । लगभग सभी सदस्यों ने यह बात कही थी कि माननीय मंत्री को इन सिपाहियों के विरुद्ध मुकदमों को वापिस ले लेना चाहिए । इन सिपाहियों को पुनः सेवा में लिया जाना चाहिए । मैं उनसे एक बार फिर इस बात की अपील करता हूं कि इन सिपाहियों के विरुद्ध किये गये मामलों को वापिस ले इनको पुनः सेवामें ले लिया जाये ।

पुलिस वालों की संस्था को कुछ शर्तों के अधीन ही मान्यता दी गई है । इसके अन्तर्गत यदि सरकार पुलिस संघ के महासचिव को भी परेशान करें तो सिपाही उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते । इन नियमों ने अन्तर्गत पुलिस वाले किसीं ऐसे सम्मेलन में भी भाग नहीं ले सकते जो उनकी सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी प्रयोजन हेतु बुलाया गया हो ।

नियमों में इस बात का भी उपबन्ध है कि यदि संघ द्वारा कोई बैठक बुलाई जानी है तो वह पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल द्वारा बताये गये स्थान पर ही बुलाई जानी चाहिए । इसका अर्थ यह है कि उनकी सेवा की शर्तों तथा उपलब्धियों पर विचार करने के लिए पुलिस के अहाते में कोई बैठक नहीं की जा सकती।

खोसला समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं किया गया है । इससे लोगों में बहुत असंतोष है । माननीय मंत्री को इस बारे में आश्वासन दिया था कि खोसला समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा । परन्तु अब इस आधार पर इनको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है कि अन्य राज्यों के पुलिस वाले भी समान वेतन तथा सुविधाओं की मांग करेंगे ।

यदि ये नियम पास हो गये तो पुलिस की एसोशिएशन द्वारा कार्य करना असंभव हो जायेगा । इसलिये मेरा अनुरोध यह है कि इन नियमों को बदल देना चाहिये। यह बात बिल्कुल अनुचित है कि पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल द्वारा बताये गये स्थान पर ही पुलिस के सिपाही कोई बैठक कर सकते हैं । मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि पुलिस के सिपाही राजनीति में भाग लें । परन्तु यदि कोई राजनीतिज्ञ उनके समक्ष भाषण देता है तो उसमें क्या हानि है ? यदि पुलिस बल के संगठन का प्रधान पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल को ही बनाया जाना है तो उस संगठन की आवश्यकता ही क्या है । इसलिये वर्तमान नियम समाप्त करने चाहिये और लोकतंत्रीय ढगं के नवीन नियम बनाये जाने चाहिये । पुलिस के अनेक सिपाही अब भी जेल में हैं । उन्हें फिर से नौकरी में ले लेना चाहिये । सभी मामले इन्सपेक्टर जनरल पर ही नहीं छोड़े देने चाहिये । जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके समक्ष भाषण देंने की अनुमति होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : यह सभा संकल्प करती है कि पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसरण में, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) नियम, 1966 को, जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1892 में प्रकाशित हुए थे और जो 5 अप्रैल, 1967 को सभा पटल पर रखे गये थे, रद्द किये जायें ।

यह सभा राज सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो ।"

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The rules framed for the Police force are such that no outsider is permitted to participate in the activities of their Association. These rules should, therefor, be changed ;

The Police-men who participated in the agitation by Police-men in Delhi, are being harassed The police-men"beloning to Scheduled castes are being removed from service on the plea that they have taken part in the agitation. There should be an end to such at societies.

It is a matter ~f regret that Government have not been paying adequate attention to the p oblems of police force. They should be provided with all the facilities pertaining to housing accommodation and arrangements should be made for the education of their children. Before the police-men are actually transferred, residential accommodation should be arranged for them at place where they intend to be transfer red.

Though the policemen should not de allowed to take part in the politics bur there should be some machinery through which their grievances could be redressed,

श्री दी चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि पुलिस के कर्मचारियों को यूनियन बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये। वास्तव में यह देखा गया है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में संघ जो बनाये जाते हैं वे मिलाने वाली शक्ति न बन कर विभाजन करने वाली शक्ति बन जाते हैं।

इसलिये यदि हमें पुलिस बल को संगठित करना है तो हमें उनकी शक्ति मजदूर संघ की गतिविधियों में बेकार नहीं जाने देना चाहिये। वे एसोशियेशन बना सकते हैं और वे इसके माध्यम से अपनी मांगों तथा शिकायतों की सुनवाई कर सकते हैं यदि हम इन लोगों को, जिनकी देश की सच्चे दिल से सेवा करने की परम्परा रही है उन्हें, जलूस निकालने और भाषण आदि देने की अनुमति दी जाये तो जनता की दृष्टि में उनका सम्मान कम हो जायेगा। इसलिये ये नियम बना कर के पुलिस बल से उचित अधिकार नहीं छीने गये हैं। मेरे विचार में दो सेवायें ऐसी हैं अर्थात् पुलिस और सेना जिनको संघवाद के रोग से दूर ही रखा जाना चाहिये।

इन्सपेक्टर जनरल पुलिस के कर्मचारियों में से ही एक है। फिर वे श्री चव्हाण के सामने भी अपनी शिकायतें तथा मांग रख सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have gone through these rules and I have seen that there are certain provisions of the Police Forces (Restriction of Rights) Act which are conflicting with some provisions of the Constitution. I want to draw the attention of the Government to Section I and part III of this Act. It has been Stated therein that Central Government will enforce this legislation in the centrally administered areas and the States will be asked to declare whether this legislation is enforced in their State or not. I want to say that parliament had no right to frame laws on a subject which is with in the Jurisdition of the State Government can, therefor, reconsider this matter. It has been stated in the begining that these laws are being framed for the forces which are charged with the maintenance of public order. Now the 'public order' neither comes in the central list nor in the concurrent list. Public order and police fall in State list. Under sub-clause (3) of Articile 246 the legislature of a State had exclusive power to make laws with respet to any matter included in list II of the Seventh Schedule. Therefore Parliament had no Jurisdiction to frame a law in that regard. I have nothing to say about our force Viz Naval, Army and Air as they are definitly in the Central List and therefore Parliament has a right to farm laws in respect of these forces. I, therefore, submit that Government can frame such laws with regard to the central administered areas but they cannot form such laws for the States. If this is agreed to, there will be no confilict between the provisions of the Act under discussion and the Constitution. The Government can seek opinion of the Solicitor-General on the constitutional validity of certain provisions of the Act.

The second thing is that Government should be firm in recognising the unions and functions of the unions should be comprehensive. They should be free to discuss their problems.

I want to know when Government would place the Khosla Report on the Table of the House ? I request the hon'ble Minister to place the Khosla Report alongwith Government decisions in the matter before the House, otherwise people will feel that Government was adopting an evasive policy.

The third thing which I would like to point out that there has already been delay in the disciplinary cases against the policemen who participated in the agitation, I, therefore, request that all such cases should be withdrawn. They should now be reinsted and Government should be liberal in allowing to form the Unions. These rules should be withdrawn and this legilation should be restricted to centrally administereds ereas only.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I do not agree that it is beyond the competence of the Government to frame these rules. There are many Central Acts which are inforce in States as well. There should be strict discipline in the police force which is responsible for the security of the country. I support the rules framed by the Government wholeheartedaly.

I have come to know that Government has banned the recruitment of people coming from Haryana in Delhi Police. The horible Minister should kindly enquire into this,

The cases pending against the Delhi policemen who took part in the agitation should be withdarwn.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटकय) : मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि ये नियम अधिनियम के क्षेत्र से बाहर हैं ।

अधिनियम की धारा 3 में यूनियन की सदस्यता पर तथा समाचार पत्रों के साथ पत्र व्यवहार पर निर्बन्धन लगाने का उपबन्ध है । इस अधिमियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये धारा 6 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार कानून बनाने में समर्थ है ; परन्तु इस धारा के अन्तर्गत अधिनियम में सरकार नई अनर्हताएं और निर्बन्धन नहीं जोड़ सकती । फिर इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि पुलिस के अधिकारों पर निर्बन्धन के सम्बन्ध में राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है । इसलिये यदि पुलिस के अधिकारों का निर्बन्धन आवश्यक है तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को मिल कर इस सम्बन्ध में नियम बनाने चाहिये ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : The Government should withdraw the cases against Delhi policemen who took part in the agitation. In case the Government want to qursue them further then it should be done in proper manner. The heaving of the cases should be completed expeditiously. The magistrate should not use delaying tacties to harass the police men.

The hon'ble Minister should look to the problems of Delhi police--men on humanitarian grounds.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई–मध्य) : सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि धारा 6 के अन्तर्गत बनाये गये ये नियम बिल्कुल सम्बद्ध तथा अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत हैं ।

दूसरी बात यह है कि यदि सारे अधिनियम का अध्ययन किया जाये तो पता चलता है कि ये अधिनियम संसद के अधिकार क्षेत्र में हैं। नियम बनाने की शक्ति अधिनियम के अन्तर्गत दी गई है और पुलिस दल के सदस्यों को एसोशिएशन बनाने को अनुमति देने और बैठकों में भाग लेने के लिये ही नियम बनाये गये हैं। पुलिस बल अधिनियम के अन्तर्गत एसोशिएशन बना सकता है। इन नियमों का यही उद्देश्य है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गिरफ्तार किये गये पुलिस के सिपाहियों के प्रति नरमी का व्यवहार करें।

श्री नायनार (पालघाट) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इन नियमों से एशोशिएशन बनाने के मूलभूत अधिकार पर रोक लगा दी गई है। नियम 3 के अनुसार पुलिस बल का कोई सदस्य किसी सभा अथवा जलूस में भाग नहीं ले सकता।

सभी जानते हैं कि पुलिस वालों की मांगे उचित हैं। पुलिस वाले किसी संगठन अथवा एसोसिएशन के द्वारा ही अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख सकते हैं। अतः उनको संगठन आदि बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अभी भी कुछ सिपाही जेल में हैं और कुछ सिपाहियों की छंटनी कर दी गई है। मैं उन सदस्यों की तरह अपील करता हूं कि उनके प्रति नम्र रवैया अपनाया जाये और जेल में बन्द सिपाहियों को रिहा कर दिया जाये।

मैं संकल्प कर समर्थन करता हूं।

श्री पाशाभाई पटेल (बड़ौदा) : मुझे खुशी है कि देश में धीरे धीरे खत्म हो रही मानवीय स्वतन्त्रता को बचाने के लिए माननीय गृह–कार्य मंत्री अन्तिम कार्यवाही कर रहे हैं।

पुलिस भी सेना के समान है। अतः पुलिस तथा सेना को संघ बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उनको देश में और कई अन्य अधिकार प्राप्त हैं। वे अपने साथ हथियार ले कर चल सकते हैं और उनके घर में भी घुस सकते हैं। इन लोगों को संघ बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे मानवीय स्वतन्त्रता समाप्त हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं सरकार का समर्थन करता हूं कि सरकार को पुलिस को संघ बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

Shri Hardyal Devgun (East-Delhi) : I support this motion and request the hon. Minister to provide adequate facilities to policemen for framing the union or association. I oppose these rules as they put hurdles in their way to form such association or organisation. Discipline can not be maintained by putting restrictions on them in the name of discipline. They should be allowed to have some sort of farum through which they could approach the Government for redressing their grievances.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Saddar) : I believe that there should be discipline in the police and army. The recommendations of the Khosla Committee should be implemented. I would request the hon. Minister to release the policemen who are in Jail.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : दिल्ली के लोगों की ओर से मैं माननीय मंत्री को अपील करता हूं कि वह सिपाहियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तथा नम्र रवैया अपनायें।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : प्रस्ताव यह है कि इस अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को रद्द किया जाये। मेरा निवेदन यह है कि अब जबकि हम अधिनियम को पारित कर चुके हैं यह आवश्यक है कि इसको प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इन नियमों को बनाये रखा जायेगा।

अधिनियम की धारा 3(?) के अन्तर्गत यह कहा गया है कि पुलिस बल का कोई सदस्य किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा अथवा भाषण नहीं देगा जो किसी राजनैतिक प्रयोजनों अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया हो। 'ऐसे अन्य प्रयोजनों का इन नियमों में उल्लेख किया जा रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसे अन्य प्रयोजनों के अन्तर्गत इन नियमों में बताये जाने वाले प्रयोजन अधिनियम की भावना के अनुकूल है। मैंने पुलिस वालों के लिये कोरम की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था। यह एक उचित बात भी है। परन्तु हमारा यह उद्देश्य भी है कि यह मंच किसी मजदूर संघ का रूप धारण न कर लें। अत. इस उत्तरदायित्व तथा अधिकतम सीमा के अन्दर ही इस अधिनियमों को कार्य करना होगा।

सभा में अधिनियम के पारित होने के बाद पुलिस बल तथा उनके इन्सपैक्टर जनरल के बीच हुई लम्बी-चौड़ी बातचीत के फलस्वरुप सरकार ने एक संघ बनाने की अनुमति दी। संघ का संविधान भी सरकार की अनुमति से बनाया गया है। इस संघ के संविधान के उद्देश्य हैं अधिकतम दक्षता प्राप्त करना, दिल्ली पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारियों में अनुशासन तथा संतोष बनाये रखना। उनके लिए जीवन बीमा तथा सेवा की अच्छी स्थितियों को शामिल करना। वैद्य शिकायतों को दूर करना। बीमारी, दौर्बल्य, बुढ़ापा तथा मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को सुविधा पहुँचाना तथा उनके रोजगार से उत्पन्न होने वालों पर (जिनमें राज्य एक दल न हो) कानूनी सहायता देना। उपयुक्त मामलों में सदस्यों को तथा उनके आश्रितों की वित्तीय सहायता देना भी एक उद्देश्य है। इस प्रकार के संघ के कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब इसको मजदूर संघ में परिवर्तित करने का यत्न किया जाता है।

यह कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली पुलिस बल में हरियाना के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता। उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। दिल्ली पुलिस में समूचे देश के लोग होने चाहिए। अत: इस बारे में किसी राज्य पर कोई रोक नहीं है। यह कहना भी गलत है कि इन्सपैक्टर जनरल पुलिस तथा अराजपत्रित अधिकारियों में कोई झगड़ा है। इन्सपैक्टर जनरल उनका नेता है। वह उनका मालिक नहीं है। यदि हम पुलिस बल को बनाये रखना चाहते हैं तो ऐसा उसमें अनुशासन तथा कर्तव्य की भावना से ही ऐसा किया जा सकता है। ऐसी भावना का समूचे पुलिस बल में होना आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि वे मेरे अथवा किसी अधिकारी विशेष के प्रति बल्कि देश के प्रति निष्ठावान हों। इन्हीं भावनाओं के साथ ही पुलिस बल को बनाये रखा जा सकता है।

मुझे दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि किसी हालत में भी पुलिस को मजदूर संघ की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरे मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो एसोशिएशन अथवा 'फोरम' पुलिस बल की शिकायतों को दूर करने के लिये स्थापित किया गया है, वह उचित ढंग से कार्य करें।

यह प्रश्न भी उठाया गया था कि अधिनियम के कुछ उपबन्ध संविधान के विपरीत है। सच यह है कि मूल अधिकारों पर संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ही प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। इसी कारण इस अधिनियम को पारित करना पड़ा था। अधिनियम में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस अधिनियम का पालन कर सकते हैं। परन्तु संघ राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम को लागू करने की शक्ति सरकार के पास है।

मैंने कई बार इस सभा को बताया है कि खोसला आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इन पर निर्णय करने में अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि हमें यह देखना होता है कि इसका अन्य राज्यों के पुलिस बल तथा सशस्त्र सेनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यथासम्भव शीघ्र इस पर निर्णय लिया जायेगा। खोसला आयोग के प्रतिवेदन को सरकार के निर्णय के साथ साथ सभा पटल पर रखा जायेगा।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The hon. Minister has not replied to all the points raised during the discussion. In this connection I would like to mention that general law and order and Police are the State subjects and to make law in the Parliament in regard to these two subjects is a violation of the rights of the State so the Police Force (Restrictions of Rights) Act passed by the Parliament is in contravention of the spirit of the Constitution.

It has also not been told as to when the recommendations of the Khosla Committee will be implemented. I would like to request the hon. Minister to implement the recommendations of the Khosla Committee in toto and release the arrested persons.

I agree that discipline is absolutely necessary in the Police, but alongwith that we should provide them such forum to ventilate the grievances. There is a big gap between the salaries and other amenities of the high officers and low ranked policemen. So I would request the hon. Minister not to suppress them in the name of discipline and see to their grievances. The hon. Minister should also adopt a lienient attitude towards the arrested persons keeping in view the hardships faced by their families.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम 1966 की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसरण में, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) नियम, 1966 को, जो दिनांक 12 दिसम्बर 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में प्रकाशित हुए थे और जो 5 अप्रैल, 1967 को सभा पटल पर रखे गये थे, रद्द किया जाये।

"यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती हैं कि इस संकल्प पर राज्य सभा अपनी सहमति दें ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पूर्वी पाकिस्तान में बौद्ध अल्प-संख्यकों पर अत्याचार

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि आधे घण्टे की चर्चा को लिया जाये मैं सभा को यह सूचना देना चाहता कि अब अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय को लिया जायेगा । प्रातः इस विषय को सम्बन्धित सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं लिया जा सका था । बाद में अध्यक्ष महोदय विशेष कारणों से इसको किसी अन्य समय देने को तैयार हो गये थे । अतः इस विषय को अब उठाया जाता है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"पूर्व पाकिस्तान में बौद्ध अल्प-संख्यकों पर अत्याचार, चिट्टागांग जिले में राजनगर के एक प्राचीन बौद्ध बिहार का विनाश और उसके मठाधीश की हत्या ।"

वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं सम्बन्धित विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1287/67]**

श्री समर गुह : क्या नागा तथा मिजो विद्रोहियों के प्रशिक्षण शिविरों में जाने हेतु चिाट्टगांग के पवर्तीय मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए तथा पूर्वी पाकिस्तान में स्वायतत्ता की लहर को दबाने के लिए अय्यूब समथकों द्वारा अल्प-संख्यक बौद्धों तथा चकमा कबीले के लोगों को परेशान किया जा रहा है और क्या हमारी सरकार ने इस बारे में दूसरे देशों विशेष बौद्ध धर्म के देशों की राय को इसके विरुद्ध एकत्र करने के लिए कुछ कार्यवाही की है ?

श्री मु० क० चागला : पाकिस्तान में बौद्धों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में हमने अन्य देशों को सूचित किया है । हमने इस बारे में जनमत संग्रह करने का यत्न किया है ।

*गन्ने की दुर्लभता

**SCARCITY OF SUGARCANE

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir this subject has been discussed many a time but unfortunately no satisfactory solution has been found. The production of sugar of our country in 1965-65 was about 32 lakh tons and it was thought that country would be self sufficient so far sugar is concerned. Some sugar was exported and about 15 crores of rupees of foreign exchange were earned. The production declined 1966-67 to 21 lakh tons. It was due to Government's wrong policy.

Our country is not able to meet its own requirement. The production of sugarcane in U. P. is going down due to faulty policy of Government. The area under cultivation of sugarcane has been reduced. It is because Government has not fixed remunerative prices of sugarcane. It will result in loss of revenues to Government The sugar factories will have to be closed down. Thousands of labourers will be thrown out of employment. The country will have to face acute shortage of sugar and we will loose our foreign markets. Further the malpractices like black market will get encouragement.

I give three suggestions in this regard. First is that the price of sugar cane should be fixed by the growers and Government should not interfere in this matter. The sugar should be decontrolled immediately. In case Government wants to fix prices, it should see that there should not be any difference between the rates of sugar cane supplied for Khandsari, sugar and Gur.

I do not agree with those friends who say that decontrol of sugar will result in shooting up of price of sugar. But at present the black marketears are thriving. If control is removed such malpractices will automatically end.

Almost all the sugarcane growing states have asked the Central Government to raise the price of sugar cane, but nothing has been done in this matter. The price of sugarcane has not been increased proportionately during the last 20 years with the increase of prices of other commodities. The sugarcane growers have been discriminated against in this matter. The cost of irrigation has gone up. The land revenue has been increased. The manure is costlier now. then before. In these circumstances the farmer is not being shown any sympathy.

I suggest that Government should follow the practice that is in vogue in Mexico, where the interests of farmers are looked after and farmers are paid keeping in view the prices of sugar. The sugarcane grower should be given some sugar also. Government should see to this also.

I hope Government will realise its responsibility and raise the price of sugarcane.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : All are demanding that the price of sugarcane should be raised. Injustice is being done to the farmer in this matter. I cannot understand why Government is not taking action in the matter. The State Government have also made a demand.

---

*आधे घण्टे की चर्चा।

Half-an-Hour discussion.

The sugar is selling at exorbitant price even now. Government should reduce the excise duty and the farmer should be paid remunerative price. I want to know the break up of price fixed by Government. What is the share of farmer in that price. The share millowner, that of Excise Department and that of dealer should also be indicated.

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : I want to know whether Government is aware that there is great difference between the prices of Khandsari and sugar. In these circum. stances farmers would not give their sugarcane to mills and would supply it for Khandsari. I want to know further whether Government will take some steps and raise the price of sugarcane. Government should take immediate steps in this matter.

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : गन्ने की खेती अब निरन्तर कम होती जा रही है। इसका कारण गन्ने की कीमतों का कम होना है। बहुत से राज्यों में चीनी मिलें बन्द होती जा रही हैं। सरकार को सिंचाई सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिये। क्या सरकार का इरादा चीनी पर से कन्ट्रोल हटाने का है। सरकार को गन्ना उत्पादकों के हितों का ध्यान रखना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The production of sugar is going down. This will have adverse effect on our export earnings. Government should raise the price of sugar so that the sugarcane growers may be attracted to grow more sugarcane. I suggest that farmers should be paid remunerative prices and sugar should be decontrolled.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I request the Government to meet all the demands of the farmers. The farmers are the backbone of our economy. If they are not given remunerative prices, they would not grow sugarcane. It will result in less production of sugar and consequently country will loss valuable foreign exchange.

The Central Government should ensure that sugar is distributed equitably between rural and urban areas. There should not be any compulsion for farmers to supply sugarcane to the mills of their area.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सरकार द्वारा चीनी के भाव और गन्ने के भाव किस आधार पर निर्धारित किये जाते हैं ? क्या इस आधार में कभी परिवर्तन किया गया है; यदि हां, तो कितनी बार ? क्या सरकार गन्ने में मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि सम्बन्धित हितों की रक्षा की जा सके ?

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : सरकार इस बारे में हस्तक्षेप करती रही है। हाल के अभूतपूर्व सूखे के कारण भी चीनी के उत्पादन में कमी हुई है। मेरे विचार में राजनैतिक आधारों पर गुड़ और खांडसारी वालों को लाभ पहुँचाया जाता है और चीनी उद्योग को गन्ने की सप्लाई नहीं होती है। महाराष्ट्र में इस बारे में बहुत धांधली है। भारत सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिये कि जिनसे किसानों को ठीक मूल्य मिले, उत्पादन में वृद्धि हो, सहायक उद्योगों को कच्चा माल मिलता रहे और सरकार को भी उचित आय हो। मुख्य कठिनाई तो गन्ने के गुड़ तथा खांडसारी के लिये दिये जाने से होती है। गुड़ आदि पर सरकार का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी और चीनी के लिये अधिक गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करेगी ताकि हमें विदेशों से एलकोहल का आयात न करना पड़े ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : चीनी के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि चीनी पर से नियन्त्रण हटा लेना चाहिये । मेरे विचार में चीनी पर से आंशिक रूप में नियन्त्रण हटाना चाहिये । कुछ नगरों में राशन की प्रणाली को जारी रखना होगा और विनियन्त्रण के बावजूद मिलों से राशन वाले क्षेत्रों को चीनी की सप्लाई करनी होगी । अर्थात विनियन्त्रण सीमित रूप में ही होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि चीनी के कारखानों को अपने फार्मों का विकास करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार चीनी पर से उत्पादन शुल्क कम करने के लिये तैयार है ताकि चीनी का उद्योग गन्ने के खेतिहरों को अधिक मूल्य दे सके ? क्या सरकार खण्डसारी और गुड़ पर भी उत्पादन शुल्क लागू कर सकती है ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि गन्ने का मूल्य तीन रुपये निश्चित कर दिया जाये और यदि हां तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है और यदि नहीं तो क्या वह इस सत्र के दौरान अपने निर्णय की घोषणा करेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार चीनी के नियन्त्रण को हटाने या न हटाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लेगी ?

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : We are exporting sugar at subsidised rates in order to earn foreign exchange. I want to know whether Government would stop the export of sugar; whether they would increase the rate of sugarcane; and reduce the price of sugar ?

श्री कन्दप्पन (मैटूर) : सरकार ने दक्षिण में गन्ना उद्योग की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है । मैंने हाल ही में समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति की सिफारिशें क्या हैं और क्या सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने जा रही है ?

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Government has not been doing full justice to the farmers. I want to say that Government has been paying Rs. 2.12 P. for the recovery of 9.4 base and now the cultivators have demanded that the base should be treated as 8.4 and as one and a half paise were paid for 0.1 on 9.4 base, now 8.6 Paise should be given instead of one and half Paise.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सभा में इस बात की आलोचना की गई है कि सरकार ने गन्ने और चीनी के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा करने में देरी कर दी है । वास्तव में राज्य सरकारों से परामर्श करने के कारण इस मामले में कुछ देरी हो गई है । हम राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । हमने मुख्य मंत्रियों से भी परामर्श किया है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय होने के कारण हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है । मुझे आशा है कि सरकार संसद के इसी सत्र के दौरान अपने निर्णय की घोषणा कर सकेगी ।

श्री शास्त्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के क्षेत्र में कमी हुई है। उन्होंने इसका कारण सरकार की गलत नीतियां बताया है। परन्तु तथ्य इसके विपरीत हैं। मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं हूं। हमने पिछले कुछ वर्षों के दौरान गन्ने के मूल्य से सम्बन्धित सही नीति का अनुसरण किया है और इसीलिये गन्ने की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कृषि मूल्य आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वर्ष 1952–53 से वर्ष 1964–65 की कालावधि के दौरान गन्ने की खेती के क्षेत्र में अनाज की खेती के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि हमारी मूल्य नीति किसानों के लिये लाभप्रद रही है। इसीलिये हमने सोचा कि गन्ने की खेती का क्षेत्र 65 लाख एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिये परन्तु वास्तव में वर्ष 1964–65 में ही यह 67 लाख एकड़ हो गया था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चीनी का उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है और यह कपड़ा उद्योग के दूसरे स्थान पर है। यदि हमने गन्ने के मूल्यों से सम्बन्धित सही नीति नहीं अपनाई तो हमारे लिये चीनी के कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना सप्लाई करना सम्भव नहीं होगा।

हमारा सदा यही प्रयत्न रहा है कि हम गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दें और मुझे इस बात का विश्वास है कि सरकार का ब्यौरेवार निश्चय चाहे कुछ भी हो हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि लाभप्रद मूल्यों की घोषणा की जाये।

विनियन्त्रण, आंशिक विनियन्त्रण, खण्डसारी और देशी खाण्ड आदि पर निर्बन्धन आदि के बारे में कई सुझाव दिये गये हैं। ये सुझाव विभिन्न राज्य सरकारों ने भी दिये हैं। परन्तु कुछ परम्परागत कठिनाइयां हैं। इन सभी कठिनाइयों पर ध्यान देना होगा।

इसके अतिरिक्त देश में मुद्रा-स्फीति की अत्यधिक प्रवृत्तियां हैं जिनका ध्यान रखना अत्यावश्यक है। हम नागरिक क्षेत्रों में कमी वाले इलाकों में नियंत्रित मूल्य पर चीनी सप्लाई करते रहे हैं। यदि हम चीनी पर से एकदम नियन्त्रण हटा लें तो ऐसे लोगों पर इसका प्रभाव पडेगा और जीवन निर्वाह के सूचक अंक में वृद्धि होगी। इसलिये हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। सरकार जो भी नीति बनायेगी वह राष्ट्र हित में होगी और उसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा जायेगा।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 3 अगस्त, 1967/12 श्रावण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 3, 1967/ Sravana 12, 1889 (Saka).